



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 23 नवम्बर, 2021 / 02 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

प्रारूप अधिसूचना

शिमला-171 002, 12 नवम्बर, 2021

संख्या: श्रम (ए) 4-10/2010-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 23 के साथ पठित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए यथास्थिति, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम संख्याक 27), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम, संख्याक 63), ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37), अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) और बगान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) जिन्हें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2020 की धारा 143 द्वारा निरसित किया गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व उन बातों के सिवाए जिन्हें किया गया है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए—

- (1) हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) नियम, 2008;
- (2) हिमाचल प्रदेश कारखाना नियम, 1950;
- (3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश नियम, 1974;
- (4) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) हिमाचल प्रदेश नियम, 1983; और
- (5) हिमाचल प्रदेश बगान श्रम नियम, 1978;

के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जन-साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

उक्त प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश को भेज सकेगा/सकेंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव(वों) पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2021

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर लागू होंगे।

(iii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—(i) “संहिता” से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 अभिप्रेत हैं;

(ii) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(iii) “मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता” से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा धारा 34 की उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता अभिप्रेत है;

- (iv) "निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता" से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता अभिप्रेत है;
- (v) "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ नियुक्त मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता या कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;
- (vi) "नियम" से हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं नियम, 2021 अभिप्रेत है;
- (vii) "इलैक्ट्रॉनिकली" से—
- (i) ई-मेल द्वारा प्रस्तुत या पदाभिहित पोर्टल पर अपलोड की गई कोई सूचना या संहिता के प्रयोजनार्थ किसी पद्धति में किया गया डिजिटल संदाय; और
- (ii) कोई अन्य पद्धति या साधन, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;
- (viii) **स्त्रोत से आय.**— समस्त स्त्रोतों से प्रतिमास पांच हजार रुपये तक की आय या स्कीम के अन्तर्गत चिकित्सा प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई. सी.) द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आय वाले कुटुम्ब का सदस्य धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (x) के प्रयोजनार्थ आश्रित के रूप में सम्मिलित होगा;
- (ix) **पदार्थ या पदार्थ की मात्रा.**—धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (य ख) के प्रयोजनार्थ "संकटमय पदार्थ" से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई पदार्थ या पदार्थ की ऐसी मात्रा अभिप्रेत है;
- (x) "स्थानीय प्राधिकरण" से हिमाचल प्रदेश राज्य में अदस्थित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद् या नगर निगम अभिप्रेत है; और
- (xi) "पोर्टल" से संहिता और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवाएं परिदत्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग का वेब पोर्टल अभिप्रेत है।
- (2) अशब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके संहिता में हैं।

रजिस्ट्रीकरण

3. धारा 3 के अधीन किसी प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) कोई नियोक्ता किसी ऐसे प्रतिष्ठान जो पहले से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु श्रम एवं रोजगार विभाग के वेब पोर्टल पर प्ररूप-1 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता के पते जैसा कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रपत्र में यथाविनिर्दिष्ट है, से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। आवेदक आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 4 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा।

4. किसी प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस.—(1) आवेदक आवेदन के साथ निम्न यथाविनिर्दिष्ट फीस ऑनलाइन संदत्त करेगा:

नियोजित किए जाने हेतु कर्मचारियों की संख्या	फीस की रकम रु० में
19 तक	1,000
20-50	2,000
51-100	3,000
101-150	5,000
151-250	10,000
251-500	12,500
501-1000	17,500
1001-1500	20,000
1501-2000	25,000
2001-3000	30,000
3001-4000	35,000
4001-5000	40,000
5000 से अधिक	50,000

किसी प्रतिष्ठापन, जो धारा 2(1)(v)(iii) के अधीन कारखाना है के लिए भी।

(2) यदि किसी नियोक्ता ने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन नियम 3 के अधीन यथा अपेक्षित साठ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह आवेदन को विलम्ब फीस सहित प्रस्तुत करेगा, जो वर्ग के लिए विहित फीस का 25% प्रति वर्ष होगी।

5. धारा 5 के अधीन कार्य के प्रारंभ और परिवर्तन के लिए नोटिस.—(1) प्रत्येक प्रतिष्ठापन का नियोक्ता किसी उद्योग, व्यापार, कारवार, विनिर्माण या उपजीविका के कार्यान्वयन के, प्रारंभ या परिवर्तन का नोटिस, ऐसे प्रारंभ या परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर क्षेत्र के निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इलैक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसे प्रारंभ या परिवर्तन का नोटिस प्ररूप 2 और 2 क में प्रस्तुत किया जाएगा।

नियोक्ता और कर्मचारी आदि के कर्तव्य

6. धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच.—(1) नियोक्ता, प्रत्येक कर्मचारी, जिस ने पैंतालीस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, की कम से कम प्रत्येक बारह मास में एक बार स्वास्थ्य-जांच सुनिश्चित करेगा। ऐसा कर्मचारी, जिसको दुर्घटना के कारण कोई गंभीर शारीरिक क्षति हुई हो, की भी जांच की जाएगी। कर्मचारियों की उनके प्रवेश के 15 दिन के भीतर या नियोजन से पूर्व भी चिकित्सा जांच की जाएगी। ऐसी जांच के व्यय का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा:

परन्तु संकटमय प्रक्रिया या खतरनाक कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों की जांच प्रत्येक छह मास पश्चात् या पूर्वतर संहिता या संबंधित नियमों में विनिर्दिष्टतया उपबंधित उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) स्वास्थ्य जांच किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा संचालित की जाएगी। चिकित्सा जांच का अभिलेख **प्ररूप-3** में अनुरक्षित किया जाएगा और जब कभी अपेक्षित हो निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

साधारण प्रतिष्ठापन	रक्त	मूत्र	एक्स-रे				
संकटमय प्रक्रिया या संकटमय पदार्थ या संकटमय अपशिष्ट का निपटान करने वाले प्रतिष्ठापन	रक्त	मूत्र	एक्स-रे	पी एफ टी	थूक	श्रव्यतामिती (यदि लागू हो)	संहिता के अधीन घोषित निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा अनुशंसित कोई अन्य परीक्षण

7. धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र.—नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिष्ठापन में उसकी नियुक्ति या उसके कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियुक्ति-पत्र जारी करेगा। नियुक्ति-पत्र में प्ररूप-4 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां सम्मिलित होंगी।

8. धारा 10 की उप-धारा (1) और धारा 11 के अधीन दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का नोटिस.—(1) यदि किसी प्रतिष्ठापन, जो कारखाना, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य तथा मोटर परिवहन उपक्रम है, में किसी स्थान पर कोई दुर्घटना, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, घटित होती है, तो प्रतिष्ठापन का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक तुरंत उसकी सूचना (नोटिस) प्ररूप 5 में इलैक्ट्रॉनिकली या अन्यथा भेजेगा तथा निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता या मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता और जिला मैजिस्ट्रेट और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी तथा चोटिल या मृत व्यक्ति के कुटुंब के सदस्यों (परिजनों)/संबंधियों को भी दूरभाष द्वारा सूचित करेगा।

(2) यदि किसी प्रतिष्ठापन, जो कारखाना, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य तथा मोटर परिवहन उपक्रम है, में किसी स्थान पर कोई दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप कोई शारीरिक क्षति होती हो, जिसके कारण दुर्घटना के ठीक पश्चात् चोटिल व्यक्ति अडतालीस घण्टे या अधिक की अवधि के लिए कार्य करने से निवारित किया जाता है, तो प्रतिष्ठापन का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक तुरंत उसकी सूचना अडतालीस घण्टे पूर्ण होने के पश्चात् बारह घण्टे के भीतर प्ररूप 5 में इलैक्ट्रॉनिकली या अन्यथा निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को भेजेगा।

(3) यदि किसी प्रतिष्ठापन में, यथाविनिर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना होती है, जिससे मृत्यु, शारीरिक क्षति या विकलांगता कारित होती है या नहीं तो बारह घण्टे के भीतर प्ररूप 6 में सूचना निम्नलिखित को भेजी जाएगी.—

- (क) क्षेत्र की अधिकारिता वाला श्रम अधिकारी;
- (ख) जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट;
- (ग) निकटतम पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी;
- (घ) घायल या मृत व्यक्ति के संबंधी; और
- (ङ) प्रवासी कर्मकार की दशा में राज्य के प्राधिकारी:

परंतु यदि किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना की दशा में ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना द्वारा घायल किसी व्यक्ति की, पूर्वगामी उप-नियमों में निर्दिष्ट नोटिस भेजे जाने के पश्चात् मृत्यु होती है, तो प्रतिष्ठापन का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक तुरंत उसकी सूचना इलैक्ट्रॉनिकली या अन्यथा भेजेगा और प्राधिकारियों तथा उप-नियम (1) और (2) में वर्णित व्यक्तियों को भी दूरभाष द्वारा सूचित करेगा तथा मृत्यु के 12 घण्टे के भीतर लिखित रूप में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परंतु यह और कि यदि उप नियम (2) में निर्दिष्ट 48 घण्टे या अधिक के लिए कार्य करने से विकलांगता की अवधि, दुर्घटना या खतरनाक घटना के ठीक बाद घटित नहीं होती है, परन्तु पश्चात्तवर्ती या एक से अधिक अवधि में घटित होती है, तो पूर्वगामी उप-नियमों में निर्दिष्ट नोटिस, उन घण्टों, जब दुर्घटना या खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने से विकलांगता की वास्तविक कुल अवधि 48 घण्टे होती है, के पश्चात् 24 घण्टों के भीतर विहित प्ररूप में निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को भेजा जाएगा।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं के निम्न वर्ग, चाहे वे व्यक्तिगत चोट या अशक्त्ता में शामिल हों, अर्थात्:—

- (i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पैट्रोलियम, भाप, संपीडित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;
- (ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच, उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिन्हें व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना;
- (iii) विस्फोट, विस्फोटक, आग, रिसाव के कारण विस्फोट या हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव, किसी भी पिघले हुए धातु के रिसाव या गर्म द्रव अथवा गैस का रिसाव जिनके कारण उस कमरे या स्थान, जिसमें व्यक्ति नियोजित है, को नुकसान पहुंचता है या उसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है;
- (iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीडन से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट।
- (v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चैन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;
- (vi) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार या मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना, संपर्क कार्य, उत्खनन और पारेषण का खराब होना;
- (vii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;
- (viii) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना;
- (ix) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिरना;
- (x) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग (जैसे 'बम्प') का अचानक खराब होना;
- (xi) जमीन के नीचे कार्य करते समय विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;
- (xii) किसी भी यंत्र या उपकरण के आवश्यक पुर्जे का टूटना, फ्रैक्चर या खराब होना जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xiii) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;

(xiv) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; ब्लोआउट;

(xv) किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश से उत्पन्न स्पार्क जिससे कोई व्यक्ति जल सकता है;

(xvi) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन;

(4) नियोक्ता उन दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का अभिलेख रखेगा, जो उसके प्रतिष्ठापन में घटित हुई हैं।

9. धारा 12 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन कतिपय बीमारी का नोटिस.—(1) यदि किसी प्रतिष्ठापन में कोई कर्मकार किसी बीमारी के संपर्क में आता है, तो नियोक्ता प्ररूप-7 में निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता, मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता और जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उस तारीख, जिसको यह प्रतिष्ठापन के नियोक्ता की जानकारी में आया है, से सात दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक नोटिस भेजेगा।

(2) यदि कोई अर्हित चिकित्सा व्यवसायी किसी व्यक्ति का परीक्षण करता है जो किसी प्रतिष्ठापन में नियोजित है या नियोजित किया गया है और जिसका अर्हित चिकित्सा व्यवसायी को विश्वास है कि वह किसी बीमारी से ग्रस्त है या उसके ग्रस्त होने का विश्वास है, तो वह 48 घण्टों के भीतर मुख्य निरीक्षक एवं प्रसुविधाप्रदाता को तत्काल निम्नलिखित कथन करते हुए इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक रिपोर्ट भेजेगा:—

(क) रोगी का नाम और पूरा डाकपता

(ख) रोग जिससे रोगी के ग्रस्त होने का उसका विश्वास है; और

(ग) कारखाने का नाम और पता जिसमें रोगी नियोजित है या अनंतिम नियोजित था।

10. धारा 13 के खण्ड (घ) और (छ) के अंतर्गत कर्मचारी के कर्तव्य.—(1) यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, या प्रबंधक या सुरक्षा अधिकारी को जितनी जल्दी संभव हो, इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा लिखित में सूचित करेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रतिष्ठान में अपने कार्य-घण्टों के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदत्त पहचान-पत्र साधरणतया पहनेगा या अपने पास रखेगा। कर्मचारी, यदि उसका पहचान-पत्र खो जाता है या क्षतिग्रस्त होता है, तो लिखित रूप में अपने नियोक्ता को रिपोर्ट करेगा। कोई भी कर्मचारी कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा।

11. धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आसन्न खतरे की मौजूदगी की रिपोर्ट.—कर्मचारी से सूचना की प्राप्ति पर और यदि नियोक्ता या किसी कर्मचारी को किसी समय, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में युक्तियुक्त संशय की संभावना हो, तो नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा या दूरभाष से भेजेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

12. धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य परामर्शी बोर्ड का गठन, प्रक्रिया और अन्य मामले.—(अ) राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

(क)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/(श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	श्रमायुक्त (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य सचिव;

(ग)	संयुक्त श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य;
(घ)	उप-निदेशक कारखाना, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य;
(ङ)	निदेशक अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य;
(च)	निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य;
(छ)	सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	पदेन सदस्य;
(ज)	निदेशक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	पदेन सदस्य;
(झ)	स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि;	
(ञ)	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का प्रतिनिधि;	
(ट)	राज्य सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों या महासंघों से दो प्रतिनिधि;	
(ठ)	नियोक्ता प्रतिष्ठापन (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट) के दो प्रतिनिधि;	
(ड)	राज्य सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबद्ध एक प्रख्यात व्यक्ति।	

(आ) पदावधि:-

(क) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व हटा सकेगी।

(ख) कोई गैर-सरकारी सदस्य, किसी भी समय, राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा तथा उसका पद उसके त्याग-पत्र की स्वीकृति की तारीख से रिक्त समझा जाएगा।

(इ) कारबार का निपटारा:-

(क) बोर्ड की वर्ष में एक बैठक होगी या जैसा प्रायः अध्यक्ष द्वारा नियत किसी समय और स्थान पर धारा 17 (1) में यथाविनिर्दिष्ट कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए; की जाएगी;

(ख) बोर्ड की बैठक अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सदस्य-सचिव द्वारा बुलाई जाएगी;

(ग) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में श्रमायुक्त द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी;

(घ) सामान्यतः बोर्ड की प्रस्तावित बैठक का सदस्यों को पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा:

परन्तु किसी आवश्यक महत्व के मामले में कम अवधि का नोटिस भी दिया जा सकेगा;

(ङ) किसी भी कारबार, जो कारबार की सूची में नहीं है, पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा;

(च) कोई भी कारबार तब तक संव्यवहृत नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी बैठक में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों:

परन्तु यदि किसी बैठक में छह से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष सदस्यों को सूचित करके बैठक को किसी और तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा और अन्य सदस्यों को ऐसा नोटिस देकर कि वह स्थगित बैठक में कारबार का निपटान करना प्रस्तावित करता है चाहे उस तारीख को विहित गणपूर्ति हो या नहीं और तदुपरि सदस्यों की संख्या का विचार किए बिना बैठक में कारबार का निपटान करना विधिपूर्ण होगा;

(छ) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसी दर, जैसी राज्य सरकार के निम्नतम वर्ग-I राजपत्रित अधिकारी को अनुज्ञेय है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(ज) बोर्ड की बैठक में किया गया प्रत्येक विनिश्चय कार्यवृत्त-पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

(ई) राज्य परामर्श बोर्ड के कृत्य:-

(1) बोर्ड, प्रतिष्ठानों के समस्त वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) बोर्ड, पूर्वगामी खंड में प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) कारखानों में दुर्घटनाओं, गैस रिसाव, अग्नि आदि को कम करना। इसके प्रयोजन के लिए बोर्ड निरीक्षण, मॉक ड्रिल की प्रक्रिया और बारंबरता तथा समस्त गंभीर दुर्घटनाओं की जांच अधिकथित कर सकेगा;

(ख) किसी प्रतिष्ठापन में समस्त ऐसी दुर्घटनाओं का पुनर्विलोकन, जहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ग) बोर्ड के कार्यकलापों पर उसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(घ) लेखाओं का उचित अनुरक्षण;

(ङ) बोर्ड के कार्यों के निपटान हेतु या बोर्ड के उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न मामलों में परामर्श हेतु समितियों का गठन;

(च) की गई किसी संविदा या करार की पूर्णता सुनिश्चित करना;

(छ) किसी व्यक्ति को बातचीत करने और संविदा निष्पादित करने तथा समस्त ऐसी संविदाओं को रद्द करने या उनमें फेर-फार करने हेतु प्राधिकृत करना;

(ज) बैंक में खाता खोलना और बोर्ड के अधिकारियों को उनको प्रचालित करने में साथ-साथ बोर्ड की ओर से चैक, विभिन्न-पत्र आदि आहरित करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, निष्पादित करना;

(झ) बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगाने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु नियम अधिकथित करना; और

(ज) बोर्ड के कार्यों के दक्ष प्रशासन हेतु सचिव या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को, जो आवश्यक हो, वे समस्त या इसकी कोई शक्तियां समय-समय पर प्रत्यायोजित करना;

13. धारा-17 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य परामर्श बोर्ड की तकनीकी समिति या परामर्श समिति.— राज्य सरकार, राज्य परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार या राज्य परामर्श बोर्ड को उनके कृत्यों का निवेदन करने में सहायता प्रदान करने हेतु अनेक तकनीकी समितियां या परामर्श समितियां गठित कर सकेंगी। तकनीकी समिति में श्रम एवं रोजगार विभाग की कारखाना शाखा से कम से कम दो अधिकारी सम्मिलित होंगे। इन समितियों के सदस्यों की पदावधि, कृत्य, प्रक्रिया और भत्ते ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित किए जाएं।

14. धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति.— (1) प्रत्येक प्रतिष्ठापन में:—

- (क) जिसमें सामान्यतः या 150 या इसमें अधिक कर्मचारी नियोजित हैं; या
- (ख) जिसमें संहिता की धारा 82 के अधीन खतरनाक होने के लिए घोषित प्रचालन की कोई प्रक्रिया चलाई जाती है; या
- (ग) जिसमें संहिता की धारा 2(1) या (ख) के अधीन यथापरिभाषित 'संकटमय प्रक्रिया' चलाई जाती है, सुरक्षा समिति गठित की जाएगी।

(2) सुरक्षा समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- (क) नियोक्त सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होगा
- (ख) कोई वरिष्ठ अधिकारी, जो संगठन में अपने पद द्वारा समिति के कार्यकरण में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकता है, उपाध्यक्ष होगा।
- (ग) कोई सुरक्षा अधिकारी, जो नियमों द्वारा अपेक्षित हो या उत्पादन विभाग का कोई उत्तरदायी व्यक्ति, समिति का सचिव होगा।
- (घ) उत्पादन, अनुरक्षण और क्रम विभाग से एक-एक प्रतिनिधि
- (ङ) कर्मचारियों में से उनकी आम सहमति से चयनित कम से कम छह प्रतिनिधि

(3) समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(4) सुरक्षा समिति, जब-जब आवश्यक हो, किन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी; बैठक के कार्यवृत्त, अनुवर्ती कार्यवाई योजनाओं सहित रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे तथा मांगने पर निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को पेश किए जाएंगे। उसकी एक स्कैन की गई प्रति कारखाना के निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा भेजी जाएगी।

(5) जहाँ तक कारखाने का संबंध है, दुर्घटनाओं पर आंकड़ों के साथ-साथ कार्यशील पर्यावरण की निगरानी के परिणामस्वरूप आंकड़ें तथा संकटमय पदार्थों के संपर्क में आए कर्मचारियों के स्वास्थ्य के आंकड़े :

परन्तु समिति कर्मचारियों के कार्यशील पर्यावरण और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुधारने के उपायों पर आंकड़ों का उपयोग करने के लिए वचनबंध करती हो।

(6) सुरक्षा समिति के कृत्यों और कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित है.—(क) प्रतिष्ठापन की 'स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति' में उल्लिखित अभिप्रायों और उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंधन के साथ सहायता और सहयोग करना;

- (ख) स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी समस्त मामलों का निपटान करना तथा पेश आई समस्याओं के हल ढूँढना;
- (ग) समस्त कर्मचारियों के मध्य सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करना;
- (घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन—कार्यकलापों को वचनबध करना;
- (ङ) सुरक्षा, पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सुरक्षा संपरीक्षण, जोखिम निर्धारण, आपात और आपदा प्रबंधन योजनाओं पर रिपोर्टों पर चर्चा करना तथा रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;
- (च) स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण करना तथा दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना;
- (छ) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को आसन्न खतरे की संभावना पर की गई किसी शिकायत की जाँच करना तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना; और
- (ज) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना—
- (i) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच कर रिपोर्ट पर चर्चा करना तथा समुचित सिफारिश करना;
- (ii) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित समुचित सुरक्षा अभियान विरचित और कार्यान्वित करना;
- (iii) सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों पर संचार हेतु मंच के रूप में उपयोग करना; और

(7) विभिन्न प्रचालनों हेतु तैयार मानक प्रचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, जहां प्रतिष्ठापन के आकार के कारण या किसी अन्य कारण से उप-नियम (5) में निर्दिष्ट कृत्य सुरक्षा समिति द्वारा प्रभावी ढंग से निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, वहां यह, जैसी इसकी सहायता के लिए अपेक्षित हों, उप-समितियां गठित कर सकेंगी:

परंतु किसी प्रतिष्ठापन में, जिसमें सामान्यतया 1000 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, तो विभागवार या अन्यथा कम से कम दो उप-समितियां गठित की जाएंगी और विभागीय— प्रमुख की पंक्ति का कोई कर्मचारी समिति का प्रमुख होगा। बैठक के कार्यवृत्त सुरक्षा समिति के सचिव के साथ सांझा किए जाएंगे।

(8) सुरक्षा समिति का गठन कारखाने के निरीक्षक— एवं— सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संसूचित किया जाएगा।

15. धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी.—(1) प्रत्येक प्रतिष्ठापन में जो कोई—

- (i) कारखाना है, जिसमें 500 या इससे अधिक कामगार हैं; या
- (ii) खतरनाक प्रक्रिया निष्पादित करने वाला कारखाना है, जिसमें 250 कर्मकार या इससे अधिक कर्मकार हैं;
- (iii) भवन और अन्य सन्निर्माण संकर्म, जिसमें सामान्यतया 250 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं; या
- (iv) प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रतिष्ठापन, उसमें कर्मकारों की संख्या पर विचार किए बिना, नियोक्ता द्वारा कम से कम सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा:—

- (क) परंतु, उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी कारखाने के लिए, एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या 1000 से अधिक किन्तु 1500 से अनधिक है तो प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कर्मकारों हेतु एक अन्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा;
- (ख) उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठापन हेतु, एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक किन्तु 750 से अनधिक है। तो प्रत्येक अतिरिक्त 500 कर्मकारों हेतु एक अन्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा;
- (2) अर्हताएं, कर्तव्य और अन्य अपेक्षाएं ऐसी होंगी, जैसी इस नियम से संलग्न अनुसूची में दर्शाई गई है।

अनुसूची

1. कोई व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह,—

- (क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में कोई उपाधि न रखता हो तथा उसके पास किसी कारखाने में उत्पादन या अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में किसी पर्यवेक्षणीय हैसियत में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव न हो; या
- (ख) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की भौतिकी विज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि न रखता हो तथा किसी कारखाने में उत्पादन या अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में किसी पर्यवेक्षणीय हैसियत में कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव न रखता हो; या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में कोई डिप्लोमा न रखता हो तथा किसी कारखाने में उत्पादन या अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में किसी पर्यवेक्षणीय हैसियत में कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव न रखता हो; या
- (ग) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में कोई मान्यताप्राप्त उपाधि रखता हो तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो; या
- (घ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में कोई मान्यताप्राप्त उपाधि रखता हो तथा उद्योग में या किसी संस्थान में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान संबंधी कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो; और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखता हो या स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण या अग्नि इंजीनियरिंग में बी0टेक/एम0टेक डिग्री या स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या विधि द्वारा सम्यक रूप से स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो:

परंतु मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापनों के किसी वर्ग के लिए, लिखित रूप में, शर्तों सहित खंड(च) की बाबत अर्हता में छूट प्रदान कर सकेगा।

2. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य.—सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य कारखाना प्रबंधन को, व्यक्तिगत क्षतियों के निवारण और सुरक्षित कार्यशील पर्यावरण अनुरक्षित करने संबंधी इसके दायित्वों कानूनी या अन्यथा को पूर्ण करने में परामर्श देना और सहायता करना होंगे। इन कर्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे, अर्थात:—

- (क) विभागीय प्रमुखों, पर्यवेक्षकों और अन्य ऐसे अधिकारियों को व्यक्तिगत क्षतियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों के नियोजन और संगठन में परामर्श देना;
- (ख) समस्त कार्य— अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर परामर्श देना तथा चयनित कार्यों का विस्तृत कार्य सुरक्षा अध्ययन कार्यान्वित करना;
- (ग) व्यक्तिगत क्षतियों को निवारित करने हेतु कृत या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई के प्रभाव की जांच तथा मूल्यांकन करना;
- (घ) भण्डार क्रय विभाग के क्रार्मिक को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कारों आदि की उच्च गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने में परामर्श देना;
- (ङ) कार्य की भौतिक स्थितियों और कर्मचारियों द्वारा अनुसरित कार्य पद्धति प्रक्रियाओं का प्रेक्षण करने के लिए संयंत्र सुरक्षा निरीक्षणों को कार्यान्वित करने संबंधी मामलों पर परामर्श देना तथा असुरक्षित भौतिक स्थितियों को कम करने और कर्मचारियों के लिए असुरक्षित स्थितियों को निवारित करने के लिए अंगीकृत किए जाने वाले उपायों पर परामर्श देना;
- (च) औद्योगिक दुर्घटनाओं और रोगों की रिपोर्टिंग और अन्वेषण संबंधी मामलों पर परामर्श देना;
- (छ) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना और प्रबंधन को सुधारक उपायों का सुझाव देना;
- (ज) औद्योगिक रोग ग्रस्त मामलों तथा संहिता की धारा 10 और 11 के अधीन रिपोर्ट करने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना;
- (झ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और औद्योगिक रोगों संबंधी ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण पर परामर्श देना, जो आवश्यक हो;
- (ञ) सुरक्षा समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना तथा ऐसी समितियों के परामर्शदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;
- (ट) संबंधित विभाग के सहयोग से अभियान, स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना, जो कार्य और प्रक्रिया की सुरक्षा स्थितियों को स्थापित करने और अनुरक्षित करने में कर्मचारियों की रुचि विकसित और अनुरक्षित करेगा;
- (ठ) सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित त्रैमासिक रिपोर्ट, पूर्ववर्ती तिमाही हेतु उसके या सुरक्षा विभाग द्वारा प्रतिष्ठापन में कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वाच्छता को प्रोत्साहित करने में कार्य की बाबत उसके नियोक्ता के माध्यम से क्षेत्र के निरीक्षक— एवं—सुविधा प्रदाता को प्रस्तुत करना। एक से अधिक सुरक्षा अधिकारी की दशा में रिपोर्ट मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी;
- (ड) व्यक्तिगत क्षतियों के निवारण हेतु या तो स्वतंत्र रूप से या औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों, विभागों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम डिजाइन और संचालित करना तथा वर्ष में कम से कम एक बार सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना; और
- (ढ) दुर्घटनाओं और औद्योगिक रोगों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उनके उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना तथा इसे निदेशक—मण्डल की वार्षिक बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना।

3. प्रास्थिति.—मुख्य सुरक्षा अधिकारी का ऐसे कारखानों की दशा में, जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है, सुरक्षा अधिकारी को विभागीय प्रमुख या कारखाने में वरिष्ठ कार्यकारी की प्रास्थिति दी जाएगी तथा वह सीधे कारखाने के मुख्य कार्यकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। प्रत्येक अन्य सुरक्षा अधिकारी को कारखाने में अन्य विभागीय प्रमुखों से ठीक नीचे का पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रास्थिति के अनुरूप समुचित प्रास्थिति दी जाएगी:

परंतु जहां सुरक्षा अधिकारी या मुख्य सुरक्षा अधिकारी की प्रास्थिति के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, वहां मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

4. अन्य कर्तव्यों के पालन में निषेध.—कोई सुरक्षा अधिकारी कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा, जो इस नियम में विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों के पालन में असंगत या हानिकर हो।

कार्य के घण्टे और मजदूरी संहित वार्षिक छुट्टी

16. धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन साप्ताहिक अवकाश.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के वर्ग को कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग को उक्त अधिसूचना में दी गई शर्तों के अध्याधीन, धारा 26 की उपधारा (2)के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।

17. धारा 27 के अधीन किसी दिन में या किसी सप्ताह में अधिसमय घण्टों की कुल संख्या.—(1) यदि किसी प्रतिष्ठापन में कोई कर्मकार, यथास्थिति, किसी दिन आठ घण्टे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक कार्य करता है, तो वह ऐसे अधिसमय-कार्य के लिए उसकी मजदूरी की सामान्य दर के दो गुणा मजदूरी के लिए हकदार होगा जो उसे प्रत्येक मजदूरी- अवधि के अंत में संदत्त की जाएगी।

(2) किसी दिन अधिसमय की गणना करते समय घण्टे का 15 से 30 मिनट के मध्य कोई अंश 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक की दशा में इसे पूर्णांकित किया जाएगा और इसे वास्तविक आधार पर घण्टे के रूप में गिना जाएगा।

(3) किसी कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक-आधार पर संदाय किया जाता है, मजदूरी या कमाई की गणना करते समय दैनिक मजदूरी उसकी मासिक मजदूरी का $1/26$ होगी; और किसी अन्य कर्मकार की दशा में यह यथास्थिति, दैनिक मजदूरी या कमाई होगी।

(4) कारखानों और भवन तथा अन्य सन्निर्माण में निम्नलिखित संकर्मों और परिस्थितियों के अंतर्गत किसी एक दिन में कर्मकारों के लिए परिव्याप्त साढ़े दस घण्टे से अधिक होगा, अर्थात:—

(क) आवश्यक मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक या पूरक कार्य की प्रकृति में संकर्म;

(ग) कार्य जो आवश्यक रूप से इतने आंतरायिक है कि ड्यूटी पर रहते हुए मध्यांतर जिसके दौरान वे कार्य नहीं करते सामान्यतया विश्राम हेतु मध्यांतरों से अधिक हो जाते हैं;

(घ) कार्य, जो तकनीकी कारणों से आवश्यक रूप से निरंतर कार्यान्वित किए जाने हैं;

(ङ) मुख्य आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने या उनकी आपूर्ति करने में लगे, जो प्रतिदिन आवश्यक कमाई या आपूर्ति की जानी चाहिए;

(च) किसी प्रक्रिया में लगे होना, जो नियत काल के दौरान के सिवाय कार्यान्वित नहीं किए जा सकते हैं;

- (छ) किसी प्रक्रिया में लगे होना, जो प्राकृतिक ताकतों की अनियमित क्रियाओं पर निर्भर समय के सिवाय कार्यान्वित नहीं किए जा सकते हैं;
- (ज) इंजन कक्षों या बाएलर गृहों में लगे होना या विद्युत संयंत्र या पारेषण मशीनरी में कार्यरत;
- (झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगे होना;
- (ञ) रेलवे वैगन या लॉरी या ट्रक लादने या उतारने में लगे होना;
- (ट) कार्य का आपवादिक प्रैस और किसी कार्य में लगे होना, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के किसी कार्य के रूप में अधिसूचित किया गया हो:

परंतु अधिसमय हेतु घण्टों की कुल संख्या निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी, अर्थात्:-

- (क) किसी दिन में अधिसमय कार्य सहित कार्य के घण्टों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी;
- (ख) परिव्याप्त, जिसके अंतर्गत विश्राम हेतु मध्यांतर है, किसी एक दिन में तेरह घण्टों से अधिक नहीं होगा;
- (ग) अधिसमय कार्य सहित किसी सप्ताह में कार्य के घण्टों की कुल संख्या साठ से अधिक नहीं होगी;
- (घ) किसी भी कर्मकार को, लगातार सात दिनों से अधिक अधिसमय कार्य करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और किसी तिमाही में अधिसमय- कार्य के घण्टों की कुल संख्या एक सौ बीस से अधिक नहीं होगी।

18. धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन कार्य की अवधि की सूचना को प्रदर्शित करना.—(1) कर्मचारियों के लिए कार्य की अवधि की सूचना प्ररूप संख्या 8 में होगी और इसको प्रतिष्ठापन में मुख्य प्रदेश द्वार पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। इसे धारा 31 के उपबंधों के अधीन अद्यतन करके भी रखा जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठान में उप-नियम (1) के अधीन के अनुसार से अन्यथा कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अधिसमय कार्य कर रहा है/रहे हैं तो ऐसे घण्टे की अवधि और ऐसे कर्मकारों की सूचना प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) संहिता के प्रारंभ के पश्चात् किसी प्रतिष्ठान के कार्य प्रारम्भ करने की दशा में, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रति उस दिन से पूर्व जब कार्य प्रारम्भ किया जाता है, इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता को भेजी जाएगी।

रजिस्ट्रों, अभिलेखों और विवरणियों का अनुरक्षण

19. धारा 33 के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रों का अनुरक्षण.—(1) प्रत्येक प्रतिष्ठापन का नियोक्ता कर्मकारों के रजिस्टर निम्नानुसार अनुरक्षित करेगा:-

- (1) कामगारों, मजदूरी, अधिसमय, जुर्माना, क्षति या हानि के लिए कटौती हेतु प्ररूप-9 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा तथा कार्यालय में या प्रतिष्ठापन की परिसीमा के भीतर निकटतम सुविधाजनक भवन में उपलब्ध रखा जाएगा।
- (2) प्रत्येक प्रतिष्ठापन का नियोक्ता प्रत्येक कर्मकार की बाबत प्ररूप-10 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा मजदूरी सहित छुट्टी का अभिलेख रखेगा;

(2) इस संहिता और इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त रजिस्टर, प्ररूप, प्रमाण-पत्र, अभिलेख, जिसके अंतर्गत कर्मकारों के परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख भी हैं, जिससे वे संबंधित हो, उससे तीन वर्ष के लिए परिरक्षित किए जाएंगे। ऐसे कर्मकारों का चिकित्सा अभिलेख, जिनको जो सूचनीय रोगग्रस्त है या जिनको अनुपयुक्त घोषित किया गया है या जो व्यावसायिक रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त हो, पांच वर्ष के लिए परिरक्षित किया जाएगा;

(3) संहिता और इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त रजिस्टर और अभिलेख निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता या चिकित्सा अधिकारी को मांग पर पेश किया जाएगा या दर्शाया जाएगा।

20. धारा 33 के खंड (ख) के अधीन सूचनाओं को प्रदर्शित करना.—प्रत्येक नियोक्ता, प्रतिष्ठापन की वेबसाइट पर कार्य के घण्टे, मजदूरी-अवधि ऐसी मजदूरी के संदाय की तारीख, पिछले पांच वर्ष के लिए प्रतिष्ठापन में दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं के ब्यौरें, ऐसे प्रतिष्ठापन की अधिकारिता वाले निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता का नाम और पता दर्शाने वाली सूचना बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करेगा:

परन्तु यदि प्रतिष्ठापन की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो प्रतिष्ठापन के कार्यस्थल या कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी तथा इसे स्वच्छ और सुपाठ्य स्थिति में अनुरक्षित किया जाएगा।

21. धारा 33 के खंड (घ) के अधीन विवरणी फाइल करने की रीति.—किसी प्रतिष्ठापन का प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रतिष्ठापन की बाबत कोई विवरणी प्ररूप-11 में दो प्रतियों में प्रतिवर्ष प्रथम फरवरी को या उससे पूर्व अधिकारिता वाले निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को भेजेगा:

परन्तु यदि किसी कारखाने में, जिसमें कार्य वर्ष की केवल कतिपय अवधि या अवधियों के दौरान ही किया जाता है, तो नियोक्ता, यथास्थिति, उस अवधि या अंतिम अवधि की समाप्ति के पश्चात् 15 दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता और अन्य प्राधिकारी

22. धारा 34 की उप-धारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक-एवं -सुविधाप्रदाता के पद के लिए अर्हता.—श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश मुख्य निरीक्षक-एवं -सुविधा प्रदाता होगा।

23. धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (x) के अधीन किसी वस्तु या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति.
— (1) कोई निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता किसी प्रतिष्ठापन में किसी वस्तु या पदार्थ के नमूने प्रतिष्ठापन के नियोक्ता को सूचित करते हुए वेब-आधारित पोर्टल के अधीन अधिदिष्ट निरीक्षण स्कीम के अनुसार इसमें यहां इसके पश्चात् उपबंधित रीति में लेगा। प्रतिष्ठापन में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित किसी पदार्थ का कोई पर्याप्त नमूना, ऐसा उपयोग—

- (क) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता के विश्वास में इस संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में; या

(ख) निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता की राय में, प्रतिष्ठापन में कर्मचारी को संभाव्य शारिरिक क्षति कारित करना या उसके स्वास्थ्य को क्षति करना।

(2) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता, लिखित रूप में सरकारी विश्लेषक या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) से विश्लेषण हेतु नमूने लेने का अनुरोध कर सकेगा।

(3) यदि निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता उप-नियम (1) के अधीन नमूने लेता है, तो वह नियोक्ता या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में नमूनों को तीन भागों में विभाजित करेगा, और उनको प्रभावी ढंग से सील बंद करेगा, उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा तथा ऐसे व्यक्ति को उनकी सील लगाने/जोड़ने और उसको चिह्नित करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(4) नियोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, यदि किसी निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता ऐसी अपेक्षा करे, इस धारा के अधीन लिए गए नमूने को विभाजित करने, सील करने और चिह्नित करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(5) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता-

(क) नमूने का एक भाग तुरंत उपनियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को देगा;

(ख) दूसरे भाग को तुरंत सरकारी विश्लेषक या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) को विश्लेषणार्थ और उस पर रिपोर्ट के लिए भेजेगा;

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय, जिसके समक्ष पदार्थ की बाबत कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रारंभ की गई है, के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रतिधारित करेगा।

(6) इस धारा के अधीन विश्लेषण और रिपोर्ट हेतु उसे प्रस्तुत किसी पदार्थ पर किसी सरकारी विश्लेषक या एन.ए.बी.एल. प्रत्यायोजित प्रयोगशाला के हस्ताक्षराधीन कोई रिपोर्ट कहे जाने हेतु तात्पर्यित कोई दस्तावेज पदार्थ की बाबत संस्थित किसी कार्यवाही में किसी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(7) ऐसे नमूने को लेने के लिए तथा तत्पश्चात् विश्लेषण के लिए उपगत लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

24. धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (14) के अधीन निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता की अन्य शक्तियां और कर्तव्य.-किसी निरीक्षक-सह-प्रसुविधा प्रदाता को इस संहिता के अधीन उसको समनुदेषित शक्तियों का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित समस्त या किसी कार्य को करने की भी शक्तियां होगी:-

(क) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् जो आवश्यक समझा जाए, संहिता और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधों स्वास्थ्य और कार्य-शर्तों के अननुपालन को इंगित करते हुए नियोक्ता या स्वामी को प्रतिषेध या सुधार सूचना जारी करेगा।

(ख) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण पर, सुनिश्चित करेगा कि किसी पूर्ववर्ती निरीक्षण पर अधिसूचित किन्ही कमियों को किस विस्तार तक सुधारा गया है तथा पूर्ववर्ती जारी नोटिसों का पालन किया गया है। उसके निष्कर्ष और कोई कमियां, जो निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आए, संहिता के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश सहित अभिलिखित और अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ग) सन्निर्माण स्थल संबंधी प्रतिषेध आदेश.-

- (क) इस संहिता की धारा 38(2)(क) में यथाविहित प्रतिबंध आदेश निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा केवल ऐसे स्थल के सम्यक निरीक्षण के पश्चात् पारित किया जाएगा और ऐसा आदेश कामगारों के जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य या ऐसे स्थल पर आम जनता को आसन्न खतरे की ऐसी शर्तों की पूर्ण ब्यौरे समाविष्ट करते हुए तर्कपूर्ण तथा सकारण होना चाहिए।
- (ख) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता ऐसे प्रतिषेध आदेश की प्रति तुरंत मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को संचार की अन्य रीति के अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक रीति में भेजेगा।
- (ग) संहिता की धारा 38(3) में यथाविहित अपीलीय प्राधिकारी अर्थात्, यथास्थिति, निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता या समुचित सरकार, नियोक्ता या ऐसे सन्निर्माण स्थल के प्रभारी के आवेदन पर कोई अंतर्वादीय आदेश, जिसके अन्तर्गत स्थगन या ऐसे प्रतिषेध आदेश के प्रवर्तन का उपांतरण है, ऐसी अपील के गुणागुण पर निपटान तक पारित कर सकेगा।
- (घ) कोई अधिकारी जो इस संहिता के अधीन निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता की समवर्ती शक्ति का प्रयोग कर रहा है, संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता, जो उस क्षेत्र पर प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, के साथ, उसी मामले/विवाद का संज्ञान या तो नए सिरे से या प्रत्याह्वान आदि द्वारा नहीं लेगा, जिस पर संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता ने पहले ही मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संज्ञान ले लिया हो।

25. धारा 37 के अधीन पैनलित विशेषज्ञों की विशेष अर्हता और अनुभव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व.—पैनलित किए जाने वाले विशेषज्ञों के लिए अर्हता और अनुभव ऐसे होंगे, जैसे तृतीय पक्ष संपरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम में अधिसूचित किए गए हैं।

26. वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की धारा 38 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (घ) के अधीन की रीति.—(1) किसी व्यक्ति को, जिसका रोजगार धारा 38 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी आदेश द्वारा प्रभावित हुआ है, को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना अधिभोगी का कर्तव्य होगा यदि उसी नियोक्ता का कोई अन्य प्रतिष्ठापन एक सौ किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर विद्यमान है;

(2) वैकल्पिक रोजगार केवल तभी प्रस्थापित किया जा सकेगा, जब आदेश द्वारा प्रभावित रोजगार की अवधि 15 दिन या अधिक है;

(3) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आदेश की वास्तविक तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा;

(4) मजदूरी और अन्य सुविधाएं ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए प्रभावित नहीं की जाएगी।

27. चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के लिए धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन अर्हता.—कारखानों, खानों पौधारोपण, मोटर परिवहन उपक्रमों और भवन एवं अन्य सन्निर्माण के संबंध में इस संहिता के प्रायोजनों के लिए चिकित्सा अधिकारी कोई चिकित्सा व्यवसायी होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में यथापरिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखता है तथा जो भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित है।

28. चिकित्सा अधिकारी के धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कर्तव्य.—(1) चिकित्सा अधिकारी, संहिता की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन किसी संदर्भ की प्राप्ति पर चिकित्सा परीक्षा हेतु तारीख समय और स्थान की बाबत पूर्व सूचना देने के पश्चात् और ऐसी परीक्षा के लिए भेजे गए व्यक्ति की परीक्षा पर आयु और उपयुक्तता प्रमाण – पत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति प्रतिधारित करने के पश्चात् उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक को परिदत्त करेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु के अवधारणा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, विकिरण विज्ञानी, दंत चिकित्सक और अस्थि शल्य चिकित्सक जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकेगा।

(3) चिकित्सा अधिकारी ऐसी परीक्षा कार्यान्वित करेगा और ऐसी रिपोर्ट देगा जैसी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे,—

- (क) संहिता की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठापन में ऐसे खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में कामगारों की परीक्षा और प्रमाणन के लिए;
- (ख) किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के वर्ग के चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए, जहां कार्यान्वित किसी प्रक्रिया की कठिन प्रकृति या कार्य की संकटमय स्थिति के कारण दीर्घकालिक व्यावसायिक रोग घटित हुए हैं;
- (ग) किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के वर्ग या प्रतिष्ठापन के प्रकार की बाबत जिन प्रक्रियाओं में नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य को क्षति का कोई जोखिम अंतर्वलित है;
- (घ) किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के किसी वर्ग के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आरंभ करना, जहां रोग के मामले घटित हुए हैं या संहिता की तृतीय अनुसूची में यथाविहित रोगों का प्रसार है;
- (ङ) किसी प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के वर्ग में रोजगार हेतु किशोरों की आयु का मूल्यांकन करना और उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करना।

महिलाओं के नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबंध

29. प्रतिष्ठापन में महिलाओं का धारा 43 के अधीन नियोजन.— किसी प्रतिष्ठापन में महिला-कर्मचारी को प्रातः छह बजे से पूर्व और सायं सात बजे के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकेगा.—

1. कोई महिला-कर्मचारी उसकी सहमति के बिना प्रातः छह बजे से पूर्व और सायं सात बजे के पश्चात् कार्य करने के लिए आवद्धकर नहीं होगी।
2. किसी महिला-कर्मचारी से किसी दिन आठ घण्टे से अधिक और किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु धारा 27 और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू रहेंगे।

3. कोई महिला सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन अधिकथित प्रसूति प्रसूविधा उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं की जाएगी।
4. महिला कर्मचारियों को उनके निवास से ले जाने और छोड़ने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
5. अधिभोगी, सत्यापन हेतु क्षेत्र के निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को उसके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था ऐसे सत्यापन हेतु न्यूनतम सात दिन की अवधि प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
6. नियोक्ता ऐसे कार्य-घण्टों और उसकी यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा

7. नियोक्ता न केवल प्रतिष्ठापन के भीतर, किन्तु प्रतिष्ठापन के भीतर, किन्तु प्रतिष्ठापन के आसपास भी और उन समस्त स्थानों पर, जहां महिला कर्मचारी ऐसी पारी के दौरान आवश्यकतानुसार जा सकेगी, प्रकाश की व्यवस्था करेगा।
8. नियोक्ता समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा और किसी अन्य आवश्यकता के समय आवश्यक दूरभाष कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगा तथा जहां किसी शिफ्ट में एक सौ से अधिक महिला कर्मचारी नियोजित है, तो जब कभी क्षति या उत्पीड़न आदि की घटनाओं का मामला हो, अस्पताल में भर्ती करना जैसी आपात स्थिति का सामना करने हेतु कोई पृथक मान तैयार रखा जाए।
9. जहां कहीं प्रतिष्ठापन महिला कर्मचारियों को खान-पान और आवास की व्यवस्था प्रदान करता है, तो उनको महिला वार्डन या पर्यवेक्षक के नियंत्रणाधीन अनन्यतया महिलाओं के लिए रखा जाएगा।
10. महिला कर्मचारी जो रात्रि शिफ्टों और नियमित शिफ्टों में कार्य करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधान नियोक्ता के साथ शिकायत दिवस के रूप में आठ सप्ताह में एक बार मासिक बैठक करेंगी तथा नियोक्ता समस्त न्यायसंगत और मुक्तियुक्त शिकायतों का पालन करने की कोशिश करेगा।
11. नियोक्ता, रात्रि शिफ्ट के दौरान लगाई गई कर्मचारियों के ब्यौरे के बारे में संहिता के अधीन पाक्षिक रिपोर्ट निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को भेजेगा और जब कभी कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो अभिव्यक्त रिपोर्ट संहिता के अधीन निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता और स्थानीय पुलिस थाना को भी भेजेगा।
12. प्रसाधन, वॉशरूम और पेयजल सुविधाएं कार्यस्थल के निकट होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत इन सुख-सुविधाओं से संबंधित उपयोगिताओं या सुविधाओं की ओर मार्ग, महिला-कर्मचारियों के लिए प्रदेश और वहिर्गमन द्वार सुप्रकाशित होने चाहिए।
13. सुरक्षित, सुनिश्चित और स्वस्थ कार्य दशाएं प्रदान करना ताकि किसी महिला कर्मचारी को उसके नियोजन के संबंध में असुविधा न हो।
14. प्रतिष्ठापन को यथा लागू महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

30. खतरनाक प्रचालनों में महिलाओं के नियोजन की धारा 44 के अधीन, पर्याप्त सुरक्षा.—राज्य सरकार प्रतिष्ठापनों के वर्ग और स्कीम तथा संकटमय और खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा हेतु मानदण्ड अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी।

संविदा श्रम के लिए विशेष उपबंध

- 31. अनुज्ञप्ति की धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन शर्तें.**— अनुज्ञप्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:—
1. कार्य के घण्टे संहिता की धारा 25 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे।
 2. मजदूरी का संदाय मजदूरी संहिता, 2019 और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
 3. यदि संविदाकार का संविदा कर्मकार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है, तो प्रसाधन वॉशरूम, पेयजल, यदि अपेक्षित हो, तो स्नान सुविधाएं, चेंजिंग रूम, प्राथमिक उपचार पेटिका, कंटीन और शिशुसदन जैसी सुविधाएं या सुख-सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्रधान नियोक्ता का होगा।

4. अन्य मामलों में, समस्त ऐसी सुविधाएं और हकदारियां संविदाकार द्वारा प्रदान की जाएंगी

5. यदि संविदाकार संविदा कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है, तो मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता या उसका प्रतिनिधि, जो संविदा कर्मकारों, जिनको संविदाकार को अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के अधीन अनुरक्षित सुरक्षा निक्षेप में से संदत्त नहीं किया गया है, को किए जाने वाले ऐसे संदाय को कारित करेगा।

32. संविदा श्रम अनुज्ञप्ति के लिए धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और रीति.— किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने हेतु किसी संविदाकार द्वारा प्रत्येक आवेदन श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल के माध्यम से प्ररूप-12 में आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक रूप में अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा।

33. अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु धारा 48 की उप-धारा (2) के अधीन प्रक्रिया.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप-13 में होगी।

(2) संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए एक हजार रुपए की दर पर परिकलित प्रतिभूति रकम, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, संविदाकार जमा करेगा।

(3) यदि जारी की गई संविदा-अनुज्ञप्ति का अवसान हो गया है, तो आवेदन प्ररूप के अनुरोध पर आधारित अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी नई अनुज्ञप्ति के लिए उसके आवेदन की बाबत प्रतिभूति निक्षेप समायोजित कर सकेगा।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु संदत्त की जाने वाली फीस नीचे यथाविनिर्दिष्ट होगी:—

Sl. No.	No. of Contract Labour in Establishment engaged through Contractor	Detail of fee in Rs./-
1.	0-49	Nil
2.	50-100	1000
3.	101-150	1500
4.	151-250	2000
5.	251-500	3000
6.	501-1000	5000
7.	1001-1500	10,000
8.	1501-2000	15,000
9.	2001-3000	20,000
10.	3001-4000	25,000
11.	4001-5000	30,000
12.	Above 5000	40,000

(5) प्रदत्त या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(क) अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी;

(ख) संविदाकार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या, किसी दिन, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति को, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकृत के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी;

(घ) संविदाकार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगी और यदि दरें करार समझौता या पंचाट द्वारा नियत की गयी है, तो वे इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी।

(ङ) संविदाकार का प्रतिष्ठापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे संविदाकार को तब जारी किया गया समझा जाएगा जब वह नियम 4 और नियम-33 में वर्णित फीस संदत्त करने के पश्चात् संविदा श्रम अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है।

34. अनुज्ञप्ति के संशोधन की धारा 48 की उप-धारा (3) के अधीन रीति.—(1) यदि अनुज्ञप्ति या उपांतरण या संशोधन हेतु आवेदन हर तरह से पूर्ण है तो अनुज्ञप्ति पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रदान की जाएगी:

परन्तु यदि किसी समय संविदाकार द्वारा आवेदन में की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो पोर्टल द्वारा स्वतः प्रदत्त अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी तथा फीस और प्रतिभूति निक्षेय समयहित की जा सकेगी।

(2) यदि उपांतरण हेतु आवेदन, संविदा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की बाबत है, तो नियम 33 के उप-नियम (4) के अधीन तत्स्थानी स्लैबों में विहित फीस और नियम 33 के उप-नियम (2) में यथाविहित अतिरिक्त प्रतिभूति के अंतर की अतिरिक्त फीस की रकम आवेदक द्वारा जमा की जाएगी।

35. संविदाकार के धारा 48 की उप-धारा (4) के अधीन उत्तरदायित्व.—(1) संविदाकार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगी।

(2) संविदाकार, उसके द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी मजदूरी बनाए गए नियमों के अधीन यथाविहित ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व संदत्त की जाएगी।

(3) प्रत्येक प्रधान नियोक्ता, संविदाकार द्वारा मजदूरी के संवितरण के समय उपस्थित रहने हेतु उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करेगा, और मजदूरी के रूप में संदत्त रकम को प्रमाणित करना ऐसे प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा।

(4) प्रधान नियोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का संवितरण सुनिश्चित करना संविदाकार का कर्तव्य होगा।

(5) ऐसे मामले में जहां संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकार वहीं या समान प्रकार का कार्य, जैसा प्रतिष्ठापन के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार द्वारा किया जाता है तो संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, कार्य के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें नहीं होगी, जो उसी या समान प्रकार के कार्य पर प्रतिष्ठापन के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू हैं। किसी ऐसे विवाद की दशा में कि क्या कार्य समान प्रकार का है, तो मामला निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(6) अन्य मामलों में संविदाकार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, कार्य के घण्टे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी संहिता और तदधीन बनाये गए नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट है।

(7) समस्त संविदा श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंधित उपबंधों के अधीन प्रयोज्यता के अध्याधीन ई.पी.एफ. ओ. और ई. एस. आई. सी. के सदस्य बनाए जाएंगे।

(8) संविदाकार अनुज्ञापन प्राधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में कोई परिवर्तन इलैक्ट्रॉनिक रूप से अधिसूचित करेगा।

36. कार्य आदेश की सूचना और सूचना हेतु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन समय सीमा.—जब कभी कोई संविदाकार किसी प्रतिष्ठापन से या तो प्रतिष्ठापन में संविदा श्रमिक की आपूर्ति करने के लिए या प्रतिष्ठापन में संविदा श्रमिक के माध्यम से संविदा निष्पादित करने के लिए कार्य आदेश प्राप्त करता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा ऐसे ब्यौरे से अंतर्दिष्ट जैसे प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता, जहां कार्य किया जा रहा है, संविदा कार्य के प्रारंभ की तारीख, उस कार्य आदेश के अधीन नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेश की अवधि, उस क्षेत्र, जहां प्रतिष्ठापन अवस्थित है की अधिकारिता वाले मुख्य निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता और निरीक्षक एवं— सुविधाप्रदाता को सूचित करेगा।

37. अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने की धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन रीति.—यदि संविदाकार पदाभिहित अधिकारी को सूचना देने में असफल रहता है, तो ऐसा प्राधिकारी कम से कम पन्द्रह दिन का कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् और संविदाकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को इलैक्ट्रॉनिक रूप में निलंबित या रद्द कर सकेगा।

38. धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी.—धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश की पंक्ति से अन्यून नहीं होगा।

39. मजदूरी के संदाय के लिए धारा 55 के अधीन उत्तरदायित्व.—(1) संविदाकार मजदूरी—अवधि नियत करेगा, जिसकी बाबत मजदूरी संदेय होगी तथा कोई मजदूरी—अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी प्रतिष्ठापन में या किसी संविदाकार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी, मजदूरी—अवधि जिसकी बाबत मजदूरी संदेय है के अंतिम दिन के पश्चात् सातवें दिन के अवसान से पूर्व संदत्त की जाएगी।

(3) मजदूरी केवल बैंक अंतरण के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से संवितरित की जाएगी।

40. प्रतिभूति निक्षेप से मजदूरी का धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन संदाय करना.—यदि संविदाकार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित संविदा श्रमिक को मजदूरी का संदाय नहीं करता है, तो मुख्य—निरीक्षक—एवं सुविधा प्रदाता या उसका प्रतिनिधि या सक्षम अधिकारी, जो अधिसूचित किया जाए किसी जांच को संचालित करेगा तथा संविदाकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संविदाकार द्वारा जमा की गई रकम से ऐसी मजदूरी, यदि कोई हो, का संदाय करने का आदेश पारित करेगा। संविदाकार पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रतिभूति निक्षेप पुनः देगा या अन्यथा उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित किए जाने हेतु दायी होगी।

41. धारा 56 के अधीन अनुभव प्रमाण पत्र.—प्रत्येक संबंधित संविदाकार मांग पर नियोजित संविदा श्रमिक को निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं से अंतर्दिष्ट अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करेगा:—

1. संविदाकार के लेटर हैड पर होना आवश्यक है
2. अभिवादन या घोषणा "किसी से भी संबन्धित"
3. संविदाकार का नाम और पता
4. प्रधान नियोक्ता का नाम और पता
5. प्रमाण—पत्र जारी करने की तारीख
6. अभिलेख के अनुसार कर्मचारी का नाम

7. नियोजन की अवधि (कार्याग्रहण की तारीख से कार्य भार मुक्ति की तारीख तक)
8. पदनाम या हैसियत
9. कार्य की प्रकृति और स्थान
10. टिप्पणियां
11. संविदाकार की मुद्रा और हस्ताक्षर

42. धारा 57 की उप-धारा (2) के खंड(ख) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति.—यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी प्रतिष्ठापन का कोई कार्यकलाप मुख्य कार्यकलाप है या नहीं, तो कथित पक्षकार समर्थकारी दस्तावेजों सहित कारण देते हुए श्रमायुक्त को आवेदन कर सकेगा, जो आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर इसे उस पर टिप्पण सहित राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

43. धारा 57 की उप-धारा(2) के खंड(ग) के अधीन रिपोर्ट करने की अवधि और प्रश्न विनिश्चित करने की अवधि.—यदि समुचित सरकार ऐसे किसी प्रश्न को स्वप्रेरणा से निर्दिष्ट करती है या धारा 57 की उप-धारा (2) के खंड(क) के अधीन आवेदन को पदाभिहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करती है, तो ऐसा पदाभिहित प्राधिकारी ऐसे प्रश्न या आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रश्न विनिश्चित करेगी।

अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार

44. अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार को धारा 61 के अधीन यात्रा भत्ता.—नियोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन के माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, अर्थात्:—

यदि उसने पूर्ववर्ती बारह माह में संबंधित प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) में कम से कम 180 दिन की अवधि के लिए काम किया है:

परन्तु यात्रा भत्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार अब काम कर रहा है और इस तरह के कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, तो नियोक्ता यात्रा भत्ता देगा।

45. टोल फ्री हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान करने की धारा 63 के अधीन रीति.—श्रम और रोजगार विभाग द्वारा अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों के प्रश्नों और शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्प-लाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

46. अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों का धारा 64 के अधीन अध्ययन.—राज्य सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकेगी। जब कभी अपेक्षित हो, राज्य सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल विशेषज्ञ संगठनों से भी परामर्श कर सकेगी।

श्रव्य-दृश्य कामकार

47. प्राधिकारी, जिसको उत्पादक द्वारा धारा 66 की उप-धारा (3)के अधीन करार की एक प्रति अग्रेषित की जाएगी.—यदि कोई श्रव्य-दृश्य कामकार उसको भविष्य निधि की प्रसुविधा प्रदान करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन आवृत है, तो श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम के उत्पादक द्वारा करार की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को भी अग्रेषित की जाएगी।

48. धारा 66 की उप-धारा (4)के खंड (vii) के अधीन विवाद समाधान प्रक्रिया और क्रियाविधि गठन और अन्य ब्यौरे.—किसी सुलह अधिकारी या अधिकरण को कोई विवाद निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

49. कारखाने, खानों का वर्ग और प्रकार तथा आवेदन प्रस्तुत करने की धारा 79 के अधीन पद्धति.—(अ) कारखाने की योजना प्रस्तुत करना.—(1) राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने के रूप में उपयोग में लिए जाने हेतु भवन/संरचना/परिसर जो संहिता के प्रारंभ होने की तारीख को या तो अस्तीत्व में था या जो तब से निर्मित या विस्तारित किया गया था, की योजनाओं को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) कोई भवन को तब तक निर्मित नहीं किया जाएगा या किसी कारखाने के रूप में उसे उपयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक ऐसे भवन की बाबत योजनाएं मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं।

(3) विधान कारखाने में तब तक कोई परिवर्धन/परिवर्तन/विस्तारण नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या विस्तारण मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते हैं।

(4) योजनाओं के अनुमोदनार्थ आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध प्ररूप-14 में जांच सूची चैक लिस्ट के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित पोर्टल के माध्यम से मुख्य निरीक्षण-एवं-सुविधा प्रदाता को किया जाएगा।

(5) योजना में समस्त आयाम मीट्रिक इकाईयों में उपदर्शित किए जाएंगे।

(6) नक्शे में रंग निम्नानुसार किया जाएगा:—

क्र० सं०	मद	स्थल और भवन नक्शा (सफेद पृष्ठभूमि पर)
1.	प्लॉट लाइन	मोटी काली
2.	भवन लाइनें	पतली काली
3.	खाली स्थल	कोई रंग नहीं
4.	अनुमोदित किया जाने वाला सन्निर्माण	नीले रंग से भरा गया
5.	ध्वस्त किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्य	पीले रंग से भरा गया
6.	प्रस्तावित सन्निर्माण	भूरे रंग से भरा गया
7.	जलनिकास और मल कार्य	लाल बिंदुओं से अंकित
8.	जलापूर्ति	हरे बिंदुओं से अंकित
9.	पहले से ही अनुमोदित सन्निर्माण	संतरी रंग से भरा गया
10.	संशोधित/परिवर्तित भवन	गुलाबी रंग से भरा गया
11.	अग्नि शमन का द्वार	संतरी रंग से भरा गया
12.	कोई अन्य	बैंगनी रंग से भरा गया

(7) भवन-योजनाएं केवल कम्प्यूटीकृत/इलैक्ट्रानिक रीति में अपलोड की जाएंगी और अधिभोगी के साथ-साथ मजबूती प्रमाण-पत्र के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की जाएंगी या भवन योजनाएं ऑटोकैड रीति में तैयार की जाएंगी और अधिभोगी के साथ-साथ मजबूती प्रमाण-पत्र के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित की जाएंगी।

(8) आवेदन के साथ भेजे जाने वाले स्थल- नक्शे को 500 वर्ग मीटर तक आकार वाले प्लॉटों के लिए 1:100 के पैमाने पर तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार वाले प्लॉटों के लिए 1:500 के पैमाने पर रेखांकित किया जाएगा। यह स्थल- नक्शा निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:-

- (क) समस्त सुसंगत ब्यौरे उपदर्शित करते हुए विभिन्न भवनों का नक्शा, ऊंचाई और आवश्यक अनुप्रस्थ परिच्छेद
- (ख) स्थल की सीमाएं और कोई समीस्थ विशेषताएं
- (ग) स्थल संबंधी उत्तरी बिन्दु की दिशा
- (घ) स्थल से सटी गलियां या सड़कें, उनकी चौड़ाई स्पष्टतया आगामी और नामों सहित, यदि कोई हो।
- (ङ) क्षेत्र गणनाएं जैसे भू-आवरण, तल क्षेत्र अनुपात, पार्किंग गणनाएं कोई अन्य सुसंगत गणनाएं, जो अपेक्षित हो।
- (च) अपशिष्ट जल मल और तूफान जल का निपटान या संकटमय अपशिष्ट का भण्डारण
- (छ) कारखाने के 500 मीटर के भीतर आने वाले भवन/नालियां/संरचनाओं /भौतिक विशेषताओं के ब्यौरे।
- (ज) 500 मीटर क्षेत्र के भीतर भूमि के ऊपर/नीचे प्रमुख शहरी सेवा बिन्दु (जैसे मल/जल पाइप,गैस पाइपलाइन, ट्रांसफॉर्मर,विद्युत खम्बे/लाइनें फोन वितरण बॉक्स आदि)।
- (झ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं

(आ) **नक्शों का अनुमोदन:-**पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन की प्राप्ति पर यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि नक्शे प्ररूप और दस्तावेज संहिता और नियमों की अपेक्षा के अनुसार है, तो वह आवेदन को स्वीकृति हेतु मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता को अग्रेषित करेगा या टिप्पणियां कर सकेगा तथा मुख्य निरीक्षक-एवं- सुविधा प्रदाता को विचारार्थ और आगामी कार्रवाई हेतु अग्रेषित करेगा। मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता अपना समाधान होने के पश्चात् या तो नक्शे को अनुमोदित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए आवेदन को इंगित टिप्पणियों का समाधान करने हेतु आवेदक को वापस करेगा:

परंतु नक्शे ऐसे समय तक प्रस्तुत किए गए नहीं समझे जाएंगे जब तक वे सम्यक रूप से उपांतरित और संशोधित पुनः प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

(इ) **मजबूती प्रमाण पत्र.-**(1) किसी भवन या उसके किसी भाग में (चाहे नया सन्निर्मित, पुनः सन्निर्मित परिवर्तित, मरम्मत किया गया या विस्तारित) किसी कारखाने के रूप में या मशीनरी में बढौतरी या किसी विद्यमान कारखाने में प्रक्रिया में परिवर्तन, कोई निर्माण प्रक्रिया कार्यान्वित तब तक नहीं की जाएगी जब तक उनकी बाबत प्ररूप-15 में मजबूती प्रमाण-पत्र मुख्य निरीक्षक -एवं सुविधा प्रदाता द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) प्ररूप-15 में मजबूती प्रमाण-पत्र मजबूती संबंधी परीक्षणों और विश्लेषण रिपोर्टों सहित सक्षम व्यक्ति और अधिभोगी द्वारा संयुक्ततः हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) सुदृढ़ता का नक्शा और प्रमाण-पत्र, धारा 2(1)(1) के अनुसार मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता द्वारा मान्यता प्राप्त पैनलित सक्षम व्यक्ति जो कारखाने का कर्मचारी नहीं होगा द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे:

परंतु किसी सरकार के स्वामित्वाधीन भवन की दशा में, के सिवाय, कोई व्यक्ति जो भवन, जिसकी बाबत प्रमाण—पत्र दिया जाता है, के स्वामी या निर्माता के नियोजन में है, मजबूती प्रमाण—पत्र हस्ताक्षरित करने या नक्शा और विनिर्देश प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा।

(4) इस नियम के अधीन स्वीकृत मजबूती प्रमाण—पत्र स्वीकृति की तारीख से दस वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(ई) प्रस्तावित मंजूरी की विधिमान्यता अवधि और मंजूरी का प्रतिसंहरण.—प्रत्येक प्रस्तावित अनुमोदन बातिल और शून्य हो जाएगा, यदि अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर कोई सन्निर्माण प्रारंभ नहीं किया जाता है। इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुमोदन मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि ऐसा अनुमोदन अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के मिथ्या निरूपण या आवेदन के साथ प्रस्तुत कपटपूर्ण दस्तावेज या अन्यथा द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या बहुसंख्य निर्माण प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

(उ) कक्षों की विशिष्टियां.—(1) कार्या—कक्ष की आंतरिक ऊँचाई तल स्तर से छत के निम्नतम भाग तक मापने पर 4.25 मीटर से कम नहीं होगी और यदि छत संक्षारित लोहे के है, जो न तो टाइलों से ढकी है न ही कम से कम 10 सेंटीमीटर के वायु स्थल सहित ताप प्रतिरोधी सामग्री की लाइनिंग की आंतरिक सीलिंग है। इसके और संक्षारित लोहे के मध्य, आंतरिक ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होगी:

परन्तु ईंट या कंक्रीट छत वाले भवन व दो के संयोजन की दशा में, यदि मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमोदित है, तो न्यूनतम ऊँचाई 3.75 मीटर हो सकेगी :

परन्तु यह और कि 100 कामगारों से कम नियोजित करने वाले कारखानों की दशा में मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधा प्रदाता, जहां उसका समाधान हो जाता है कि कार्य की दशायें युक्तियुक्त रूप से अच्छी है, ऐसे कारखानों को इस उपनियम के उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) किसी कारखाने, जहां यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, के किसी कक्ष में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय, तल स्थान का कम से कम 36 वर्ग फुट (3.35 वर्ग मीटर), उस स्थान को छोड़कर, जो मशीनरी के कब्जाधीन है और कम से कम 500 घन फुट (14 घन मीटर) का विश्राम स्थान (ब्रीदिंग स्पेश) की व्यवस्था की जाएगी। उपरोक्त खंड (1) के उपबंध भण्डारण, गोदाम और समान प्रयोजनों के लिए आशयित कक्षों पर तथा ऐसे कक्षों पर लागू नहीं होंगे, जो केवल लिपिकीय कार्य किया जाता है।

(3) कारखाने के लिए कक्ष केंद्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित प्रकाश, अधिक भीड़भाड़, वायु—संचार, अग्नि शमन द्वार, शौचालय/मूत्रालय, पेयजल, विश्राम कक्ष, शिशुसदन, कंटीन, रोगी वाहन आदि पर मानदंड पूर्ण करेंगे।

(ऊ) पूर्व—अनुमोदित नक्शे.—नक्शे जो पहले ही कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाने के मुख्य निरीक्षक द्वारा इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व अनुमोदित किये गए हैं, इन नियमों के अधीन अनुमोदित किये समझे जायेंगे।

(ए) अनुज्ञप्ति प्रदान करना.—(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी पोर्टल पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी कारखाने के रूप में परिसर का अधिभोग करना या उपयोग करना प्रारम्भ करने से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रारूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी कारखाने के लिए अनुज्ञप्ति संहिता के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधा प्रदाता द्वारा वेब पोर्टल पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित इसके साथ संलग्न फीस अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रारूप—13 में प्रदान की जाएगी।

(3) इन नियमों के अधीन प्रदत्त या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीकृत की जाती है।

(4) यदि अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन एक वर्ष की अवधि के लिए या दस वर्ष तक, वर्षों की किसी भी संस्था के लिए किया गया है तो नवीकरण फीस, इसके साथ संलग्न फीस अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु संदेय फीस को वर्षों की संख्या द्वारा गुणा रकम के बराबर होगी।

(5) किसी कारखाने के बाबत अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए फीस।

Fee Schedule for one year												
Load Connected (in kilowatts)	Number of Workers											
	From 20 to 50	From 51 to 100	From 101 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 1500	From 1501 to 2000	From 2001 to 3000	From 3001 to 4000	From 4001 to 5000	Above 5000
Without power	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	20000
Upto 50	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	25000
From 51 to 100	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	30000
From 101 to 150	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	35000
From 151 to 250	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	40000
From 251 to 500	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	50000
From 501 to 1000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	60000
From 1001 to 2000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	70000
From 2001 to 3000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	80000
From 3001 to 4000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	90000
From 4001 to 5000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Above 5000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000

परन्तु कारखाने से ली जाने वाली अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस में प्रत्येक पांच वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। आगामी वृद्धि इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(ऐ) कारखाना अनुज्ञप्ति का नवीकरण.—(1) अनुज्ञप्ति मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता द्वारा संहिता की अधीन नवीकृत की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पोर्टल पर प्रारूप-12 में, यथास्थिति एक वर्ष की अवधि के लिए या दस वर्ष तक की किसी और अवधि के लिए फीस के संदाय की रसीद सहित किया जायेगा, और जिस तारीख को अनुज्ञप्ति का अवसान होता है, उससे तीस दिन से अन्यून पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस वही होगी जो उसको प्रदान करने के लिए होती है। यदि, नवीकरण हेतु कोई आवेदन एक वर्ष की अवधि या अधिकतम दस वर्ष तक वर्षों की किसी संख्या के लिए किया गया है तो नवीकरण फीस इसके साथ संलग्न फीस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट, एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु संदेय फीस को वर्षों की संख्या द्वारा गुणा रकम के बराबर होगी।

(4) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् या यदि अवधि विस्तारित की जाती है तो ऐसी विस्तारित अवधि के अवसान के पश्चात् नवीकरण के लिए किया गया कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही अनुज्ञप्ति नवीकृत की जाएगी जब तक कि प्रतिवर्ष संदेय पच्चीस प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त फीस, जिसके लिए अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की गई है, संदत्त नहीं कर दी जाती है।

(5) अधिभोगी द्वारा जब कभी कारखाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से विहित फीस सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कारखाना अनुज्ञप्ति को पोर्टल द्वारा उसे स्वचालित रूप से नवीकृत किया गया समझा जाएगा ।

(ओ) कारखाना अनुज्ञप्ति का संशोधन.—(1) प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति को क्षेत्र के मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधा प्रदाता द्वारा संशोधित किया जा सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति धारी, अनुज्ञप्ति को संशोधित करवा सकेगा यदि उसमें निम्न यथाविनिर्दिष्ट कोई परिवर्तन किया जाता है:—

- (क) कारखाने के नाम का परिवर्तन ;
- (ख) अधिभोगी के नाम में परिवर्तन ;
- (ग) कारखाने के प्रबंधक के नाम में परिवर्तन ;
- (घ) परिसरों के पते में परिवर्तन ;
- (ङ) कर्मकारों की संख्या में बढ़ौतरी या कमी ;
- (च) अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) में बढ़ौतरी या कमी; और
- (छ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो आवेदन में निर्दिष्ट है ।

(3) कोई अनुज्ञप्ति धारी जो अपनी अनुज्ञप्ति को संशोधित करने की वांछा रखता है, ऐसे परिवर्तन से तीन दिन पूर्व या ऐसे परिवर्तन से तीन दिन के भीतर, यदि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अनुज्ञप्ति धारी संशोधन के लिए आवेदन नहीं कर सका था, संशोधन के प्रकार (प्रकृति/किस्म) के अभिकथन करके पोर्टल पर प्ररूप-12 में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(4) अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए फीस पांच सौ रुपए जमा फीस अनुसूची के अनुसार अपेक्षित फीस के अन्तर की रकम शामिल होगी ।

(5) यदि मुख्य निरीक्षक—एवं— प्रसुविधा प्रदाता पंद्रह दिन के भीतर अनुज्ञप्ति का संशोधन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति नवीकृत की गई समझी जाएगी ।

(6) ऐसे अधिभोगी को प्रतिष्ठान (स्थापन) का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी किया गया समझा जाएगा यदि वह नियम (4) और नियम 50 (ए) (5) में वर्णित (उल्लिखित) फीस का संदाय करने के पश्चात् आवेदन करता है ।

(औ) कारखाना अनुज्ञप्ति का अंतरण.—(1) अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति के अवसान से पूर्व किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) कारखाना अनुज्ञप्ति का अंतरण करने के लिए आवेदन उसी प्रकार किया जायेगा जैसा अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए है जो प्ररूप-12 में किया जाएगा । मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधा प्रदाता सम्यक रूप से अपना समाधान होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति का अंतरण करेगा ।

- (3) ऐसे अंतरण के लिए 500/— (पांच सौ रुपए) की फीस प्रभारित की जाएगी

(4) यदि मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता सात दिन के भीतर अनुज्ञप्ति का अंतरण करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति का अंतरण किया गया समझा जाएगा ।

(5) यदि अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या अन्यथा अशक्त (असमर्थ) हो जाता है तो ऐसे अनुज्ञप्ति धारी का कारबार कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति संहिता या इन नियमों के अधीन ऐसे समय के दौरान, अनुज्ञप्ति धारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जिन्हें मूल अनुज्ञप्तियों के अनवासित भाग के लिए अपने नाम पर अनुज्ञप्तियों का अंतरण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अनुज्ञात किया जाना अपेक्षित हो, भास्ति के लिए दायी होगा ।

(ङ) अनुज्ञप्तियों का रद्दकरण.—अनुज्ञप्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द की जा सकेगी.—(1) यदि आवेदन या किसी प्रमाण-पत्र में दी गई सूचना गलत या कूटरचित पाई जाती है ।

(2) यदि किसी समय कोई अधिभोगी राज्य सरकार के श्रम विभाग के कार्यालय के वेब पोर्टल पर अपनी वांछा प्रकट करता है कि परिसर, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति जारी की गई है, का उपयोग कारखाने के कार्य संचालन के लिए नहीं किया जाएगा, मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता ऐसे कारखाने की बाबत प्रदत्त अनुज्ञप्तियों को पोर्टल के माध्यम से रद्द कर देगा :

परन्तु ऐसा आवेदन कारखाने के रूप में परिसरों के उपयोग के परिविस्ती की तारीख से कम से कम दो मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

50. परिसरों के स्वामी और कारखानों के अधिभोगी की संयुक्त दायित्व के लिए धारा 80 के अधीन सामान्य प्रसुविधायें और सेवाएं.—(1) यदि किसी परिसर में पृथक भवनों का पृथक कारखानों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है तो परिसर का स्वामी सामान्य प्रसुविधाओं और सेवाओं जैसे पहुँच मार्ग, जल निकास, जलापूर्ति, प्रकाश और स्वच्छता के व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता को उप-धारा (1) के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए परिसर के स्वामी के आदेश जारी करने की शक्ति होगी ।

(3) यदि किसी परिसर में अनाश्रित (इनडिपेन्डेन्ट) या आत्मभारित मंजिलें या फ्लैट पृथक कारखाने के रूप में उपयोग हेतु विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिए गए हैं तो परिसर का स्वामी इस संहिता के सम्बन्ध की बाबत निम्नलिखित उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए ऐसे ही दायी होगा मानो वह कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक था—

- (i) शौचघरों, मूत्रालयों और धुलाई प्रसुविधाओं, जहां तक इन प्रयोजनों के लिए सामान्य जलापूर्ति के अनुरक्षण (रखरखाव) सम्बन्धित है ;
- (ii) स्वामी से संबंधित मशीनरी और संयंत्र जिसे विशिष्टतया अधिभोगी की अभिरक्षा या उपयोग के लिए नहीं सौंपा गया है, में बाड़ लगाना (की घेराबन्धी);
- (iii) फ्लैटों की मंजिलों को पहुँच के सुरक्षित साधन और सोपानों (सीढ़ियों) तथा सामूहिक (संयुक्त) रास्तों का रख-रखाव और उनकी स्वच्छता ;
- (iv) आग लगने के दशा में पूर्वाधानियां (पूर्वोपाय);
- (v) आरोहणों और लिफ्टों का अनुरक्षण; और
- (vi) परिसरों में उपलब्ध करवाई गई किसी अन्य सामान्य प्रसुविधा का अनुरक्षण ।

(4) स्वामी के उत्तरदायित्व से संबंधित उपलब्ध तभी लागू होंगे जब किसी परिसर में सामूहिक शौचघर, मूत्रालय और धुलाई प्रसुविधाओं सहित निराश्रित (इंडिपेन्डेन्ट) कमरे पृथक कारखानों के रूप में उपयोग हेतु विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिए गए हैं:

परन्तु स्वामी शौचघरों, मूत्रालयों और धुलाई प्रसुविधाओं के प्रावधान और उनके रख-रखाव से संबंधित अपेक्षाओं सहित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा प्रदाता को संहिता की धारा 80 में निर्दिष्ट परिसरों के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

(6) यदि किसी परिसर में हिस्सों (भाग) या कक्ष या शेड को पृथक कारखाने के रूप में उपयोग हेतु विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिया गया है तो परिसरों का स्वामी इस नियम की उपरोक्त उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए दायी होगा।

51. खतरनाक संक्रियाओं से संबंधित धारा 82 के अधीन नियम.—(1) जब किसी करखाने में निम्नलिखित संक्रिया की जा रही हो तो वे संहिता की धारा 82 के अधीन खतरनाक संक्रियाएं होंगी:—

- (1) वातित जल विनिर्माण और उसके आनुसंगिक प्रक्रियाएं;
- (2) अम्लों, क्षारकों या क्षारों या धातुओं जैसे क्रोमियम, निककल, कैडमियम, जिंक, कॉपर सिल्वर या गोल्ड से समाविष्ट किसी इलैक्ट्रॉलाइट प्लेटिंग या धातु की वस्तुओं का ऑक्सीकरण;
- (3) विद्युत संचयन का विनिर्माण और मरम्मत;
- (4) शीशा (कांच) विनिर्माण;
- (5) धातुओं को घिसना या चमकाना;
- (6) सीसा (जस्ता) और सीसा (जस्ता) के कतियम यौगिकों का विनिर्माण और उपचार(संसाधन);
- (7) परिसंकटमय पेट्रोलियम से पेट्रोल, गैस का उत्पादन
- (8) रेत की धार (जेट) रोड़ी, बजरी या भाप की संपीडित हवा के विस्फोट द्वारा अन्य अघर्षक नोदन द्वारा वस्तुओं की सफाई, समतलीकरण या उन्हें खुरदरा बनाना इत्यादि;
- (9) अपरिस्कृत खालों और त्वचा को मिलाना चूना लगाना (लाइमिंग) और तँबियाना (टेनिंग) और उसके आनुषंगिक प्रक्रियाएं;
- (10) मुद्रणालयों और टंकण फॉऊड्रीज में सीसा (जस्ता) और सीसा (जस्ता) की सामाग्री के कतिपय प्रक्रमण को कार्यान्वित करना;
- (11) रसायन संकर्म;
- (12) कुम्हारी (मिट्टी के बर्तन) और चीनी मिट्टी बर्तन का विनिर्माण;
- (13) जल की इलैक्ट्रॉलाइट्स द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीडन;
- (14) सिलिका मुक्त वाले पत्थर या किसी अन्य सामग्री का हस्तोपचार;
- (15) एस्बेस्टस (अग्नि-सह) प्रक्रमण का प्रबन्धन, एस्बेस्टस की किसी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण का कोई अन्य प्रक्रमण या अन्यथा जिसमें एस्बेस्टस किसी रूप में उपयोग किया जाता है ;

- (16) संचारक पदार्थों का प्रबन्धन और हस्तोपचार;
- (17) कारखानों में तन्दूर (भट्टियों) और ड्रायरो (सुखाने वाले उपकरणों) का उपयोग;
- (18) कैंसर जनक रंजक अन्तस्थ का विनिर्माण हस्तोपचार;
- (19) पौधों के विलायक कर्षण में सब्जियां और वसा (चर्बी) और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने (निस्कासन) का प्रक्रमण;
- (20) मैंगनीज़ और इसके यौगिकों का विनिर्माण और हस्तोपचार;
- (21) लोहबान (बैन जॉइव) और लोहबान वाले पदार्थों व विनिर्माण, प्रबंधन और उपयोग ;
- (22) कार्बन डाइसल्फाइड संभग में प्रक्रमण या संक्रिया ;
- (23) उच्च ध्वनि स्तरों और स्पंदन स्तरों वाली संक्रियाएं ;
- (24) परिसंकटमय कीटनाशकों का विनिर्माण या हस्तोपचार ;
- (25) रेयॉन और विस्कोस प्रक्रिया का विनिर्माण ;
- (26) उच्च ज्वलनशील तरल और ज्वलनशील संपीडित गैसों ;
- (27) ढलाई कारखानों में संक्रियाएं ;
- (28) जूट मिलों में उपयोग की जाने के सिवाय कपड़े (वस्त्र) की मशीनरी ;
- (29) प्रेरण भट्टी में गलन (गलाने का) प्रक्रमण ;
- (30) कास्ट के काम में उपयोग में आने वाली मशीनरी ;
- (31) रबड़ मिलें;
- (32) केन्द्र भिमुखी मशीनें;
- (33) ऊर्जा चलित मुद्रणालय;
- (34) कैंचियाँ लकड़ी चीरने (काटने) और गिलोटीन की मशीनें बर्तन(कटाई);
- (35) तापीय द्रव (तरल) हीटर (तापक);
- (36) क्रोमिक तेजाब का विनिर्माण या सोडियम के बाइक्रोमेट, पोटेशियम या अमोनियम का विनिर्माण या उसकी प्राप्ति;
- (37) एल0पी0जी0 (एसेटीलीन)/ऑरगॉन के उपयोग सहित भलाई (वेल्लिंग)/कटिंग संक्रियाएं ;

परन्तु पूर्ववर्णित परिसंकटमय प्रक्रियाओं जैसे प्रक्रिया या संक्रियाओं से संबंधित उपबंध, कल्याणकारी सुविधाओं से संबंधित उपबंध, सुरक्षात्मक पोषाक (परिधान) आदि से संबंधित उपबंध इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पृथकतः मुख्य निरीक्षक—एवं प्रसुविधा दाता द्वारा जारी किए जाएंगे।

(2) विनिर्माण प्रक्रमण या संक्रिया में गर्भवती महिला के नियोजन का प्रतिषेध या निर्वन्धन.—प्रत्येक अधिभोगी या नियोक्ता परिसंकटमय और खतरनाक संक्रियाओं में गर्भवती महिलाओं का नियोजन करना सर्वथा प्रतिषिद्ध करना सुनिश्चित करेगा जिसमें उनको शारीरिक क्षति, विसावितकरण या रोग होने की आशंका हो ।

(3) कालिक चिकित्सीय परीक्षण.—(क) उपरोक्त 1 से 37 खतरनाक संक्रियाओं द्वारा यथापेक्षित प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक (सर्जन) द्वारा कर्मकारों के किए जाने वाले चिकित्सीय परीक्षण के लिए कारखाने का अधिभोगी, प्रत्येक कर्मकार के परीक्षण के लिए हर बार जब उसका परीक्षण किया जाता है, के लिए फीस का संदाय करेगा ।

(ख) जीव विज्ञान सम्बन्धी (बायोलॉजिकल), विकिरण संबंधी (रेडियोलॉजिकल) या अन्य जांचों (परीक्षणों) के कोई प्रभार, जो चिकित्सा परीक्षण के सबन्ध में किए जा सकते हैं, अधिभोगी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(4) खतरनाक संक्रियाओं से संबंधित उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक—एवं प्रसुविधाप्रदाता प्रबंधक या अधिभोगी या दोनों को निदेश देते हुए या प्रक्रिया को विलम्बित करने का लिखित में आदेश जारी कर सकेगा कि ऐसे उपाय और ऐसी अवधि के भीतर जो कर्मकार के स्वास्थ्य की खतरनाक स्थितियों (अवस्थाओं) का निराकरण करने के दृष्टिगत जहां निरीक्षक—एवम्—प्रसुविधाप्रदाता की राय में ऐसे प्रक्रमण में विषावितकरण या विषाक्तता आसन्न खतरा हो ।

(5) किसी कर्मकार की बाबत उपरोक्त विनिर्दिष्ट किन्हीं खतरनाक संक्रियाओं के किए जाने के लिए अपेक्षित उससे संबंधित चिकित्सीय परीक्षणों या जांचों (परीक्षणों) का कोई रजिस्टर या अभिलेख निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को सुगमता से उपलब्ध होने हेतु रखा जाएगा और कर्मकार के कारखाने में नियोजन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अवसान तक परिरक्षित किया जाएगा ।

52. धारा 83 के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति.—(1) राज्य सरकार, परिसंकटमय उद्योगों को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्थल मूल्यांकन समिति का गठन कर सकेगी ।

(2) कोई भी सदस्य, जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित न हो, अधिनियम के प्रयोजनों के सम्बंध से अन्यथा, किसी समय विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या किसी अन्य प्रक्रमण, जो इस समिति के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान उसकी जानकारी में आए, प्रकट नहीं करेगा ।

(3) (i) संहिता की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन आने वाले उद्योगों की बाबत स्थलों के मूल्यांकन के लिए आवेदन स्थल मूल्यांकन समिति के सदस्य—सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) स्थल मूल्यांकन के लिए आवेदन प्ररूप-16 में उसकी पन्द्रह प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । समिति आवेदन प्ररूप में किसी विशिष्ट मद पर सूचना प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगी यदि वह यह समझती है कि यह विचाराधीन आवेदन के सुसंगत नहीं हैं ।

(iii) मूल्यांकन समिति के कृत्यः—(क) सदस्य सचिव स्थल मूल्यांकन के लिए प्राप्त आवेदनों को पृथक रजिस्टर में रजिस्टर (दर्ज) करने की व्यवस्था करेगा और सात दिन की अवधि के भीतर उसकी अभिस्वीकृति देगा ।

(ख) सदस्य—सचिव बैठकें ऐसी रीति में नियत करेगा कि प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत समस्त आवेदन उनकी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर समिति को निर्दिष्ट किए जाएं ।

(ग) समिति आवेदन के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता के दृष्टिगत अपने कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया अंगीकृत करेगी ।

- (घ) समिति किसी उद्योग की अवस्थिति पर प्रतिषेधों और निर्वन्धन और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रमण और संक्रियाएं करने के लिए प्रतिषेधों और निर्वन्धन के सन्दर्भ में स्थल के मूल्यांकन के लिए आवेदनों की जांच (परीक्षण) करेगी।
- (ङ) समिति दस्तावेज जांचकर्ता विशेषज्ञों को बुला सकेगी, यदि आवश्यक हो तो स्थल का निरीक्षण कर सकेगी और स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपना मत विरचित करने के लिए पग उठाएगी ; और
- (च) जब कभी प्रस्तावित स्थल के लिए उद्योग मंत्रालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी अपेक्षित हो तो स्थल मूल्यांकन समिति द्वारा केवल ऐसी मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् ही स्थल मूल्यांकन के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा।

53. किसी कारखाने के अधिभोगी द्वारा धारा 84 की उप-धारा (1), (2), (5) और (7) के अधीन सूचना प्रकट करने की रीति.—(1) 'परिसंकटमय प्रक्रिया' करने वाला कोई अधिभोगी प्रत्येक परिसंकटमय पदार्थ या सामग्री या विनिर्माण में प्रबन्ध की जाने वाले सामग्री, कारखाने में परिवहन और भण्डारण की बाबत सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एम0 एस0 डी0 एस0) के रूप में सूचना अभिप्राप्त करने या तैयार करने की व्यवस्था करेगा। यह सन्दर्भ के लिए कर्मकार के अनुरोध पर उपलब्ध होगी। प्रत्येक ऐसी सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :—

- (क) लेबिल (नामपच्ची) पर प्रयुक्त पहचान ;
- (ख) पदार्थ के परिसंकटमय संघटक ;
- (ग) परिसंकटमय पदार्थ के भौतिक और रासायनिक लक्षण (विशेषताएं) ;
- (घ) अग्नि क्षमता, विस्फोटन और प्रतिक्रियक क्षमता सहित परिसंकटमय पदार्थ के स्वास्थ्य सम्बन्धी परिसंकट;
- (ङ) संकेत और अनावरण के लक्षण तथा कोई चिकित्सा संबंधी स्थितियां जिनकी सामान्यतः पदार्थ के अनावरण होने के रूप में पहचान की गई है, सहित परिसंकटमय पदार्थ के स्वास्थ्य सम्बंधी परिसंकट;
- (च) प्रवेश का/के मुख्य मार्ग;
- (छ) इस नियमों के अनुसूची -ग में विहित अनावरण की अनुज्ञेय सीमाएं और उक्त अनुसूची में न आने वाले किसी रसायन की बाबत विनिर्माता, आयातक या अधिभोगी द्वारा संस्तुत अनावरण की सीमा;
- (ज) परिसंकटमय पदार्थ के सुरक्षित प्रबंधन और उपयोग के लिए, कोई साधारण प्रयोज्य पूर्वाधानियां (पूर्वोपाय), जो समुचित स्वस्थ्यवर्धक प्रचलनों संसुप्ति उपकरण की मरम्मत और रख-रखाव के दौरान सुरक्षात्मक उपाय जो छलवाओं और रिसाव की सफाई की प्रक्रियाओं के लिए ज्ञात हैं ;
- (झ) कोई सामान्यतः प्रयोज्य नियन्त्रक उपाय जैसे समुचित इजीनियरिंग नियन्त्रण, कार्य का प्रचलन(चलन) या व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग;
- (ञ) आपातकालीन और प्राथमिक उपचार प्रक्रियाएं;
- (ट) सामग्री सुरक्षा डाटा शीट की तैयारी की तारीख या उसमें अंतिम परिवर्तन;

(ठ) विनिर्माता, आयातक, अधिभोगी या सामग्री सुरक्षा डाटा शीट को तैयार करने या उसका वितरण करने वाले अन्य उत्तरदायी पक्षकार का/के नाम, पता/पते और दूरभाष नम्बर, जो यदि आवश्यक हो, परिसंकटमय पदार्थ और समुचित आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं।

(2) अधिभोगी परिसंकटमय पदार्थ के सम्बन्ध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट अभिप्राप्त करते या विकसित करते समय सुनिश्चित करेगा कि अभिलिखित सूचना परिसंकट का निर्धारण करने में प्रयुक्त वैज्ञानिक साक्ष्य सही-सही प्रतिबिम्बित होते हैं यदि वह किसी पदार्थ परिसंकट के संबन्ध में निर्धारण करने में प्रयुक्त किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य से हाल ही में अवगत होता है या परिसंकट से सुरक्षा के तरीके यह नई (हाल ही की) सूचना यथासाध्य शीघ्रता से सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी सामग्री सुरक्षा डाटा शीट का आरूप इन नियमों से संलग्न अधिसूची-ख के अनुसार होगा। परिसंकटमय पदार्थों का प्रत्येक आधान(कन्टेनर) स्पष्टतया लेबिल (नामपत्र) लगा हुआ होगा या पहचान के लिए निम्नलिखित प्रकार से चिन्हित (चिन्हयुक्त) होगा:-

- (i) आधान की मात्रा (धारिता)/सामग्री;
- (ii) परिसंकटमय पदार्थ के विनिर्माता या आयातक का नाम और पता,
- (iii) शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परिसंकट; और
- (iv) परिसंकटमय पदार्थों के साथ सुरक्षा कार्य करने के लिए संस्तुत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण।

(3) 'परिसंकटमय संक्रिया' पर कार्य करने वाला कारखाने का अधिभोगी समस्त कर्मकारों को विनिर्माण, परिवहन, भण्डारण और अन्य संक्रिया में परिसंकटमय सामग्रियों या पदार्थों के प्रबंध के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देगा:-

- (क) संहिता की धारा 84, 85, और 89 की अपेक्षाएं ;
- (ख) कारखाने में की जा रही 'परिसंकटमय' प्रक्रियाओं की सूची ;
- (ग) समस्त सामग्री सुरक्षा डाटा शीटों की अवस्थिति और उपलब्धता ;
- (घ) पदार्थों के अनावरण या प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिसंकट;
- (ङ) अधिभोगी द्वारा शारीरिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिसंकटों की सुरक्षा और नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय;
- (च) कर्मकारों द्वारा परिसंकटमय पदार्थों का सुरक्षित प्रबंधन, भण्डारण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय ;
- (छ) परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक संक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक (उपकरण) ;
- (ज) परिसंकटमय पदार्थों के आधानों पर प्रयुक्त विभिन्न लेबल और चिन्हांकों का अर्थ ;
- (झ) परिसंकटमय पदार्थों के अनावरण से सामान्य प्रकट होने वाले संकेत और लक्षण तथा जिसकी रिपोर्ट की जानी है ;
- (ञ) परिसंकटमय पदार्थों के किसी छलकाव (छलकने से) रिसाव (रिसने की) की दशा में कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय;

- (द) कर्मकारों की भूमिका के साथ-साथ कारखानों की आपातकालीन योजना विशिष्टतया निस्क्रमण कार्यविधियां प्रक्रियाएं ;
- (ढ) कर्मकारों की सुरक्षा और स्वस्थ(स्वस्थता) सुनिश्चित करने के लिए आधिभोगी द्वारा आवश्यक समझी गई कोई अन्य सूचना ;

उपरोक्त नियम के लिए अपेक्षित, सूचना संकलित की जाएगी और कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तिकाओं या इश्तहारों के प्रदाय के माध्यम से और कार्यस्थलों पर चेतावनी देने वाले नोटिस प्रदर्शित करके अवगत करवाया जाएगा। पुस्तिकाएं इश्तहार और कारखाने में प्रदर्शित चेतावनी देने वाले नोटिस अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाए भी जाएंगे। मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधादाता यदि आवश्यक समझे तो आधिभोगी कर्मकारों को और सूचना देने के निदेश भी दे सकेगा।

(4) जनसाधारण को सूचना का प्रकटीकरण.—परिसंकटमय संक्रियाएं कार्यान्वित करने वाला प्रत्येक कारखाने का आधिभोगी समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श जनसाधारण को सूचित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। जो क्षेत्र में किसी दुर्घटना द्वारा प्रभावित होने संभाव्य है। ऐसी सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

- (क) कारखाने का नाम और पता जहां यह अवस्थित है ;
- (ख) सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और हैसियत (पदनाम) पहचान ;
- (ग) यह पुष्टि करना कि कारखाना, कारखाना निदेशालय और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ;
- (घ) परिसरों में कार्यान्वित की जा रही परिसंकटमय प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) की साधारण पारिभाषिक शब्दों में स्पष्टीकरण ;
- (ङ) प्रयुक्त परिसंकटमय पदार्थों के सामान्य नाम उनके हानिकारक लक्षणों सहित जिससे किसी दुर्घटना के कारण प्रभावित होना संभाव्य है ;
- (च) सुसंगत सुरक्षा परिनियमों के अधीन इसकी विधिक बाध्यताओं के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण ;
- (छ) कारखाने में अंगीकृत अनुमोदित आपदा नियन्त्रण उपायों की प्रमुख विभिष्टियां ;
- (ज) जनसाधारण के लिए कारखाने की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली के ब्यौरे ;
- (झ) चेतावनी सुनाई देने पर जनसाधारण के सामान्य परामर्श पर कार्रवाई ;
- (ञ) कारखाने में ऐसे प्रकार (किस्म) के अनुमान्य दुर्घटनाओं से निपटने और उनके प्रभावों को कम करने के संबंध में आपातकालीन सेवाओं के साथ-समन्वय सहित कारखाने की व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण; और
- (ट) (i) जहाँ से अतिरिक्त (और) सूचना अभिप्राप्त की जा सकती है, के ब्यौरे ;
- (ii) अधिभोगी निम्नलिखित को कोई और सूचना भी देगा—

(क) जनसाधारण को, जैसी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाएं;

(ख) जनसाधारण के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अनुरोध पर;

(iii) अधिभोगी, क्षेत्र के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अधिकारिता में कारखाना अवस्थित है, के साथ खण्ड (1) में यथा अपेक्षित कारखाने के बाहर किसी दुर्घटना से संभाव्य प्रभावित होने वाले जनसाधारण (जनता) को सूचना देने के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समुचित पग उठाने हेतु करार करने का प्रयास करेगा।

(iv) इस उपनियम में विनिर्दिष्ट सूचना क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी या हिन्दी में होगी।

(5) स्थानीय प्राधिकरण को सूचना का प्रकटीकरण.—प्रत्येक परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाला कारखाने का अधिभोगी क्षेत्र, जिसमें कारखाना अवस्थित है, पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को लिखित में निम्नलिखित सूचना देगा:—

(i) उप-नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जनसाधारण को दी गई सूचना; और

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन विहित रसायनों की सूची में सम्मिलित परिसंकटमय पदार्थों को सामान्यतः भण्डारित करने या प्रक्रिया वाले पदार्थों के नाम और उनकी मात्रा।

(6) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना का प्रकटीकरण.—परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाले कारखाने का अधिभोगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कारखाने की बाबत मौके पर आपातकालीन योजना और आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना की तैयारी से सम्बन्धित समस्त सूचना देगा।

इस नियम की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिभोगी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:—

(क) जोखिम निर्धारण और पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपाय से संबंधित प्रास्थिति की रिपोर्ट;

(ख) कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या भण्डारित परिसंकटमय पदार्थों के सम्बन्ध में सामग्री डाटा शीटों का संकलन;

(ग) अग्नि, विस्फोट, विषाक्त पदार्थों के निकलने या रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं के समस्त संभावित उद्गम स्रोत का विवरण और ऐसे परिसरों की योजना जहां ऐसी दुर्घटना हो सकती है;

(घ) आपातकाल की दशा में किसी नजदीकी कारखाने वाले के साथ मदद और सहायता के लिए किए गए करार सहित आपातकाल से निपटने के लिए संसाधनों और प्रसुविधाओं का ब्यौरा;

(ङ) कारखाने की आपातकालीन प्रसुविधाओं जैसे अस्पताल, पुलिस अग्नि शमन सेवा की पहुंच दर्शाने वाले क्षेत्र का रेखा चित्र (नक्शा);

(च) संगठन का प्रबंधन और मौके पर आपातकालीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उसमें उपदर्शित करते हुए सुरक्षा के लिए उनका उत्तरदायित्व;

(छ) सतर्कता प्रणाली से संबंधित ब्यौरे;

(ज) किसी दुर्घटना के कारण विषाक्तता के लिए विषहर (विष को दूर करने वाली औषधि) की उपलब्धता की जानकारी (सूचना);

(झ) कोई अन्य सूचना जो अधिभोगी द्वारा सुसंगत समझी जाए या जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा मांगी जाए।

(7) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को सूचना का प्रकटीकरण-परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाला प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी को कर्मकारों, स्थानीय प्राधिकरण, जनसाधारण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इलैक्ट्रोनिकली दी गई समस्त सूचना की एक प्रति मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेगा। किसी कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या भण्डारित परिसंकटमय पदार्थों की बाबत सामग्री सुरक्षा डाटा शीटों के संकलन की एक प्रति मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता और स्थानीय निरीक्षक को इलैक्ट्रोनिकली प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त अधिभोगी इस संहिता और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर मुख्य निरीक्षक द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करेगा।

(8) आपातकालीन योजना, आपदा नियन्त्रण और प्रबंधन योजना.—(i) परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाला कोई अधिभोगी अपने कारखाने के सम्बन्ध में एक प्रारूप मौके पर की आपातकालीन योजना, आपदा नियन्त्रण और प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे इलैक्ट्रोनिकली मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(ii) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की प्राप्ति पर अधिभोगी, मुख्य-निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण के साथ-साथ पुलिस, स्वास्थ्य, अग्नि शमक दल और अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों से परामर्श करेगा और योजना को अंतिम रूप देगा।

(iii) अधिभोगी कर्मकारों को आपातकालीन योजना के प्रावधानों को संसूचित करेगा और योजना का कालिकतः पुनर्भ्यास आयोजित करेगा। वह समय-समय पर योजना का पुनर्विलोकन करेगा और मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूचनाधीन उसमें आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(iv) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता आपातकालीन योजना की विरचना से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा। वह किसी कारखाने के सम्बन्ध में किसी आपातकालीन योजना के उपान्तरणों, जो समय-समय पर आवश्यक हों, के निर्देश भी दे सकेगा।

(v) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता आपदा नियन्त्रण और प्रबंधन योजना की विरचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा। मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता के साथ-साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से परस्पर परामर्श के पश्चात् किसी कारखाने की बाबत आपदा नियन्त्रण और प्रबंधन योजना के उपान्तरणों, जैसा समय-समय पर आवश्यक हों, के भी निर्देश दे सकेगा।

(9) औद्योगिक अपभिष्टों पर सूचना.—(i) नियम 54 के उप-नियम (3),(4),(5), (6) और (7) के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना में प्रतिदिन जनित ठोस और तरल अपभिष्ट, उनके लक्षण और उपचार की पद्धति (तारीका) जैसे ठोस अपभिष्ट का गलाना, तरल अपभिष्टों का रसायनिक और जैविक उपचार और उनके अंतिम निपटान के लिए व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं ;

(ii) इनमें चिमनी या अन्य मार्गों के माध्यम से निस्सरित गैसीय अपभिष्ट की किस्म की सूचना और व्यवस्थाएं जैसे गैस शुद्ध करने की व्यवस्था, चक्रवात्या पृथक्कारक, इलैक्ट्रो-स्टैटिक, अपवातिक (परसिपीटेटर्ज) या पर्यावरण के प्रदूषण नियन्त्रण के लिए की गई समरूप ऐसी व्यवस्थाएं भी इसमें सम्मिलित होंगी;

(iii) अधिभोगी खण्ड (i) और (ii) में विहित सूचना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी प्रस्तुत करेगा।

(10) कर्मकारों आदि को प्रस्तुत की गई सूचना का पुनर्विलोकन.—(i) अधिभोगी इस नियम के उप-नियम (3) से (7) के अधीन कर्मकारों, जनसाधारण, स्थानीय प्राधिकरण, मुख्य निरीक्षक और जिला आपातकालीन प्राधिकरण का प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक हो तो उपान्तरित भी करेगा।

(ii) प्रक्रिया या संक्रियाओं या कार्य करने की पद्धतियों में किसी परिवर्तन की दशा में या प्रक्रिया में जब कोई नया पदार्थ शामिल किया जाता है, तो किसी गंभीर दुर्घटना होने की दशा में, इस प्रकार प्रस्तुत की गई सूचना को पुनर्विलोकित और आवश्यक विस्तार तक उपान्तरित किया जाएगा।

(11) सूचना की विश्वस्तता.—(i) परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाले किसी कारखाने का अधिभोगी कर्मकारों और नजदीक के जनसाधारण की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस नियम के उप-नियम (3), (6) और (7) के अधीन यथापेक्षित आवश्यक सूचना को उसके कर्मकारों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को प्रकट करेगा। यदि अधिभोगी की यह राय है कि प्रक्रिया और विरचना के सम्बन्ध में ब्यौरों के प्रकटन से उसके कारबार के हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे तो वह ऐसी सूचना को रोकने के लिए कारणों का अभिकथन करते हुए मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को आवेदन प्रस्तुत करेगा। मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देगा और अभ्यावेदन (आवेदन) पर आदेश पारित करेगा;

(ii) मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित कोई अधिभोगी तीस दिन की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार को अपील कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार अधिभोगी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और आदेश पारित करेगी। सरकार का आदेश अन्तिम होगा।

(12) स्वास्थ्य और सुरक्षा पॉलिसी.—(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी निम्नलिखित कारखानों के सिवाय, कार्य पर कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी पॉलिसी का लिखित अभिकथन तैयार करेगा:—

समस्त कारखानों:

(क) संहिता की धारा (2) के खण्ड (ब) के उप-खण्ड (i) में आने वाले किन्तु पचास कर्मकारों से अन्यून का नियोजन करने वाले;

(ख) उक्त खण्ड (ब) के उप-खण्ड (ii) में आने वाले, किन्तु एक सौ से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले को उप-नियम (1) की अपेक्षाओं से छूट होगी:

परन्तु उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट कारखाने संहिता की धारा 2 के खण्ड (य क) के अधीन प्रथम अनुसूची में नहीं आते हैं और संहिता की धारा 82 के अधीन खतरनाक घोषित किए जाने वाली प्रक्रियाओं या संक्रियाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता किसी कारखाने के किसी अधिभोगी या कारखाने की किसी श्रेणी या प्रकार (किस्म) को उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन है, अपेक्षा कर सकेगा।

(3) स्वास्थ्य और सुरक्षा पॉलिसी में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा या वह—

(क) घोषित आशय स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता और सुसंगत विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना;

(ख) विभिन्न स्तरों पर स्पष्टतया उत्तरदायित्व समनुदेशित करते हुए घोषित पॉलिसी को कार्यान्वित करने हेतु संगठनात्मक स्थापना; और

(ग) पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाएं।

(4) विभिन्नतया पॉलिसी में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा.—(क) व्यक्तियों की विभिन्न स्तरों पर उनकी कैरियर (आजीविका) समुन्नति पर विचार करते समय स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुपालन (पालन) को ध्यान में रखने का आशय;

(ख) संविदाकारों, उप-संविदाकारों परिवहनकर्ताओं और परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य अभिकरणों का उत्तरदायित्व नियत करना;

(ग) कारखाने की वार्षिक रिपोर्ट में इसकी उपयुक्तता और सुरक्षा निष्पादन का सारांश देना;

(घ) सुसंगत प्रविधियाँ और पद्धतियाँ जैसे सुरक्षा संपरीक्षा और उपयुक्तता, सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रस्थिति का कालिकतः निर्धारण के लिए जोखिम निर्धारण और समस्त उपचारात्मक उपाय करना;

(ङ) संयन्त्र उपकरण, मशीनरी और सामग्री को क्रय करने के साथ-साथ कार्मिकों के चयन और स्थानापन्न की कार्यवाई करने सहित समस्त विनिश्चयों में उपयुक्तता, सुरक्षा समन्वित करने का अभिकथन करते हुए इसके आशय; और

(च) विभिन्न स्तरों पर अपने कर्मचारियों और आम व्यक्तियों (जनसाधारण), जहाँ कहीं अपेक्षित हो, को सूचित करना, शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने और पुनः प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना।

(5) अधिभोगी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित घोषित उपयुक्तता और सुरक्षा पॉलिसी की एक प्रति कारखाने की अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(6) पॉलिसी की निम्नलिखित द्वारा व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी,—(क) संविदा कर्मकारों, भिक्षुओं, परिवहन कर्मकारों और प्रदायकर्ताओं (पूर्तिकारों) आदि सहित समस्त कर्मकारों को प्रतियाँ उपलब्ध करवा कर;

(ख) सहजदृश्य स्थानों पर पॉलिसी की प्रतियाँ प्रदर्शित करवा कर; और

(ग) संसूचना के किसी अन्य साधन द्वारा।

(7) अधिभोगी, प्रायः जैसा समुचित हो, उपयुक्तता और सुरक्षा पॉलिसी पुनरीक्षित करेगा किन्तु यह केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकतया पुनरीक्षित की जाएगी:—

(क) जब कभी कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विपक्षताओं वाला कोई विस्तार या उपान्तरण किया जाता है; या

(ख) जब कभी विनिर्माण प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ के अनावृत्त होने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विपक्षताओं वाला/वाले कोई नया/नए पदार्थ या वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं।

(13) अधिभोगी द्वारा परिसंकटमय प्रक्रिया उद्योग के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:—इस नियम के अधीन वांछित सूचना इलैक्ट्रॉनिकली निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी :—

1. कारखाने का नाम

2. कारखाने का पता

3. उत्पाद.....
4. विनिर्माण प्रक्रिया
5. (क) कच्चा माल
- (ख) नाम और अधिकतम भण्डारण क्षमता
6. तैयार उत्पाद
7. अन्तवर्ती उत्पाद
8. कारखाने से संबंधित परिसंकट.....
9. प्रेक्षित सुरक्षा उपाय
10. आग और विस्फोट का जोखिम
11. परिसंकटमय अपभ्रष्ट के निपटारे के ब्यौरे।

(14) परिसंकटमय प्रक्रिया में लगाए जाने को प्रस्तावित कारखाने के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को संसूचना.- धारा 84 की उप-धारा (7) के अधीन सूचना को कारखाने के फाटक या फाटकों पर सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर प्रदर्शित करके प्रचारित की जाएगी और ऐसी सूचना को जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को भी दिया जाएगा।

54. कर्मकारों द्वारा अभिलेख की पहुँच (प्राप्त करने) के लिए धारा 85 के खण्ड (क) के अधीन शर्तें.-

(1) परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाला प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, यथास्थिति कर्मकारों के परिसंकटमय प्रक्रिया के अभिमुखीकरण के अभिलेख सहित स्वास्थ्य अभिलेख या अपने अनुशीलन के लिए किसी कर्मकार के स्वास्थ्य अभिलेख की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सुलभ करवाएगा:-

- (क) प्रत्येक छः मास में एक बार या चिकित्सा जाँच के तुरन्त पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो;
- (ख) यदि यथास्थिति, कारखाने का चिकित्सा अधिकारी या प्रमाणकर्ता सर्जन की यह राय कि कर्मकार ने संहिता की तृतीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिसूचित रोग के संकेत और लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं;
- (ग) यदि कर्मकार नियोजन छोड़ देता है;
- (घ) यदि निम्नलिखित में कोई प्राधिकारी ऐसा निदेशित करें:-
 - (i) मुख्य-निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता;
 - (ii) केन्द्रीय या हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकारी;
 - (iii) निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम; और
 - (iv) महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान

(2) यथास्थिति, परिसंकटमय प्रक्रिया के अभिमुखीकरण के कर्मकार के अभिलेख सहित अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख या चिकित्सा अभिलेख को उससे आवेदन प्राप्त होने पर कर्मकार को प्रदान किया जाएगा।

एक्स-रे प्लेट्स और अन्य चिकित्सीय नैदानिक रिपोर्टें भी उसके चिकित्सा व्यावसायी को भी सन्दर्भ के लिए उपलब्ध कारवाई जाएगी।

55. परिसंकटमय पदार्थ के प्रबंधन (संभालने/रख-रखाव) में लगे व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव तथा धारा 85 के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रसुविधाएं प्रदान करने की रीति.—(1) समस्त व्यक्तियों, जो परिसंकटमय पदार्थों के प्रबंधन (संभाल/रख-रखाव) का पर्यवेक्षण करने को अपेक्षित हैं की निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:—

- (क) रसायन विज्ञान में उपाधि या पांच वर्ष के अनुभव सहित रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा,
- (ख) रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या दो वर्ष के अनुभव सहित रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में उपाधि;
- (ग) उपरोक्त नियत अनुभव रसायन उद्योग में प्रक्रिया, संक्रिया और रख-रखाव (अनुरक्षण) में होगा; और
- (घ) मुख्य निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को पर्यवेक्षण के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित हो सकेगा।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और अवधि तथा प्रशिक्षण संचालित करने वाले संगठन डी.जी. एफ. ए. एस. एल. आई. या डी.जी.एफ.ए.एस. एल. आई. द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।

56. कर्मकार की चिकित्सीय जाँच की व्यवस्था के लिए धारा 85 के खंड (ग) के उपखण्ड (ii) के अधीन रीति.—(1) परिसंकटमय प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों को किसी अर्हित चिकित्सा व्यावसायी, जिसे इसमें इसके पश्चात् कारखाना चिकित्सा अधिकारी कहा गया है, द्वारा चिकित्सीय रूप से निम्नलिखित रीति में जाँच की जाएगी:—

- (i) किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए नियोजन से पूर्ण एक बार;
- (ii) समस्त कर्मकारों के स्वास्थ्य की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए व्यावयायिक स्वास्थ्य परिसंक हों की बाबत, जिससे वे अभिमुख्य है, छह माह की अवधि में एक बार और ऐसे मामलों में जिनमें कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय में किन्ही कर्मकारों की बाबत कम अवधि के अन्तराल पर ऐसा करना आवश्यक है;
- (iii) यथा पूर्वोक्त किया गया/की गई पूर्ण-नियोजन और कालिक चिकित्सा जाँच को प्ररूप-17 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररूप-18 में प्रदान किए गए उपयुक्तता (स्वस्थता) प्रमाण-पत्र के बिना प्रथम बार नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी उप नियम (1) के अधीन आने वाली किसी प्रक्रिया में नियोजित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुपयुक्त घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक को अपील करने का अधिकार होगा जो मामले के प्रमाणकर्ता सर्जन को निर्दिष्ट करेगा जिसकी राय इस बाबत अंतिम होगी। यदि निरीक्षक प्रमाणकर्ता सर्जन भी है तो वह स्वयं ही आवेदन का निपटारा कर सकेगा।

(3) प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होने के कारखाना चिकित्सा अधिकारी को निष्कर्ष को तत्काल प्रमाणकर्ता सर्जन को रिपोर्ट किया जाएगा जो स्वयं सम्बद्ध

कर्मकार की जांच करेगा और तीस दिन के भीतर अपने निष्कर्ष अधिभोगी को संसूचित करेगा। यदि प्रमाणकर्ता सर्जन की राय है कि इस प्रकार जाँचे गए कर्मकार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से हटाया जाना अपेक्षित है तो वह तदनुसार अधिभोगी को निदेश देगा जो उक्त कर्मकार को उस प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। तथापि इस प्रकार हटाए गए कर्मकार का वैकल्पिक स्थानन किया जाएगा यदि वह प्रमाणकर्ता की राय में पूर्णतय असमर्थ (अशक्त) है ऐसी स्थिति (दशा) में प्रभावित कर्मकार को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) प्रमाणकर्ता सर्जन स्वप्रेरणा से या निरीक्षक से प्राप्त सन्दर्भ पर किसी कर्मकार की परिसंकटमय प्रक्रिया में नियोजन में उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने या उसके स्वास्थ्य की प्रस्थिति अभिनिश्चित करने के लिए चिकित्सा जाँच का संचालन कर सकेगा। ऐसे मामले में प्रमाणकर्ता सर्जन की राय अंतिम होगी। चिकित्सा जाँच के लिए अपेक्षित फीस अधिभोगी द्वारा संदत्त की जाएगी।

(5) उप-नियम (2) के अधीन किसी प्रक्रिया में नियोजन से हटाए गए कर्मकार को उसी प्रक्रिया में केवल प्रमाणकर्ता सर्जन से उपयुक्तता (स्वस्थता) प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने और स्वास्थ्य रजिस्टर में इस प्रभाव की प्रविष्टियां करने के पश्चात् ही पुर्नियोजित किया जाएगा।

(6) कर्मकार, इन नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा जाँच करवाने और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त संचालित किसी चिकित्सीय पर्यवेक्षण के लिए, ऐसी चिकित्सा जाँच को करवाने से इन्कार नहीं करेगा।

57. धारा 86 की उप-धारा (1) के अधीन उपाय मानदण्ड.—(1) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र-परिसंकटमय प्रक्रिया कार्यान्वित करने वाले किसी कारखाने की बाबत इसमें निम्नलिखित अधिकथित मानदण्ड के अनुसार सेवाओं और प्रसुविधाओं सहित एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की जाएगी और उसका अच्छी तरह से अनुरक्षण (रख-रखाव) भी किया जाएगा:—

(i) 50 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए.—

(क) कारखाना चिकित्सा अधिकारी की प्रतिधारिता आधार पर उसके क्लीनिक (नैदानिक गृह) में सेवाएं अधिभोगी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। वह नियम 57 में यथा नियत नियोजन पूर्व और कालिक चिकित्सा जाँच का कार्यान्वयन करेगा और किसी आपातकाल के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा;

(ख) प्रथम उपचार क्रियाविधियों में कम-से-कम पाँच व्यक्तियों को प्रशिक्षित करवाएगा, जिनमें से कम से कम एक कार्यशील अवधि के दौरान सदैव उपलब्ध (उपस्थित) रहेगा; और

(ग) पूर्णतया सुसज्जित (लैस) प्राथमिक उपचार पेटिका।

(ii) 51से 200 तक कर्मकार नियोजित करने वाले कारखाने.— (क) समतल और अप्रमाण्य (अमेद्य) फर्शों और दीवारों से निर्मित और पर्याप्त प्रदीपन (रोशनी) और वातायन के साथ-साथ इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकरण सहित कम से कम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कक्ष वाला एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र;

(ख) एक अंशकालीन कारखाना चिकित्सा अधिकारी केन्द्र का पूर्ण प्रभारी होगा, जो सप्ताह में कम से कम दो बार कारखाने में उपस्थित होगा जिसकी सेवाएं चिकित्सा आपातकाल में शीघ्रतापूर्वक/तत्परतापूर्वक उपलब्ध होंगी;

(ग) एक अर्हित और प्रशिक्षित ड्रेसर-कम-कम्पाउंडर पूर्ण कार्यशील अवधि के दौरान डियूटी पर रहेगा; और

(घ) समस्त विभागों में पूर्णतया सुसज्जित (लैस) प्राथमिक उपचार पेटिका।

(iii) 200 से अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले कारखाने—(क) 500 तक के कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्ण कालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक 1000 अतिरिक्त कर्मकार या उसके कार्य के लिए एक और चिकित्सा अधिकारी;

(ख) समतल और अप्रमाण्य फर्शों और दीवारों से निर्मित और पर्याप्त प्रदीपन और वातायन के साथ—साथ इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकरण सहित कम से कम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के दो कमरों वाला एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र;

(ग) पूर्ण कार्यशील अवधि के दौरान एक नर्स, एक ड्रेसर—कम—कम्पाउंडर और एक स्वीपर—कम—वार्ड ब्याय उपस्थित (उपलब्ध) रहेगा; और

(घ) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र आपातकालीन चिकित्सा नियन्त्रित करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित (लैस) होगा।

(2) उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले कारखाना चिकित्सा अधिकारी के पास भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1916 की अनुसूची या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विहित अर्हताएं होनी अपेक्षित हैं और उसके पास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम तीन माह का औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र होना चाहिए:

परन्तु यह कि—

(i) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या इसके समतुल्य धारक किसी व्यक्ति को यथापूर्वोक्त प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र धारण करना अपेक्षित नहीं होगा; मुख्य निरीक्षक एवं प्रसुविधाप्रदाता ऐसी भर्ती जो विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यक्षीन, इस उप—नियम की अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकेगा यदि उसकी राय में आवश्यक अर्हता धारक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं है;

(ii) यदि कोई व्यक्ति जो इस नियम के प्रारम्भ की तारीख को तीन वर्ष से कम अवधि के लिए कारखाना चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है, तो मुख्य निरीक्षक एवं प्रसुविधाप्रदाता, उस शर्त के अध्यक्षीन कि उक्त व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा, अर्हता शिथिल कर सकेगा।

(3) उपरोक्त प्रमाण—पत्र के मुख्य पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संगठन महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम से स्थानों या डी० जी० एफ० ए० एस० एल० आई० द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।

(4) कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के एक मास के भीतर कारखाने का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा:—

(i) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता;

(ii) अर्हताएं;

(iii) अनुभव यदि कोई है; और

(iv) उप—नियम जिसके अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

अनुसूची

कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकरण (उपस्कर) :

1. गर्म और ठण्डे पानी सहित चमकदार कुण्ड (हौज)/सिंक हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए
2. कम से कम 180 से० मी० x 105 से० मी० का एक मेज ऊपरी तल समतल वाला होना चाहिए।
3. उपकरणों (औज़ारों) को जीवाणुहीन (विसंक्रमित) करने के लिए साधन (साधित्र)
4. एक काउच (पलंग)
5. कम फिटिंग ढक्कन सहित दो वाल्टी या पात्र
6. पानी उबालने की केतली तथा स्पिरिट स्टोव या पानी उबालने के लिए अन्य उपयुक्त साधन।
7. स्पिरिट अमोनिया एयोमैटियस की एक बोतल (120 एम.एल.)
8. दो मध्यम आकार की स्पंज
9. दो किडनी ट्रे
10. प्रसाधन की चार टिकी (केक) अधिमानतः रोगाणुरोधक साबुन
11. दो काँच के गिलास तथा दो वाईन (शराब) गिलास
12. दो क्लिनिकल थर्मामीटर
13. दो चम्मच
14. दो ग्रेड्युएटिड (120 एम. एल.) माप के गिलास
15. आंख धोने के लिए एक वास बोतल (1000 सीसी)
16. एक बोतल (एक लिटर) कारबोलिक लोशन 20 में एक
17. तीन कुर्सियां
18. एक स्क्रीन
19. एक विद्युत हस्त टार्च
20. टेटनौस ओक्साईड की पर्याप्त आपूर्ति
21. कोरामाईन तरल (60 एम. एल.)
22. टेबलेट—एन्टी सिन्टा मीनिक, एन्टी स्पास्मोडिक (प्रत्येक को 25)।

23. सूई सहित सिरीज 2 सी सी, तथा 10 सी सी
24. दो सुई होल्डर, बड़ी तथा छोटी
25. एक ड्रैसिंग फोरसेप
26. एक स्केपल
27. रबड़-वैल्डेज-प्रेसर बैंडेज
28. एक स्टेथोस्कीय
29. आवश्यक उपकरणों सहित ऑक्सीजन सिलैण्डर
30. एक ब्लडप्रेसर अप्रेटस
31. एक पैटेलार हैमर
32. लंग फन्गशन माप के लिए एक पिक-पलो मीटर
33. एक पेट वास सेट
34. निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकता के अनुसार कारखाना चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अनुशंसित कोई अन्य उपकरण।

(1) 51 से 200 कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखाने के लिए:

1. चार लकड़ी की खपची 900 एम एम X 100 एम एम X 6 एम एम
2. चार साधारण लकड़ी की खपची 50 एम एम X 75 एम एम X 6 एम एम
3. दो साधारण लकड़ी की खपची 250 एम एम X 50 एम एम X 12 एम एम
4. एक जोड़ा आरटरी चिमटी
5. इंजेक्शन-मोरफिया, पैथीडाईन, एट्रोपाइन, आडरीनेलाईन, कोरामाईन, नोबो कैन (प्रत्येक 2)
6. एक सर्जिकल कैंची

(2) 200 कर्मकारों से अधिक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए :

1. आठ साधारण लकड़ी की खपची 900 एम एम X 100 एम एम X 6 एम एम
2. आठ साधारण लकड़ी की खपची 350 एम एम X 75 एम एम X 6 एम एम
3. चार साधारण लकड़ी की खपची 250 एम एम X 50 एम एम X 12 एम एम
4. दो जोड़ा आरटरी चिमटी
5. इंजेक्शन-मोरफिया, पैथीडाईन, एट्रोपाइन, आडरीनेलाईन, कोरामाईन, नोबो कैन (प्रत्येक 4)

6. दो सर्जिकल कैंची।

(5) एम्बुलैस वैन.—(i) "खतरनाक प्रक्रिया" करने वाले किसी कारखाने में उसमें दी गई वस्तुओं से सुसज्जित अच्छी स्थिति में उपयुक्त रूप से निर्मित एम्बुलैस वैन उपलब्ध कराई जाएगी तथा अनुरक्षित की जाएगी तथा दुर्घटना तथा बीमारी के गम्भीर मामलों के वहन के प्रयोजन के लिए एक पूर्णकालिक चालक एवं मैकेनिक तथा प्रथम उपचार में प्रशिक्षित सहायक द्वारा सुसज्जित होगी। एम्बुलैस वैन उसमें नियत प्रयोजन से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी तथा साधारणतः व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर या के निकट खड़ी की जाएगी :

परन्तु 200 कर्मकारों से कम नियोजित करने वाला कारखाना किसी आपातिक स्थिति को पूरा करने के लिए निकटतम अस्पताल तथा अन्य स्थानों से लघु नोटिस पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

(ii) एम्बुलैस में निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए:—

(क) सामान्य :

- फोल्डिंग तथा एडजस्टिंग उपकरण सहित एक पहिए वाली स्ट्रैचर; स्ट्रैचर का सिरा ऊपर की ओर झुकाव के समर्थ होना चाहिए ;
- उपकरण के साथ स्थिर चूषण यूनिट ;
- उपकरण सहित स्थिर ऑक्सीजन आपूर्ति;
- गलाफ सहित तकिया, शीट, कम्बल, तौलिए;
- इमीसिस बैग, बैड पैन, मूत्र गिलास ;

(ख) सुरक्षा उपकरण :

- 30 मिनट के जीवन सहित फाल्टस, फलैश लाईट;
- फलैश लाईट, अग्निशमक शुष्क पाउडर आदि;
- इन्सूलेटिड गांटलैटस;

(ग) आपातिक देखभाल उपकरण पुनरुज्जीवन :

- पोर्टेबल चूषण इकाई, पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट;
- बैग—वाल्व—मास्क, हाथ से संचालित कृत्रिम संवातन यूनिट;
- एयरवेज, मुंह गैग, ट्राचेस्टोमी अडाप्टर;
- लघु स्पाईन बोर्ड, आई.वी फ्लूड संचालन इकाई
- बी.पी. मोनीमीटर, कुम, स्टेथो स्कोप

(घ) ईमोबीलाईजेशन :

—लम्बा तथा लघु पैडिड बोर्ड, वायर लेडर स्पलिंग

— तिकोनी वैन्डेज, लम्बा तथा लघु स्पाईन बोर्ड

(ड) ड्रैसिंग:

—गैज पैड— 4" X 4", यूनिवर्सल ड्रैसिंग— 10" X 36"

—एल्यूमिनियम फोयल का रोल; सोपट रोलरबैन्डेज 6" X 5 गज 3" रोल में चिपकने वाली टेप (सेप्टी पिन्)।

—बैन्डेज शीट, बर्न शीट

(च) विषाक्तता :

—डोज में पूर्व पैकेड सक्रियित चारोकल इपीका का सिरप, सर्प काटने की किट;

—पीने का पानी

(छ) आपातिक दवाई:

— आवश्यकता के अनुसार (केवल "चिकित्सा अधिकारी" की सलाह के अधीन)

(6) विसंदूषित सुविधाएं.—"खतरनाक प्रक्रिया" चलाने वाले प्रत्येक कारखाने में आपातिक स्थिति निपटने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी:—

(i) पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रथम उपचार बॉक्स;

(ii) कार्मिकारों द्वारा प्रक्षालन (धुलाई) तथा कर्मिकारों के कपड़ों, जो खतरनाक तथा क्षयकारी पदार्थ से संदूषित हो गए हैं, के समाप्लावन के लिए जल के सहज ही सुलभ साधन तथा ऐसे साधन निम्न तालिका में दर्शाये मापक्रम (स्केल) के अनुसार होंगे:—

तालिका

क्रम संख्या	किसी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	समाप्लावन फुहारों की संख्या
(क)	50 कर्मिकारों तक	2
(ख)	51 से 200 कर्मिकारों तक	2+1 प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके भाग के लिए
(ग)	201 से 500 कर्मिकारों तक	5+1 प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके भाग के लिए
(घ)	501 कर्मिकारों से अधिक	8+1 प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके भाग के लिए

(iii) आसवित जल या उपयुक्त तरल से भरी हुई आंख-धोने के लिए बोतलों की पर्याप्त संख्या बक्सों या अलमारी में सुविधाजनक रूप से स्थित तथा प्रभेदी चिह्न द्वारा स्पष्ट रूप से उपदर्शित रखी जाएंगी, जो सभी समयों पर दृश्यमान होंगी।

58. किसी भी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम (संकट) की धारा 88 के अधीन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा.—किसी भी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया (चाहे संकटमय या अन्यथा) में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा अनुसूची-ग में दर्शाये गए मान की होगी।

59. कारखाने के निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी और अपील की धारा 90 के अधीन रीति.—निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता द्वारा किये गए आदेश से व्यथित किसी कारखाने का अधिभोगी, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, क्रमशः मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता को अपील कर सकेगा, जो अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी पंद्रह दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील पर विचार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

60. कारखानों में पर्यवेक्षण या प्रबंधन या गोपनीय पद धारण करने वाले धारा 91 कि उप-धारा 1 के अधीन व्यक्ति.—कारखानों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करने वाला और गोपनीय पद पर नियोजित किये जाने वाले माने जाएंगे:—

- (i) प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी या वरिष्ठ उपाध्यक्ष या महाप्रबंधक;
- (ii) उप-महाप्रबंधक या प्रबंधक या कारखाना प्रबंधक;
- (iii) उप-प्रबंधक या उप-कारखाना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक या सहायक कारखाना प्रबंधक;
- (iv) मुख्य कल्याण अधिकारी या कल्याण अधिकारी या श्रम कल्याण अधिकारी;
- (v) विभागों के प्रमुख;
- (vi) अधीक्षण अभियंता;
- (vii) कार्यकारी अभियंता या सहायक अभियंता;
- (viii) क्रम संख्या (i) से (vii) पर उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्तियों के सचिव या निजी सहायक;
- (ix) सब स्टेशन इंजीनियर;
- (x) प्रधान इलेक्ट्रीशियन;
- (xi) पर्यवेक्षक या फोरमेन;
- (xii) प्रधान स्टोर कीपर;
- (xiii) प्रधान टाइमकीपर;
- (xiv) स्टोर क्रय अधिकारी;
- (xv) कार्यालय अधीक्षक;
- (xvi) प्रधान लेखाकार या लेखाकार जहां कोई प्रधान लेखाकार नहीं है;
- (xvii) कोषपाल (कैशियर);
- (xviii) कपड़ा मिलों में बुनाई मास्टर और कताई मास्टर;

(xix) बिजली घर (पावर हाउस) अधीक्षक;

(xx) कोई अन्य व्यक्ति जो इस रूप में नियोजित है और जिसे मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में घोषित किया गया है।

अनुसूची

कारखानों के वर्ग	कार्य का स्वरूप	छूट की सीमा	शर्तें
1	2	3	4
समस्त कारखाने	अत्यावश्यक मरम्मत, निम्नलिखित को अत्यावश्यक मरम्मत माना जाएगा, अर्थात :- (क) मशीनरी संयंत्र या कारखाने की संरचना के किसी भी हिस्से की मरम्मत जो इस प्रकार की है कि उनके निष्पादन में देरी से मानव जीवन या सुरक्षा को खतरा या निर्माण प्रक्रिया बंद हो सकती है।	धारा 25, 26 और 31	(i) किसी भी कर्मकार को किसी एक दिन में तेरह घंटे से अधिक या ऐसी मरम्मत में उसकी पहले नियोजन से आरम्भ होने वाले लगातार तीन दिनों के दौरान उन्तालीस घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
समस्त कारखाने	(i) मिल गियरिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग या लाइटिंग उपकरण, मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल लिफ्ट या स्टीम या जल के पाइप या पंप के सम्बन्ध में मशीन, स्मिथी या फाउंड्री शॉप में कार्य करना;	धारा 25 और 31	अधिभोगी द्वारा संबंधित निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से किए गए आवेदन पर मुख्यनिरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा दी जाने वाली छूट केवल व्यक्तियों की सीमित संख्या की बाबत ही प्रदान की जाएगी।
	(ii) परीक्षण या मरम्मत का कार्य और मशीनरी या संयंत्र का वह भाग जो कारखाने में कार्य करने के लिए आवश्यक है; और	धारा 25 और 31	अधिभोगी द्वारा संबंधित निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से किए गए आवेदन पर मुख्यनिरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा दी जाने वाली छूट केवल व्यक्तियों की सीमित संख्या की बाबत ही प्रदान की जाएगी।
	(iii) कारखाने में नियमित कार्य आरम्भ करने के लिए भाप या गैस की तैयारी के लिए आग जलाने जैसे रोलिंग मिलों में इंजीनियर कक्ष, बॉयलर हाउस और भट्टियों में कार्य करना।	धारा 25 और 31	अधिभोगी द्वारा संबंधित निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से किए गए आवेदन पर मुख्यनिरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा दी जाने वाली छूट केवल व्यक्तियों की सीमित संख्या की बाबत ही प्रदान की जाएगी।
	(क) रोल बदलने से सम्बंधित कार्य	धारा 25 और 31	अधिभोगी द्वारा संबंधित

लौह इस्पात, (ख) कारखानों, कोयलाखानों, रेलवे, धारा 25 और 31
पीतल या ताम्बा ट्रामपंथो, मोटर, परिवहन या
रोलिंग मिल्स मरम्मत, संचारण, गैस विद्युत्
उत्पादन तथा संचारण, पंपिंग या
सामान्य इंजीनियरिंग कार्यो और
फाउंड्री में कार्यन्वित समरूप
आवश्यक या लोकोपयोगी सेवाएं
और जो ऐसी इकाइयों को सामान्य
कामकाजी घंटों के दौरान अपनी
मुख्य विनिर्माण प्रक्रियाओं, उत्पादन
या सेवाओं को बनाए रखने में सक्षम
बनाने के लिए आवश्यक है; और

(ग) मोटिव पोसर के परिवर्तन के
सम्बन्ध में मरम्मत, उदाहरणतया भाप
से विद्युत् या विषय्येन जब ऐसा
कार्य सामान्य विनिर्माण प्रक्रिया को
रोकने के सिवाए सम्भवतः नहीं हो
सकता है; और

(घ) स्पष्टीकरण पद "परीक्षण" या
"मरम्मत" में "कालीक सफाई"
सम्मिलित नहीं है

समस्त कारखाने (i) कर्मकारों द्वारा प्रकाश, हवादार धारा 25 और 31
और आर्दिकरण उपकरण पर किया
गया कार्य

(ii) अग्नि पंप कर्मकारों द्वारा किया
गया कार्य, और

निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता
के माध्यम से किए गए
आवेदन पर मुख्यनिरीक्षक
एवं सुविधाप्रदाता द्वारा दी
जाने वाली छूट केवल
व्यक्तियों की सीमित संख्या
की बाबत ही प्रदान की
जाएगी।

(ii) कार्य प्रारम्भ होने के
चौबीस घंटे के भीतर,
निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता
को अत्यावश्यक मरम्मत के
स्वरूप का वर्णन करते हुए
नियोजित व्यक्तियों के नाम
और कार्य प्रारम्भ होने का
सही समय और इसके पूर्ण
होने की संभावित अवधि
का वर्णन करते हुए नोटिस
प्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त नोटिस की एक
प्रति कारखाने में सहज
दृश्य स्थान पर अत्यावश्यक
मरम्मत पर कर्मकारों को
लगाने से पूर्व प्रदर्शित की
जाएगी

(iii) धारा 25 के उपबंधों
से छूट केवल व्यस्क पुरुष
कर्मकारों के मामले में ही
लागू होंगी;

(iv) किसी भी कर्मकार को
24 घंटे के विश्राम के बिना
लगातार 14 दिनों से
अधिक के लिए नियोजित
नहीं किया जाएगा।

सिपट की कार्य प्रणाली में
बदलाव और साप्ताहिक
अवकाश की स्वीकृति का
वर्णन करते हुए अग्रिम रूप
से एक नोटिस निरीक्षक-
एवं-प्रसुविधाप्रदाता और
मुख्यनिरीक्षक-एवं-
प्रसुविधाप्रदाता को भेजा

	(iii) कारखाने में कच्चे माल या तैयार वस्तुओं की लदाई या उतराई या परिवहन कारखानों में जहाँ ऐसा कार्य सविराम होता है, में कार्यरत कर्मकार जहां ऐसा कार्य कारखानों में अनिरन्तर होता है,		जाएगा, और इसमें निरीक्षक— एवं—सुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक— एवं—सुविधाप्रदाता को पूर्व सूचना के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह धारा 31 के उपबंधों के अधीन होगा।
समस्त कारखाने	सतत् प्रक्रियाएं सम्बन्धित कार्य	धारा 25, 26 और 31	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः का अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि:— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक—एवं— प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
तेल टैंक स्थापन	पम्पिंग संचालन से सम्बन्धित कार्य	धारा 25, 26 और 31	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि:— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी;

<p>हाइड्रोजन थर्मल विद्युत उत्पादन ट्रांसफार्म के लिए धारा 25, 26 और पावर उत्पादन या सतत कार्य । ट्रांसफार्मिंग स्टेशन</p>	<p>(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और</p> <p>(iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।</p> <p>कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा:</p>
<p>चीनी कारखाने</p> <p>(i) गन्ने से रस निकालने, विशुद्धिकरण, वाष्पीकरण या रस उबालने से सम्बन्धित कार्य । (ii) मस्सुकाइट की क्यूरिंग ; और (iii) बोरी में भरना</p>	<p>परन्तु यह कि:-</p> <p>(i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी ।</p> <p>(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक एवं प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और</p> <p>(iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।</p> <p>कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह कि:-</p> <p>(i) कर्मकार की अगली</p>

आसवनी (मद्यशाला)	किण्वन (उबाल) सम्बन्धित कार्य	आसवन से धारा 25, 26 और 31	<p>शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी;</p> <p>(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और</p> <p>(iii) छूट केवल व्यस्क कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।</p> <p>कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह कि:-</p> <p>(i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी ;</p> <p>(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और</p> <p>(iii) छूट केवल व्यस्क कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।</p> <p>कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या</p>
रासायनिक कारखाने	(i) सल्फर से जलने, गोला बारूद, क्लोरीकरण की तैयारी और गैसों के शुद्धिकरण से संबन्धित कार्य (ii) रिएक्टरों पर कार्य	धारा 25 और 26	

तेल कारखानों रिफाइनिंग, क्लीचिंग, फिल्टरिंग धारा 25 और 26
का डिओडोराइजिंग, गैसों के हाइड्रोजन
हाइड्रोजनीकरण संपीड़न का उत्पादन और सिलेंडर
भरने का कार्य

भागतः अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह कि:-

(i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी ;

(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और

(iii) छूट केवल व्यस्क कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।

कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह कि:-

(i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी ;

(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और

(iii) छूट केवल व्यस्क कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।

कागज कारखाने	के काटना, नीडर्स, डाइजेस्टर, स्ट्रेनर्स, नियम 34, 35 और वाशर्स, वीटरर्स, पेपर बनाने की मशीनें, पंपिंग प्लांट, रीलर्स और कटर पर कार्य करना	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि:— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
रबर कारखाने	टायर काटने का कार्य	धारा 25 कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः कार्य अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि, — (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी। (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों की ही निर्बन्धित होगी।
नगरपालिका, सार्वजनिक और रेलवे के पेयजलों और सीवरेज पंपिंग स्टेशन	लगातार कार्य प्रक्रिया में कार्यरत समस्त कर्मकार	धारा 25 और 26 कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी।

			(ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और
			(iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
चमड़ा बनाने के कारखाने	खाल, केल्य और चर्म के भिगोने, फैलाने, धोने, प्रक्षालन, बनाने और सुखाने के कार्य	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि, - (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी। (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों की ही निर्बन्धित होगी।
ईंटे	आवा भट्टों पर कार्य	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि.- (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी। (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा-प्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
रोलर आटा मिल (चक्की)	सभी कार्य	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि.- (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी। (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं-प्रसुविधा-प्रदाता को जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और

(iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।

साबुन	साबुन उबालने और साबुन सुखाने के पात्र पर काम करने वाला।	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है की अनुपस्थिति में, शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं- प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
कपड़ा कारखाने	रंगाई, रंगाई, विरंजन (ब्लीचिंग), परिष्करण (फिनिशिंग) और छपाई से सम्बद्ध संकर्म	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं- प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
रेयन (सिल्क)	रेशम एसेलोन और सेलुलोज/ एसेटेट प्रोडूसर, गैस एसेटीक एसीड एलडेहाइड सेलुलोज डोप के विनिर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्य।	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में, किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,— (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चातवर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक-एवं- प्रसुविधाप्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चातवर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
शीशा कारखाना	गढ़ाई (मोलडिंग)	धारा 25 और 26	कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में, किसी शिफ्ट कर्मकार को

और फूंकना (ब्लोइंग)	पश्चात्पूर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,—
	<ul style="list-style-type: none"> (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (ii) पश्चात्पूर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक—एवं— प्रसुविधा—प्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चात्पूर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
मीनाकारी (कलई) भट्टी में डालकर गर्म करना मीनाकारी (कलई) का संकर्म धारा 25 और 26	<p>कोई कर्मकार, जो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने में असफल रहा है, की अनुपस्थिति में, किसी शिफ्ट कर्मकार को पश्चात्पूर्ती शिफ्ट का कार्य पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह कि,—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) कर्मकार की अगली शिफ्ट सोलह घंटे की अवधि बीत जाने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी; (iii) पश्चात्पूर्ती शिफ्ट के प्रारम्भ के चौबीस घंटे के भीतर, निरीक्षक—एवं— प्रसुविधा—प्रदाता को, जिसके अन्तर्गत कर्मकार को पश्चात्पूर्ती शिफ्ट में कार्य करना अपेक्षित है परिस्थितियों का वर्णन करते हुए नोटिस भेजा जाएगा; और (iii) छूट केवल व्यस्क पुरुष कर्मकारों को ही निर्बन्धित होगी।
फल, सब्जी और टीनबंदी कारखाने संकर्म प्रक्रिया में लगातार लगे हुए समस्त कर्मकार धारा 25, 26 और 31	धारा 31 के उपबन्धों से छूट तब तक लागू होगी जब तक यह कार्य के नोटिस में विराम अन्तराल की अवधि के विनिर्देशन से सम्बन्धित है।
चावल मिल चावल मिलों में धान उबालने, सुखाने, उठाने और भण्डारण करने में लगे हुए व्यक्तियों के कार्य धारा 25	धारा 31 के उपबन्धों से छूट तब तक लागू होगी जब तक यह कार्य के नोटिस में विराम अन्तराल की अवधि के विनिर्देशन से सम्बन्धित है।
प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र मशीनरी का खराब होना धारा 25, 26 और 31	<ul style="list-style-type: none"> (i) किसी भी दिन समय—विस्तार बारह घंटे से अधिक का नहीं होगा, (ii) जब भी किसी आपात स्थिति में इस छूट का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो नोटिस, सम्बद्ध निरीक्षक—एवं—

प्रसुविधाप्रदाता को घटना के चौबीस घंटे के भीतर दिया जाएगा; और

- (iii) धारा 31 के उपबन्धों की छूट तब तक लागू होगी जब तक यह कार्य नोटिस अवधि में विराम अन्तराल की अवधि के विनिर्देशन से सम्बन्धित है।

2. प्रत्येक ऐसे कर्मकार को इस प्रयोजन के लिए उसके रोजगार के स्थान पर विशेष रूप से उपलब्ध करवाए गए किसी कमरा में या स्थान पर हल्का जलपान या भोजन लेने के लिए उचित समय अनुज्ञात किया जाएगा और इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि इससे कर्मकार को असुविधा न हो और उसी समय कारखाना के किसी भी संयन्त्र, मशीन या प्रक्रिया या सामान्य कार्यकरण को रोकने की आवश्यकता न हो।

3. कार्यप्रणाली, शिफ्टों का परिवर्तन और साप्ताहिक छुट्टियां प्रदान करने का वर्णन करते हुए अग्रिम में नोटिस निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को भेजेगा और उसमें निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को पूर्ण सूचना के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और यह इसके अतिरिक्त धारा 31 के उपबन्धों के अधधीन होगा।

समस्त कारखाने

धारा

25, 26
और 31

1.
 - (i) किसी भी दिन समय—विस्तार बारह घंटे से अधिक का नहीं होगा;
 - (ii) जब भी किसी आपात स्थिति में इस छूट का लाभ प्राप्त किया जाता है तो नोटिस, सम्बद्ध निरीक्षक—एवं—प्रसुविधाप्रदाता को घटना के चौबीस घंटे के भीतर दिया जाएगा; और
 - (iii) धारा 31 के उपबन्धों की छूट तब तक लागू होगी जब तक यह कार्य नोटिस अवधि में विराम अन्तराल की अवधि के विनिर्देशन से सम्बन्धित है।

2. प्रत्येक ऐसे कर्मकार को इस प्रयोजन के लिए उसके रोजगार के स्थान पर विशेष रूप से उपलब्ध करवाए गए किसी कमरा में या स्थान पर हल्का जलपान या भोजन लेने के लिए उचित समय अनुज्ञात किया जाएगा और इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि यह कर्मकार को असुविधा कारित न करे और उसी समय कारखाना के किसी भी संयन्त्र, मशीन या प्रक्रिया या सामान्य कार्यकरण को रोकने की आवश्यकता न हो।

3. प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह में औसतन कम से कम एक साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा और जब भी

किसी सप्ताह में दैनिक या सप्ताहिक अनुमत्त कार्य घण्टे अधिक हो जाएं तो किसी विशिष्ट सप्ताह में अधिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, संहिता की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार, संदत्त की जाएगी।

समस्त कारखाने	कोई संकर्म जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के कार्य के रूप में अधिसूचित किया जाए।	धारा 25, 26 और 31	1. (i) किसी भी दिन समय-विस्तार बारह घण्टे से अधिक का नहीं होगा: (ii) जब भी किसी आपात स्थिति में इस छूट का लाभ प्राप्त किया जाता है तो नोटिस, सम्बद्ध निरीक्षक-एवं-प्रसुविधाप्रदाता को घटना के चौबीस घंटे के भीतर, दिया जाएगा। (iii) धारा 31 के उपबन्धों की छूट तब तक लागू होगी जब तक यह कार्य नोटिस अवधि में विराम अन्तराल की अवधि के विनिर्देशन से सम्बन्धित है।
---------------	---	-------------------------	--

2. प्रत्येक ऐसे कर्मकार को इस प्रयोजन के लिए उसके रोजगार के स्थान पर विशेष रूप से उपलब्ध करवाए गए किसी कमरा में या स्थान पर हल्का जलपान या भोजन लेने के लिए उचित समय अनुज्ञात किया जाएगा और इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि यह कर्मकार को असुविधाकर न हो और उसी समय कारखाना के किसी भी सयन्त्र, मशीन या प्रक्रिया या सामान्य कार्यकरण को रोकने की आवश्यकता न हो।

3. प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह में औसतन कम से कम एक साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा और जब भी किसी सप्ताह में दैनिक या साप्ताहिक अनुमत्त कार्य घण्टे अधिक हो जाएं तो किसी विशिष्ट सप्ताह में अधिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, संहिता की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार, संदत्त की जाएगी।

61. नियोक्ता द्वारा अपने बागान में धारा 92 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (ड) के संबंध में उपबंध करना :-

अ. कर्मकारों के लिए आवास सुविधा :-

- (i) प्रत्येक नियोक्ता बागान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवार के लिए यथा संभव कार्य स्थल के निकट गृहवास-सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
- (ii) बागान में कर्मकारों की समस्त निवास सुविधा में महिला कर्मचारियों के लिए अलग कमरे होंगे। ताजी हवा के परिचालन द्वारा पर्याप्त संवातन को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कमरे में प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी और उनमें पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। कमरे या अन्य उपयुक्त अनुकल्पिक आवास-सुविधा इस आकार की होगी ताकि कमरे का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रसोई और शौचालय के क्षेत्र को अपवर्जित करके कम से कम 10 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सके। आवास का निर्माण इस तरह से किया जाएगा ताकि गर्मी, हवा बारिश से बचने के लिए उपयुक्त सुरक्षा हो और फर्श समतल ठोस और अभेद्य (अप्रवेश्य) सतह का हो।

- (iii) आवास सुविधा अच्छी तरह से सूखी हुई, जल निकासी वाली भूमि पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो बागान से दूरी की बाबत आवश्यकता के अनुरूप हो और समुचित दूरी के भीतर स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति भी हो। भौतिक भू-भाग (मैटीरियल ट्रेक्ट) में आवासों को कच्ची और दलदल से सुरक्षित दूरी पर और उच्चतम बाढ़स्तर से ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iv) नियोक्ता जनता को बागान के उन हिस्सों जहां कर्मकारों को रखा गया है में अबाध पहुंच से वंचित नहीं करेगा।
- (v) नियोक्ता, अपने स्वयं के खर्च पर, कर्मकारों के आवास के लिए प्रदान किए गए समस्त आवासों को उपयुक्त और निरापद स्थिति में बनाए रखेगा और वह वार्षिक और ऐसी अन्य मरम्मत, जैसी समय-समय पर आवश्यक हो को भी निष्पादित करेगा।
- (vi) किसी आवास का अधिभोग करने वाला कर्मकार नियोक्ता के ध्यान में आवास की स्थिति में किसी त्रुटि (खराबी) ला सकेगा जिससे कर्मकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा होता हो। जहां निरीक्षक—एवं—सुविधाप्रदाता ऐसी किसी भी त्रुटि(खराबी) को ध्यान में लाता है तो नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें यथासंभव न्यूनतम विलंब से ठीक करें।
- (vii) किसी नियोक्ता द्वारा उसके बागान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवारों को उसके बागान में उपलब्ध करवाई गई आवास सुविधा का कोई किराया प्रभारित नहीं किया जाएगा।

आ. कर्मकारों के लिए शिशु कक्ष सुविधा.—बागान के प्रत्येक नियोक्ता, जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार (किसी भी ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों सहित) नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे, को शिशु कक्ष सुविधा प्रदान करेगा।

इ. कर्मकारों के बालकों के लिए शैक्षिक सुविधा.—यदि बागान स्थल से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई सरकारी प्राथमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है तो प्रत्येक नियोक्ता यदि उसके बागान में कर्मकारों के छह से चौदह वर्ष की आयु के बालकों की संख्या पचीस से अधिक है तो बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल या स्कूलों की व्यवस्था करेगा और उसका रखरखाव भी करेगा।

ई. मनोरंजन सुविधाएं:—(i) प्रत्येक नियोक्ता आवासीय कर्मकारों के प्रत्येक एक सौ पचहत्तर कुटुम्बों या उनके भाग के वयस्क कर्मकारों और उनके बालकों के लिए रेडियो और टेलीविजन, सैर तथा इंडोर खेलों, जैसा राज्य के श्रम-आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक बागान या उसके बाह्य बागान के लिए कम से कम एक केंद्र की व्यवस्था के अध्यक्षीन विनिर्दिष्ट किया जाए। एक के मानदंड से मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था करेगा और उनका अनुरक्षण भी करेगा।

(ii) यदि समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त सीधा खुला स्थान उपलब्ध है तो वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए एक या एक से अधिक खेल के मैदान बाह्य खेलों के लिए आवश्यक खेल उपकरणों सहित व्यवस्था करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

(iii) उपलब्ध और अनुरक्षित किए जाने वाला प्रत्येक मनोरंजन केंद्र कर्मकारों के क्वार्टरों के यथानिकट यथासंभव सुविधाजनक अवस्थित होंगे।

62. धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन महिलाओं या कुमारों (किशोरों) के नियोजन को प्रतिशिद्ध करना या निर्बंधित करना.—(क) राज्य सरकार किसी भी समय परए जैसा यह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा परिसंकटमय रसायनों, कीटनाशियों, नाशकजीवमारों और विषैले पदार्थों के उपयोग और हथालन के लिए दिशा-निर्देश और महिलाओं (गर्भवती महिलाओं से अन्यथा) या कुमारों (किशोरों) को परिसंकटमय रसायनों के उपयोग और हथालन में नियोजन के लिए विशेष रक्षोपाय और कर्मकार जो कीटनाशिया, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थ के संपर्क में आते हैं कि कालिक जांच की व्यवस्था करेगा।

(ख) किसी भी गर्भवती महिला कर्मकार का कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन या भंडारण या परिवहन में कार्यरत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

63. धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन बागान में कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों का उपयोग, हथालन, भंडारण और परिवहन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की अहर्ताएं— कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, हथालन, भंडारण और परिवहन, ऐसे व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा जो निम्नलिखित अहर्ताएं रखता हो :-

- (i) वह कृषि या विज्ञान में स्नातक होगा या वह मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन के कोर्स का प्रमाण पत्र रखता हो।
- (ii) उसे किसी नामनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया होना चाहिए ; और
- (iii) उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर्मकारों को प्रथम सहायता उपचार देने के लिए विधिमान्य प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

64. धारा 93 की उप-धारा (4) के अधीन बागान में कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, हथालन, भंडारण और परिवहन से संबंधित अन्य मामले.—(1) किन्हीं भी कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों का इस तरह से परिवहन और भंडारण नहीं किया जाएगा जो खाद्य पदार्थों या पशुचारा या पेयजल के साथ सीधे संपर्क में आते हों।

(2) यदि किन्हीं कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों का परिवहन या भंडारण के दौरान रिसाव करते हुए पाए जाते हैं तो यह नियोक्ता की जिम्मेवारी होगी कि वह मिट्टी या पानी, यदि कोई है, के विषाक्तकरण और प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल उपाय करें।

(3) कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों वाले पैकेजों को ऐसी वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए गए कमरों या परिसरों से दूर अलग कमरों या परिसरों में संग्रहित किया जाएगा या कीटनाशियों की मात्रा और प्रकृति का ध्यान रखते हुए अलग अलमारी में सुरक्षित ताले में रखा जाएगा।

(4) कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर पर्याप्त आकार सहित अच्छी तरह से विनिर्मित, शुष्क, अच्छी तरह से प्रकाशित और संवातनित होंगे।

(5) कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन में लगे हुए कर्मकारों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित संस्थानों में सुरक्षा पूर्वावधानिया के पर्यवेक्षण और उन्हें उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपकरण के हथालन में उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

65. धारा 93 की उप-धारा (5) के अधीन कर्मकारों के कालिक चिकित्सीय परीक्षण की रीति.—(1) प्रत्येक कर्मकार का जो कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन व्यवहार (लेनदेन) या छितरने या मिश्रण करने के कार्य में लगे हुए हैं, प्रारम्भ में नियोजन के समय पर और तत्पश्चात प्रत्येक छह: मास में एक बार चिकित्सीय रूप से परीक्षण किया जाएगा। ऐसे चिकित्सीय परीक्षण की लागत नियोक्ता द्वारा बहन की जाएगी।

(2) चिकित्सीय परीक्षण और जांच का अभिलेख नियोजन द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) विषाक्तता के लक्षण दिखने वाले किसी भी व्यक्ति की तुरंत जांच करवायी जाएगी और उसे उचित उपचार दिया जाएगा।

66. धारा 93 की उप-धारा (7) के अधीन सुविधाओं, सुरक्षा वस्त्र और उपस्कर प्रदान करने की रीति.—(1) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों को धुलाई, स्नान और कलॉक रूम सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन में नियोजित है।

(2) सुरक्षा वस्त्र और उपकरण.—(क) कीटनाशियों रसायनों और विषैले पदार्थों का हथालन करने वाले व्यक्तियों को इनका कार्यान्वयन करने, वितरण करने, मिश्रण करने और छिड़काव करने के दौरान, समुचित वस्त्रों से पर्याप्त संरक्षित किया जाएगा।

(ख) सुरक्षा वस्त्र ऐसी सामग्रियों से बनाया जाएगा जो किसी भी प्रकार के कीटनाशियों रसायनों और विषैले बनने से रोकता हो या उन्हें किसी भी रूप में प्रवेश करने से रोकता हो और सामग्रियां धुलाई योग्य भी होंगी ताकि विषैले अणुओं को प्रत्येक उपयोग के पश्चात् समाप्त किया जा सके।

(ग) सुरक्षा वस्त्र के सम्पूर्ण सूट में निम्नलिखित मदे/वस्त्र होंगे:—

- (i) टोपी के साथ सुरक्षा बाहरी परिधान;
- (ii) रबर दस्तानें या अन्य ऐसे अन्य सुरक्षा दस्तानें, जो तरल पदार्थ के अभेद्य सामग्रियों से बने अग्रमी भुजा तक हों;
- (iii) धूल रहित चश्में;
- (iv) जूते; और
- (v) पुनः प्रयोज्य कपड़े का मास्क।

67. धारा 93 की उप-धारा 9 के अधीन बागान पूर्वावधानियों की सूचना.—

चेतावनी नोटिस

1. इस बागान में प्रयुक्त रसायन खतरनाक (संकटमय) हैं
2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, तम्बाकू चबाना, खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन प्रतिषिद्ध है
3. इस क्षेत्र में कोई भी खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ नहीं लाया जाएगा
4. इनमें से कुछ रसायन चमड़ी के माध्यम से अवशोषित/आमेलित हो सकेंगे और विष पैदा कर सकेंगे।
5. भोजन करने से पूर्व हाथों की अच्छी तरह से सफाई (धुलाई) की जाए
6. इस क्षेत्र में कार्य करते समय आपूर्ति कृत प्रतिरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा
7. शरीर के किसी भाग पर या फर्श पर रसायनों के छलकाव को तुरंत पानी से धोया जाएगा
8. समस्त कामकार अपनी स्वास्थ्य की प्रतिरक्षा हेतु नियमित रूप से विहित चिकित्सा परीक्षणों हेतु रिपोर्ट करेंगे।

अपराध और शास्तियां

68. राज्य सरकार के अधिकारियों की धारा 111 की उप-धारा (1) के अधीन कति पच मामलों में शास्तियों अधिरोपित करने की शक्तियां.—(1) शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ जांच करने के लिए

नियुक्त अधिकारी श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश या श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी होगा जिसे इस निमित्त श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा नवनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ जांच करने के लिए नियुक्त अधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:—

(क) सम्बन्धित अधिकारिता के निरीक्षक—एवं—सुविधाप्रदाता से धारा 111 (1) में यथाउल्लिखित उपबन्धों के अतिक्रमण (उल्लंघन) के व्यौरों की प्राप्ति पर, जांच करने वाला अधिकारी, नियोक्ता/ प्रबन्धक और निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता की उपस्थिति के लिए साक्ष्य देने और जांच के सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन भेजेगा।

(ख) दोनों पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अधिकारी कार्यवाहियां नोट करेगा और सात दिन के भीतर शास्ति का आदेश पारित करेगा या नियोक्ता/प्रबन्धक को आदेश में कारणों को अधिकथित करके उन्मोचित कर देगा। आदेश की एक प्रति दोनों पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा परिदत्त की जाएगी।

(ग) अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपील कर सकेगा। अपील अधिकारी के आदेश की प्रति के प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर की जाएगी।

(घ) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक शास्ति के आदेश में वर्णित रकम को अपीलीय प्राधिकारी के पास प्रतिभूति राशि के रूप में जमा नहीं कर दिया जाता है।

(ङ) अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटारा साठ दिन के भीतर करेगा

(च) अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा,—

1. उक्त आदेश में अधिरोपित शास्ति का आदेश
2. आधार जिस पर आक्षेपित (प्रतिवादित) आदेश को अभिखंडित किए जाने की आवश्यकता है।
3. राहत (अनुतोष) के लिए वांछा
4. समय—समय पर अधिसूचित फीस के चालान

69. विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा धारा 114 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति.—(1) धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी उन अपराधों, जो धारा 114 की उप-धारा (1) के अधीन शमनीय हैं, के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शमनीय नोटिस जारी करेगा।

(2) जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है वह व्यक्ति अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली आवेदन कर सकेगा और नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर सम्पूर्ण शमनीय रकम (राशि) को इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण द्वारा या अन्यथा जमा करेगा।

(3) शमनीय अधिकारी, शमनीय रकम की प्राप्ति के दस दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति, जिससे शमनीय नोटिस के समाधानप्रद ऐसी रकम प्राप्त हुई है, को शमनीय प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) वह व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया था अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व एक मास के भीतर शमनीय रकम जमा करने में असफल रहता है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

(5) नियोक्ता को कोई भी अभियोजन धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्धों और धारा 114 के अधीन शमन किए जाने के अध्यक्षीन ऐसे उपबन्धों का पालन करने हेतु सुनवाई को अवसर दिए बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

प्रकीर्ण

70. किसी कार्यस्थल पर कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित परिस्थिति पर धारा 121 की उप-धारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की रीति.—राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 121 (2) के उपबन्धों के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए इस प्रकार नियुक्त मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधाप्रदाता, अधिकारी या समिति, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कार्य के घण्टों के दौरान किसी भी समय अथवा किसी भी अन्य समय, जैसा उसके या समिति के द्वारा अनिवार्य पाया जाता है, नियोक्ता या प्रतिष्ठान के प्रबन्धक अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो तत्समय के लिए प्रतिष्ठान का प्रभार लिए जाने हेतु तात्पर्यित है, को लिखित में नोटिस देने के पश्चात् प्रतिष्ठान में और प्रतिष्ठान के बाहर सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित सर्वेक्षण करवा सकेगा। नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अन्य कारवाई क्रियाकलापों, जैसे सर्वेक्षण समिति द्वारा उक्त सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने हेतु अनिवार्य समझे जाएं, सहित अनुपालन किया जाएगा:—

- (1) नियोक्ता या प्रबन्धक अथवा अन्य व्यक्ति ऐससर्वेक्षण के लिए संयन्त्र और मशीनरी के परीक्षण और जांच पड़ताल और सर्वेक्षण से सुसंगत नमूनों तथा अन्य डेटा के संग्रहक के लिए प्रसुविधायों सहित समस्त प्रसुविधाएं प्रदान करेगा।
- (2) सर्वेक्षणों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मकार और सामिप्य व्यक्ति, यदि सर्वेक्षण संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, ऐसा चिकित्सा परीक्षण, करवाने हेतु स्वयं को प्रस्तुत करेगा जैसा ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए, और उसके अधिपत्य में और सर्वेक्षण से सुसंगत समस्त सूचना प्रस्तुत करेगा।
- (3) किसी कर्मकार द्वारा उप-नियम (2) के अधीन चिकित्सा परीक्षण करवाने या सूचना देने के लिए उपयोग किए गए कार्य को मजदूरी और अतिरिक्त मजदूरी प्ररिकलित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा समय समझा जाएगा जिसके दौरान ऐसे कर्मकार ने प्रतिष्ठान में कार्य किया था।

71. धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अधीन सक्षम व्यक्ति.—(1) मुख्य निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिए, जैसी ऐसे भवनों, खतरनाक मशीनरी, उत्तोलकों और लिफ्ट, लिपिटंग मशीनों और लिपिटंग अवंधनों, प्रेशर प्लांट, परिरुद्ध स्थान, वातानुकूलन प्रणाली और संहिता और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथानियत किसी प्रतिष्ठान में प्लांट और उपस्कर की ऐसी अन्य प्रक्रिया के लिए जांच पड़ताल, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए, किसी व्यक्ति को "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता दे सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति इस नियम के साथ संलग्न में विनिर्दिष्ट अर्हताओं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखता हो :

परन्तु मुख्य निरीक्षक—एवं—सुविधाप्रदाता समक्ष व्यक्ति के सम्बन्ध में अर्हताओं की अपेक्षाओं में छूट दे सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति असाधारण रूप से अनुभवी और सुविज्ञ हो :

परन्तु यह और कि जहां मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता देना प्रस्तावित है तो राज्य सरकार की स्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी और ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रकार मान्य किए जाने के पश्चात निरीक्षक—एवं—सुविधाप्रदाता की शक्तियां नहीं होगी।

(2) मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता, इस नियम से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की किसी प्रतिष्ठित संस्था को भवनों खतरनाक मशीनरी, उत्तोलक और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग आबंधनों, प्रेशर प्लांट, परिरुद्ध स्थान, वातानुकूलन प्रणाली और संहिता और तदधीन बनाए गए नियमों में यथानियत किसी स्थापन में अवस्थित प्लांट और उपस्कर की ऐसी अन्य प्रक्रियाओं की जांचपड़ताल, परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणीकरण कार्यान्वित करने के लिए ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकेगा।

(3) इस नियम के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने वाला व्यक्ति 62 (बासठ) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा और वह जांच पड़ताल, परीक्षक और निरीक्षक कार्यान्वित किए जाने के प्रयोजन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य भी होगा।

(4) मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता प्रत्येक वर्ष के मई मास में पोर्टल पर या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति/संस्था को सक्षम व्यक्ति होने हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए नोटिस दे सकेगा मान्यता की प्रक्रिया दो आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पूर्ण किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से संदत्त की जाने वाली 25,000/- रुपए की फीस (अप्रतिदेय) और एक लाख रुपए की प्रतिभूति (बिना ब्याज प्रतिदेय) संदत्त की जाएगी जिसे लेखा शीर्ष में जमा किया जाएगा। मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसी फीस और प्रतिभूति का अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा।

(6) संहिता के अधीन मान्यता चाहने वाला व्यक्ति/संस्था क्रमशः प्रारूप 19 या प्रारूप 20 में आवेदन करेगा।

(7) यदि मान्यता दिए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति(यों) की अर्हता और अनुभव नियमों के अनुरूप पायी जाती है, तो व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता द्वारा गठित किए जाने वाले साक्षाकार बोर्ड के समक्ष परीक्षण और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकेगा।

(8) मुख्या निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता, साक्षात्कार बोर्ड के परीक्षण और रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर और आवेदक की सक्षमता और उसके निपटान हेतु उपलब्ध प्रसुविधाओं की बाबत उसका समाधान हो जाने के पश्चात् किसी आवेदक को प्रारूप 21 में सक्षमता का प्रमाण-पत्र जारी करके एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकेगा या ऐसे आवेदन का उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करके उसे अस्वीकृत करते हुए निपटान किया जाएगा।

(9) मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता, यदि उसके विश्वास का कारण है कि सक्षम व्यक्ति ने,-

(क) सक्षमता प्रमाण-पत्र में नियत किसी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ख) कोई जांच-पड़ताल, परीक्षण और निरीक्षण कार्यान्वित किया है या संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों के आशय से या प्रयोजन से असंगत किसी रीति में कार्य किया है अथवा संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कार्य करने का लोप किया है; या

(ग) लिखित में अभिलिखित, किए गए किसी अन्य कारण से सक्षम व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सक्षमता प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहत कर सकेगा।

(10) यदि प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण किया गया है तो सक्षम व्यक्ति द्वारा जमा की गई प्रतिभूति समपहृत हो जाएगी।

अनुसूची-क

क्रम संख्या	प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता आपेक्षित है	अर्हता	अनुभव	निपटान के लिए प्रसुविधाएं
1.	भवनों का प्रमाणीकरण कारखाने के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली उनकी स्थिरता	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या अवसंरचना इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और इसके समकक्ष में से किसी निम्नलिखित का (ख) सदस्य या सह – सदस्य:- (1) सिविल इंजीनियर्स का संस्थान ; या (2) अवसंरचना इंजीनियर्स का संस्थान, या (3) सिविल इंजीनियरिंग या अवसंरचना इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स का संस्थान।	(1) अभिकल्प या सन्निर्माण या अवसंरचनाओं के परीक्षण या मुरम्मत में से कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव: परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्णात की उपाधि रखते हो, न्यूनतम अनुभव सात वर्ष का होगा। (2)अनश्वर परीक्षण, पद्धतियों के विभिन्न मानकों और सहिताओं, जो विद्यमान है और भवन की स्थिरता पर कंपनों तथा प्राकृतिक बलों के प्रभाव का ज्ञान/जानकारी; और	
2.	खतरनाक मशीनें	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियान्त्रिकी (मकेनिकल) या उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।	(1) निम्नलिखित में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अनुभव:- (क) अभिकल्पया प्रचालन या अनुरक्षण या (ख) सुसंगत मशीनरी की जांच-पड़ताल, परीक्षण और निरीक्षण, उनके संरक्षक, सुरक्षा उपकरण और उपस्कर ; (2) (क) सुरक्षा उपकरणों और उनके उचित कार्यकलापों के साथ सुपरिचित होना चाहिए (ख) त्रुटियों और विफलता के अन्य कारणों की पहचान करने के योग्य होना चाहिए: परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्णात की उपाधि रखते हों, न्यूनतम अनुभव सात वर्ष का होगा, और	माप के लिए गेज (प्रकापन) और गति को मापने के लिए उपकरण तथा खतरनाक मशीन के उपयोग में सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु कोई अन्य उपस्कर या उपकरण।
3.	उत्तोलक एवं लिफ्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी (मकेनिकल) या उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष	(1) निम्नलिखित में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अनुभव:- (क) अभिकल्प या परिनिर्माण या अनुरक्षण, या (ख) उत्तोलकों एवं लिफ्टों की परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया: परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्णात की उपाधि रखते हो, न्यूनतम अनुभव सात वर्ष का होगा। (2)(क) पद्धतियों और	

			<p>परीक्षण प्रक्रियाओं के निर्वर्तमान और सुसंगत संहिताओं से सुपरिचित होना चाहिए ;</p> <p>(ख) उत्तोलकों और लिफ्ट की सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य वैधानिक अपेक्षाओं से सुपरिचित होना चाहिए।</p>	
4.	लिपिटिंग मशीनों, चेनों, रस्सियां और लिपिटिंग निरोधक (टेकल)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियान्त्रिकी या धातुकर्म अथवा उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।</p>	<p>(1) निम्नलिखित में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अनुभव:-</p> <p>(क) अभिकल्प या परिनिर्माण या अनुरक्षण,</p> <p>(ख) लिपिटिंग मशीनों, चेनों, रस्सियों और लिपिटिंग निरोधकों (टेकल) परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया परन्तु उन व्यक्तियों के लिए, जो निष्णात की उपाधि रखते हो, न्यूनतम अनुभव सात वर्ष का होगा।</p> <p>(2) (क) पद्धतियों और परीक्षण प्रक्रियाओं की निर्वर्तमान और सुसंगत संहिताओं से सुपरिचित होना चाहिए।</p> <p>(ख) फ्रैक्चर मशीनों और सन्निर्माण की सामग्री के धातुकर्मों से सुपरिचित होना चाहिए।</p> <p>(ग) लिपिटिंग मशीनरी और लिपिटिंग निरोधकों (टेकल) के प्रविबल युक्त घटकों और पुर्जों (खण्डों) को यथा लागू तप्त उपचार या प्रतिबल युक्त तकनीकों के सुपरिचित होना चाहिए।</p>	
5.	प्रेसर प्लांट	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या अभियान्त्रिकी या धातुकर्ता अथवा उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।</p>	<p>(1) निम्न में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अनुभव:-</p> <p>(क) अभिकल्प या परिनिर्माण या अनुरक्षण या</p> <p>(ख) प्रेशर प्लांटों की जांच पड़ताल, परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्णात की उपाधि रखते हो कम से कम सात वर्ष न्यूनतम अनुभव का होगा।</p> <p>(2) (क) प्रेशर प्लांट से सम्बन्धित पद्धतियों और परीक्षण प्रक्रियाओं की निर्वर्तमान और सुसंगत संहिता से सुपरिचित होना चाहिए।</p> <p>(ख) प्रेशर के अन्तर्गत</p>	

			(दबाव के अधीन) परिचालित अनिरहित प्रेशर बर्तनों (डिब्बों) और औजारों (उपस्करों) की सुरक्षा के दृष्टिगत वैधानिक अपेक्षा के साथ सुपरिचित होना चाहिए। (ग) अनश्वर परीक्षण तकनीकों, जो प्रेशर वैसल्स (बर्तनों) के लिए लागू हैं के साथ परिचित हो, और	
6.	धुएं एवं गैसों से सावधानियां	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि।	(1) पर्यावरणीय नमूनों का संग्रहण और विश्लेषण तथा अनुश्रवण उपस्करों के अंशांकन में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अनुभव:- परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्ठात की उपाधि रखते हो, कम से कम अनुभव सात वर्ष का होगा। (2) (क) रसायनिकों और उनकी अनुज्ञेय सीमित मान्यताओं की संकटकालिक परिग्राहियों के साथ सपरिचित होना चाहिए (ख) पर्यावरणीय दूषित पदार्थों के निवर्तमान तकनीकों, नमूनों और विश्लेषण के साथ सुपरिचित होना चाहिए, और	सीमाबद्ध स्थानों में कार्य करते हुए परीक्षणों को कार्यान्वित करने परीक्षणों और सुरक्षा के प्रभावीकरण के लिए सम्यक रूप से आशंकित और प्रमाणित मीटर, उपकरण और कलपुर्जे।
7.	संहिता की धारा 82 के अधीन यथा अपेक्षित वातानुकूलन प्रणाली	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनिक या अभियान्त्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।	(1) धूल, धुएं और माप तथा अन्य सहायक उपकरण के निष्कर्षण और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वातानुकूलन प्रणाली के अभिकल्प, विरचना, परीक्षण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव परन्तु उन व्यक्तियों के लिए जो निष्ठात की उपाधि, कम से कम रखते हो, अनुभव सात वर्ष का होगा। (2) वह उन पद्धतियों और परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ सुपरिचित होगा, जो वातानुकूलन और धुएं की निष्कर्षण प्रणाली की बाबत निवर्तमान है, और	वातानुकूलन प्रणाली उपकरणों के परीक्षण के लिए प्रसुविधाएं और धूल, माप एवं धुएं के लिए निष्कर्षण प्रणाली के प्रभावीकरण का परीक्षण करने हेतु गेज (परिमाप) और इन प्रणालियों की दक्षता और सटीकता निर्धारित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य उपकरण। उसके पास किसी ऐसे उपयुक्त अर्हित तकनीकी व्यक्ति की सहायता होगी जो प्रणाली की सटीकता के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुंच सके।

अनुसूची-ख
पदार्थ सुरक्षा डेटा शीट

1. रसायनिक पहचान

रसायनिक नाम/रसायनिक वर्गीकरण			
समानार्थी व्यवसाय का नाम			
फार्मुला सी.ए.एस. संख्या यू.एन./संख्या			
विनियमित पहचान :	शिपिंग नाम	हैजकेम संख्या:	
	कोड/लेवल		
खतरनाक अपशिष्ट पहचान संख्या:			
खतरनाक संघटक	सी.ए.एस. संख्या	खतरनाक संघटक	सी.ए.एस. कोड
1.3.			
2.4.			

2. शारीरिक और रसायनिक डेटा

बाइलिंग रेंज/बिन्दू C^0	(भौतिक) अवस्था प्रकटीकरण		
पिघलन /फ्रिजिंग बिंदू C^0	भाप प्रेशर	ओडोर	
भाप डैसिटी (वायु-1)	356 एस एम एच जी की दर में अन्य पानी में घुलनशीलता 30.0 सी. एम एम. एचजी		
वनिर्दिष्ट गुरुत्वता	पी. एच.		
जल-1			

3. अग्नि और विस्फोटक जोखिम डेटा :

ज्वलनशीलता हां/नहीं	यू.ई.एल. %	फ्लैश बिंदू तापमान 0सै.	स्वतन्त्रलन 0सै.
टी.डी.जी. ज्वलनशीलता	यूईएल%	फ्लैश बिंदू तापमान 0सै.	खतरनाक दहन के उत्पाद
संघात की विस्फोटक संवेदनशीलता	स्थिर विद्युत की विस्फोट संवेदनशीलता		
खतरनाक बहुलकीकरण			

दहनशील / द्रव्य	विस्फोटक पदार्थ	संक्षारक पदार्थ
ज्वलनशील पदार्थ	ऑक्सीकारक	अन्य
आतिशबाजी पदार्थ	कार्बनिक पेरोक्साइड	

4. प्रतिक्रियात्मक डेटा:

रसायनिक स्थिरता
अन्य पदार्थों के साथ असामंजस्य (असंगतता)
प्रतिक्रिया के प्रतिक्रियात्मक खतरनाक उत्पाद

5. स्वास्थ्य जोखिम डेटा:

संसर्ग के प्रवेश प्रभावों के क्रम / लक्षण						
आपातकालीन उपचार						
टी.एल.वी. (ऐ.सी.जी. आई)	पी पी एम.	एम.जी. / एम.3	एस.टी.ई.एल.	पी.पी.एम.	एमजी / एम.3	
अनुज्ञेय संसर्ग सीमा आई डी 50	पी पी एम.	एम.जी. / एम.3	आर्डर	पी.पी.एम. सीमा	एमजी / एम.3	एल डी-50
एन एफ पीए जोखिम संकेत	स्वास्थ्य ज्वलनशीलता	स्थिरता विशेष				

6. सुरक्षा उपाय :

कार्मिक सुरक्षा उपकरण
रखरखाव और भण्डारण सावधानियां

7. आपातकाल और प्रथम उपचार उपाय (साधन):

अग्नि	अग्नि शामक साधन
विशेष प्रक्रियाएं	
असाधारण जोखिम (खतरे)	
संसर्ग	प्रथम उपचार उपाय
विषनाशक / खुराक	
रिसाव	उठाए जाने वाले कदम

अपशिष्ट निपटान का तरीका

8. अतिरिक्त सूचना / संदर्भ :

9. विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता डेटा :

आपातकाल में सम्पर्क व्यक्ति	
फर्म का नाम व डाक पता	अन्तर्वलित स्थानीय निकाय
दूरभाष / टैलेक्स नम्बर टेलीग्राफिड नम्बर	
पता	
स्टैण्डर्ड पैकिंग	
स्पंदन ब्योरे / संदर्भ	
अन्य	

10. उद्घोषक: इस पदार्थ डेटा शीट में अन्तर्दिष्ट सूचना विश्वसनीय प्रतीत होती है किन्तु उनसे अभिप्राप्त किए जाने वाले परिणामों के विशिष्ट आवेदन के लिए इसकी सटीकता, उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधित्व, गारंटी या किसी प्रकार की वारण्टी नहीं की गई है। यह विनिर्माता/विक्रेता को सुनिश्चित करना है कि पदार्थ सुरक्षा डेटा शीट में अन्तर्दिष्ट उसकी सूचना उसके द्वारा, यथास्थिति, विनिर्मित/हस्तालित या विक्रित उत्पाद से सुसंगत है। सरकार किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस दस्तावेज की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई अभिव्यक्त या विवक्षित वारंटियां चिह्नित नहीं करती है।

अनुसूची-ग

1. परिभाषाएं : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

- (क) “एम जी/एम 3” से, किसी पदार्थ की हवा का प्रति क्यूबिक मीटर का मिलिग्राम अभिप्रेत है;
- (ख) “एमपीपीईएम” से, किसी पदार्थ की हवा का प्रति क्यूबिक मीटर का मिलियन प्रभाग अभिप्रेत है;
- (ग) “पीपीएम” से, मर्करी प्रेशर (पारा दबाव) के 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 एम एम के घनत्व द्वारा माप या गैस की हवा के प्रति मिलियन भागों का कोई भाग अभिप्रेत है ;
- (घ) “समय मापित औसत संकेंद्रण” से किसी कारखाने में किसी भी कार्य स्थल पर हवा में किसी पदार्थ की औसत संकेंद्रण अभिप्रेत है जिसे उस स्थल पर लिए गए किसी दिन सम्पूर्ण शिफ्ट में फैले हुए हवा के नमूनों की पर्याप्त संख्या के मूल्यांकन उस अवधि, जिसके लिए ऐसे नमूने संगृहित किए जाते हैं, को और नमूने लेते समय प्रचलित संकेंद्रण को अधिमान देने के पश्चात् परिकलित किया जाता है।

समय आधारित औसत सी 1 टी 1 + सी 2 टी 2 + _____ सीएम टी एन
संकेंद्रण = _____

टी 1 + टी 2 + _____ टी एन

जहाँ टी 1 (घण्टों में) अवधि के लिए पदार्थ के संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करता है, सी 2, टी 2 (घण्टों में) अवधि के लिए पदार्थ के संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करता है और सी एन, टी एन (घण्टों में) अवधि के लिए किसी पदार्थ के संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करता है।

(ड) "कार्य अवस्थिति" से किसी कारखाने की वह अवस्थिति अभिप्रेत है जहाँ पर कोई कामगार कार्य करता है या किसी दिन किसी शिफ्ट (बारी) के दौरान किसी भी समय कार्य करने हेतु अपेक्षित हो सके।

2. किसी कार्य स्थल पर पदार्थों के संकेंद्रण की सीमाएं—(1) अनुसूची की तालिका 1 या 2 में सूचीबद्ध किसी भी दिवस के किसी पदार्थ की औसत समयभार संकेंद्रण किसी शिफ्ट (बारी) के दौरान किसी कारखाने में किसी भी कार्य अवस्थिति पर उस पदार्थ के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय समयभार औसत संकेंद्रण की सीमा से अधिक नहीं होगा :

परन्तु तालिका 1 में वर्णित किसी पदार्थ, जिसके सम्बन्ध में अल्पकालिक अधिकतम संकेंद्रण के रूप में एक सीमा इंगित की गई है, की दशा में ऐसे किसी पदार्थ का संकेंद्रण किसी समय पर 15 मिनट से अनधिक अल्पावधियों के लिए पदार्थ हेतु समयभार औसत संकेंद्रण इस शर्त के अधधीन अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो सकेगा कि—

(क) ऐसी अवधियों, जिनके दौरान संकेंद्रण विहित समयभार औसत संकेंद्रण से अधिक हो जाता है, को प्रति शिफ्ट (बारी) में 4 अनधिक तक निर्बन्धित किया जाएगा;

(ख) उच्चतर संसर्ग (अनावृत्ति) की ऐसी किन्हीं दो अवधियों के मध्य का समय अन्तराल 60 मिनट से अन्यून का नहीं होगा; और

(ग) वायु में किसी पदार्थ का संकेंद्रण किसी समय अल्पकालिक अधिकतम संकेंद्रण की सीमा से अधिक का नहीं होगा।

2. तालिका—3 में दिए गए किसी पदार्थ की दशा में किसी कारखाने में किसी कार्य स्थल पर किसी दिवस के दौरान किसी भी समय पदार्थ का संकेंद्रण तालिका में विनिर्दिष्ट उस पदार्थ के लिए संसर्ग अनावृत्ति की सीमा से अधिक का नहीं होगा।

3. तालिका 1 और 3 में वर्णित कतिपय पदार्थ के स्थान पर जहाँ "त्वचा" शब्द इंगित किया गया है, वहाँ त्वचीय क्रमों, विशिष्टतया त्वचा, श्लेष्मा झिल्लियां और नेत्रों के माध्यम से अवशोषण रोकने हेतु समुचित उपाय किए जाएंगे क्योंकि उन तालिकाओं में विनिर्दिष्ट सीमाएं वे शर्तें हैं जहाँ संसर्ग केवल श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है।

4. (क) यदि किसी कार्य स्थल (अवस्थिति) पर वायु में तालिका 1, 2 या 3 में वर्णित ऐसे पदार्थों का मिश्रण अन्तर्दिष्ट होता है, जिसमें उसी प्रकार के विषाक्त गुण हैं, तो शिफ्ट के दौरान ऐसे प्रत्येक पदार्थों का समयभार संकेंद्रण ऐसा होगा कि जब इन भार समय संकेंद्रणों को उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में विनिर्दिष्ट क्रमशः अनुज्ञेय समयभार औसत संकेंद्रण से विभाजित किया जाता है और अभिप्राप्त भागों (अंशों) को एक साथ जोड़ा जाता है, तो योग इसके यौगिक (योजक)से अधिक नहीं होगा।

सी 1 सी 2 सी एन

_____ + _____ + _____ + _____

एल 1 एल 2 एल एन

जब सी 1, सी 2 _____ सी एन विषाक्त पदार्थों 1, 2 के समयभार संकेंद्रण हैं _____ और एम क्रमशः कार्य अवस्थिति पर मापकर्म के पश्चात् निर्धारित किया गया है; और एल 1, एल 2 _____ एल एन क्रमशः विषाक्त पदार्थों 1, 2 और एन के अनुज्ञेय समयभार औसत संकेंद्रण हैं।

(ख) यदि किसी कार्य स्थान पर वायु तालिका 1, 2, 3 में वर्णित पदार्थों के किसी मिश्रण को अंतर्दिष्ट करती है और इनमें समरूप विषाक्त गुण नहीं है तो इन प्रत्येक ऐसे पदार्थों का समय-भार संकेद्रण, उस विशिष्ट पदार्थ के लिए उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय समय-भार औसत संकेद्रण से अधिक नहीं होगा।

(ग) खण्ड (क) और (ख) में अपेक्षाएं पैरा 2(1) और 2(2) में अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

3. पदार्थों के संकेद्रण के अपेक्षित निर्धारण की शक्ति.—(1) निरीक्षक-एवं-सुविधा प्रदाता किसी कारखाने के अधियोगी या प्रबन्धक को किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व तालिका 1, 2 या 3 में वर्णित किन्हीं पदार्थों का किसी कार्य स्थल पर कार्यभार औसत संकेद्रण निर्धारित करवाने के लिए लिखित में निर्देश दे सकेगा।

(2) ऐसे निर्धारण के साथ-साथ ऐसे निर्धारण के लिए वायु नमूने तथा विश्लेषण के लिए अपनाई गई पद्धति के परिणाम ऐसे निर्धारण के समापन की तारीख से 3 दिन के भीतर निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता को भेजे जाएंगे और उस का अभिलेख भी निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण हेतु सहजतः उपलब्ध रखा जाएगा।

4. छूट.—यदि किसी कारखाने या कारखाने के भाग के सम्बन्ध में निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता का समाधान हो जाता है कि विभिन्न कार्यस्थलों पर कर्मकारों के कार्यसमय की पद्धति के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण कोई कर्मकार कार्यस्थलों पर तालिका 1, 2 या 3 में विनिर्दिष्ट किसी पदार्थ या पदार्थों से ऐसी सीमा तक वायु में अनावृत है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने हेतु सम्भाव्य है तो वह (मुख्य निरीक्षक-एवं-सुविधाप्रदाता) लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों यदि कोई हो, के अध्याधीन, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, पैरा-2 में अपेक्षाओं से किसी कारखाने या कारखाने के किसी भाग को छूट दे सकेगा।

तालिका-2

पदार्थ	संसर्ग (खुला छोड़ने) की अनुज्ञेय सीमाएं			
	समय-भार औसत सान्द्रण (संकेन्द्रण)		अल्पकालिक अधिकतम सान्द्रण (संकेन्द्रण)	
	पी० पी० ए० म०	मि० ग्रा०/मि म०	पी० पी० ए० म०	मि० ग्रा०/मि म०
एसीटिक अम्ल	10	25	15	37
एक्रिलीन	0.1	0.25	0.3	0.8
एल्डिन-स्कन	—	0.25	—	0.75
अमोनिया	25	18	35	27
एनिलीन स्कन	2	10	5	20
एनिसिडीन (ऑपिआइसोमर्स) स्कन	2.1	0.5	—	—
आसैनिक और यौगिक (एएस के रूप में)	—	0.2	—	—
बेंजीन	10	30	—	—
ब्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2
2 ब्यूटेनोन (मेथिएथिल कीटीन-मीक)	200	590	300	885
एन-ब्यूटिल एसीटेट	150	710	200	950
सेक०/टेर्ट, ब्यूटिल एसीटेट	200	950	250	1190
कैडमियम-धूल और लवण (सी डी के रूप में)	—	0.05	—	0.2
कैल्शियम ऑक्साइड	—	2	—	—
कार्बोरिल (सेविन)	—	5	—	10
कार्बोफ्यूरान (फूराडान)	—	0.1	—	—

कार्बन डाइसल्फाइड-स्कन	2	60	30	90
कार्बन मोनोआक्साइड	50	55	400	440
कार्बन टैक्ट्राइक्लोराइड-स्कन	10	65	20	130
कार्बोनिल क्लोराइड (फाससीन)	0.1	0.4	—	—
क्लोराइडेन-स्कन	—	9.5	—	—
क्लोरेबेंजीन (मोनोक्लोरोबेंजीन)	75	350	—	—
क्लोरीन	1	3	3	9
बी-क्लोरोमैथिल ईथर	0.001	—	—	—
क्रोमिक अम्ल और क्रोमेट	—	0.05	—	—
क्रोमियम, सेल क्रोमिक चरमौस अम्ल	—	0.05	—	—
क्रोमस लवण (सी आर के रूप में)	—	0.02	—	—
तांबा धूम	—	0.02	—	—
कपास धूल, कच्चा	—	0.02	—	—
क्रौसोल, सभी आइसोमर-स्कन	5	22	—	—
साइनाइड (सी एन के रूप में) स्कम	—	5	—	—
सइनोजिन	10	20	—	—
डी० डी० टी० (डाइक्लोरोडाइफनाइन ट्राइक्लोरोइथेन)	—	1	—	3
डमेटोन-स्कन	0.01	0.1	0.03	0.3
डायजिनान-स्कन	—	0.1	—	0.3
डाइब्यूटाइल फाइथेलेट	—	5	—	10
डाइक्लोरोज (डीडीवी) स्कन	0.1	1	0.3	3
डील्लिन-स्कन	—	0.25	—	0.75
डाइनाइट्रोबेजीन (सभी आइसोमर्स)-स्कन	0.15	1	0.5	5
डाइनाइट्रोल्यून-स्कन	—	1.5	—	5
डायोफिनाइल (वायफिनाइल)	0.2	1.5	0.6	4
इंडोसल्फान (थियोडान)- स्कन	—	0.1	—	0.3
एड्रिन-स्कन	—	0.1	—	0.3
एथिल एसिटेट	400	1000	—	—
एथिल ऐलकोहॉल	1000	1900	—	—
एथिलएमिन	60	18	—	—
पलूराइडस (एफ के रूप में)	—	2.5	—	—
पलूओरीन	1	2	2	4
हाइड्रोजन साइनानाइड-स्कन	10	11	15	16
हाइड्रोजन सल्फाइड	10	15	16	27
लोह ऑक्साइडधूम (एफ० ई. 203)(एफ ई के रूप में)	—	5	—	10
आइसोएमिल एसिटेट	100	525	125	655
आइसोएमिल ऐल्कोहॉल	100	360	125	450
आइसोबुटिल ऐल्कोहॉल	50	150	75	225
लीड फ्यूमज़ और धूल	—	0.15	—	0.45
लिब्डेन-स्कन	—	0.5	—	1.5

मेलाथिऑन स्किन	—	10	—	—
मेगनीज फ्यूमज	—	1	—	1
मर्करी	—	0.05	—	0.15
मर्करी (आलकाईल कम्पाउंडस) स्किन	0.001	0.01	0.003	0.03
मिथाइल एलकोहॉल (मिथोनल)—स्किन	200	260	250	310
मिथाइल सेलोप्लाई—स्किन (2-मैथोक्सी एथानोल)	25	80	35	120
मिथाइल आइसोबटाइलकेयेन— स्किन	100	410	125	510
नेपथालीन	10	50	15	75
निकल कार्बोनाईल	0.05	0.35	—	—
निट्रीक एसिड	2	5	4	10
निट्रीक ऑक्साइड	25	30	35	45
नारट्रोबेन्जीन—स्किन	1	5	2	10
आयल—मिस्ट मिनरल्ज	—	5	—	10
पैराथिऑन—स्किन	—	0.01	—	0.03
फिनेल—स्किन	5	10	10	38
फोरेट (थिमेट)— स्किन	—	0.05	—	02
फासजीन (कार्बोनिल क्लोराइड)	0.1	0.4	1	1
फासफारेन	0.3	0.4	1	1
फासफोरस (यलो)	—	0.1	—	0.3
फासफोरस पैराक्लोराइड	—	1	—	3
फासफोरस ट्राईक्लोराइड	0.5	3	—	—
विक्रिय एसिड—स्किन	—	0.1	—	0.3
पाइटीडाइन	5	15	10	30
सालीन (सिलिका—न्ट्राइड्राईड)	0.5	0.7	1	1.5
स्टाईरीन मोनोमर (फिनाईलथाईलीन)	100	420	125	525
सल्फर डायोक्साइड	5	13	—	—
सल्फयूरिक अम्ल	-	1	.	.
टालुईन (टुलस्ट)— स्किन	100	375	150	500
ओ—टुलुडाइन	5	22	10	44
ट्राइक्लोरोएथलीन	100	535	150	800
विनायल क्लोराइड	5	10	-	-
वैल्डिंग धूम (एनओसी)	-	5	-	-
जइलीन (ई—एम—, पी— आइसोमर्स)— स्किन	100	435	150	655

तालिका-2

क्रम संख्या

अनुज्ञेय समय—भार औसत सांद्रण (सकेंद्रण)

1. सिलिका:

(क) क्राईस्टेलाईन

(i) क्वार्टज

(1) धूल गणना के रूप में = 1060 (% क्वार्टज + 10) एमपीपीसीएम

(2) श्वसनीय धूल के रूप में = 10(%श्वसनीय क्वार्टज + 2) एमजी/एम 3

(3) सकल धूल के रूप में = 30/(% क्वार्टज + 3) मि० ग्रा०/मि. 3

(ii) क्रिस्टाबेलाइट :	क्वार्टज के सामने दी गई सीमाओं का आधा
(iii) ट्राइडाइमाइट :	क्वार्टज के सामने दी, गई सीमाओं का आधा
(iv) फ्यूज्ड सिलिका :	वही सीमा जो क्वार्टज के लिए है।
(v) ट्राइपोली :	जैसा मद (2) क्वार्टज के लिए है।
(ख) एमोरफोस :	705 एम पी पी सी एम

2. भार से प्रतिशत मुफ्त सिलिका से कम वाली सिलीकेट :

(क) 5 माइक्रोनस से लम्बा स्बेसटोस-फाईबर	2 फाईबर प्रति घन सेंटीमीटर
(ख) माईका	705 एपीपीसीएम
(ग) खनिज वूल फाईबर	10 एमजी प्रति क्यूबिक मीटर
(घ) पोरलाईट	1060 एमपीपीसीएम
(ङ) पोर्टलैण्ड सीमेंट	1060 एमपीपीसीएम
(च) शोप स्टोन	705 एमपीपीसीएम
(छ) टैल्क (नोनबोस्ट)	705 एमपीपीसीएम
(ज) टेल (फाईबरस)	वही सीमा जो एस्बेसटोस के लिए है
(झ) टैरोमाइल	वही सीमा जो एस्बेसटोस के लिए है

3. कोयला धूल :

(1) भार से 5 प्रतिशत सिलिकोन डाईऑक्साइड से कम की वायु उत्पन्न धूल के लिए	2 एमजी प्रति क्यूबिक मीटर
(2) भार से 5 प्रतिशत सिलिकोन डाईऑक्साइड से अधिक की धूल वायु उत्पन्न से धूल के लिए	जैसा क्वार्टर के सामने मद (2) में है फार्मूले द्वारा यथा विहित नहीं सीमा

तालिका-3

अनावृति की अनुज्ञेय सीमा

पदार्थ	पीपीएम	एमजी/एम 3
एसेटिक एनहाईड्राईड	5	20
ओ-डिक्लोरोबेंजीन	50	300
फोरमाल्डेहाईड	2	3
हाईड्रोजन क्लोराईड	5	7
मैंगनीज एंव यौगिक (एम एन के रूप में)	..	5
नाईट्रोग्लेसिरिन-स्कन	0.2	2
नाईट्रोजन डाईऑक्साईड	5	9
पोटाशियम हाईड्रोक्साईड	-	2
सोडियम हाईड्रोक्साईड	-	2
2,4,6- ट्रीनीट्रोटोलियन (टीएनटी)	-	0.5"

प्ररूप-1
(नियम 3 देखें)

विद्यमान प्रतिष्ठानों/नए प्रतिष्ठानों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

अ- प्रतिष्ठान के ब्यौरे:

1. पोर्टल से प्रतिष्ठान के ब्यौरे का पता लगाना:
2. प्रतिष्ठान का नाम:
3. प्रतिष्ठान का स्थान और पता:
4. प्रतिष्ठान के अन्य ब्यौरे:

क-प्रतिष्ठान में प्रत्यक्षतः लगे हुए कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख-लगाए हुए संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग-प्रक्रिया में लगाए हुए या लगाए जाने वाले संविदा कर्मचारी:

घ-नियोजित अंतर राजयिक प्रवासी कर्मकारों की कुल संख्या:

5. प्रतिष्ठान के प्रकार.....(कारखाना/ बीड़ी प्रतिष्ठान/ बागान प्रतिष्ठान/ सन्निर्माण प्रतिष्ठान/ अन्य प्रतिष्ठान)

6. (क) कारखानों के लिए :

विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरे और कारखाना का प्रकार	योजना अनुमोदन के ब्यौरे सहित पूरा डाक पता और अपस्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

6. (ख) कारखानों के लिए

सन्निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की अधिसंभाव्य अवधि	कार्य के पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन के ब्यौरे
1	2	3	4

7. स्वामित्व, प्रकार/सेक्टर (क्षेत्र):

8. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार क्रियाकलाप:

9. चयनित एन0आई0सी0कोड के ब्यौरे:

10. कारबार को खोलने/आरंभ करने की तारीख:

आ. नियोक्ता के ब्यौरे:-

1. नियोक्ता/अधिभोगी/स्वामी का नाम और पता:
2. पदनाम:
3. नियोजक के पिता/पति का नाम:
4. ई-मेल पता, दूरभाष और मोबाईल संख्या:

इ. प्रबंधक/अभिकर्ता के ब्यौरे:

1. प्रतिष्ठान के प्रबंधक/अभिकर्ता या पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु दायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता
2. प्रबंधक/अभिकर्ता का पता:
3. ई-मेल, पता, दूरभाष और मोबाईल संख्या:
4. तारीख जिसको व्यक्ति ने प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है

ई. संविदाकार (ठेकेदार) के ब्यौरे:-

संविदाकार (ठेकेदार) का नाम और पता	संविदाकार (ठेकेदार) का ई-मेल पता और मोबाइल	कार्य का नाम	कार्यरत संविदा श्रमिक की अधिकतम संख्या	कार्य प्रारंभ होने/समाप्ति की अधिसंभाव्य तारीख
1	2	3	4	5

उ. अन्य ब्यौरे:

तारीख:

स्थान:

नियोक्ता के हस्ताक्षर/
ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप-2
(नियम 5 देखें)

प्रतिष्ठान के प्रारम्भ का नोटिस

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता:
3. नियोजक (नियोक्ता) का नाम और पदनाम (जिसका प्रतिष्ठान के कार्यकलापों पर अन्तिम नियन्त्रण है):-
4. पूरा पता जिस पर प्रतिष्ठान से सम्बन्धित संसूचना भेजी जानी है:
5. प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृति:
6. कार्य प्रारम्भ करने हेतु नोटिस की दशा में कार्य करने की अनुमानित अवधि:-
7. समाप्ति की दशा में परिवर्ति की तारीख:

मैं/हम एतद् द्वारा यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि प्रतिष्ठान जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
तारीख.....को कार्य प्रारम्भ/ परिवरति होने की सम्भावना को कार्य के प्रारम्भ होने या परिवरति की
(तारीख).....को पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्ररूप-2 क
(नियम 5 देखें)
प्रतिष्ठान के कार्य की समाप्ति का नोटिस

मैं/हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को समस्त देय
रकम का संदाय कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा
गया है।

कृपया इस संहिता के प्रयोजन हेतु अरजिस्टर करें।

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

प्ररूप-3
[(नियम-6 (2) देखें)]
स्वास्थ्य रजिस्टर

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	नियोजन की तारीख	आयु	लिंग	कार्य की प्रकृति	चिकित्सीय परीक्षण की तारीख	चिकित्सीय परीक्षण का परिणाम	अर्हित चिकित्सक व्यवसायी के हस्ताक्षर	नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-4
(नियम-7 देखें)
नियुक्ति पत्र हेतु

1. प्रतिष्ठान का नाम
2. कर्मचारी का नाम और पिता/माता का नाम
3. जन्म तारीख
4. कर्मचारी का स्थाई पता
5. पद जिसके लिए नियुक्ति की गई है
6. कार्य की प्रकृति
(परिसंकटमय/ अपरिसंकटमय/ लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय/ प्रबंधकीय)

7. मजदूरी और भत्ते के ब्यौरे
8. नियुक्ति की प्रकृति
(स्थायी/अस्थायी/संविदा)
9. नियुक्ति की अवधि
10. कर्मचारी की विशिष्ट संख्या या कोड
11. कौशल के प्रवर्ग.....
12. आधार संख्या.....

हस्ताक्षर

नियुक्ति अधिकारी का नाम और पदनाम

प्ररूप-5

[(नियम 8(1) और 8 (2) देखें)]

मृत्यु या शारीरिक क्षति के परिणामस्वरूप दुर्घटना का नोटिस

1. नियोक्ता का नाम
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता, जहां दुर्घटना घटी है?
3. प्रतिष्ठान में किए जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति
4. (क) शाखा या विभाग तथा निश्चित स्थान जहां दुर्घटना घटी है।
(ख) संविदाकार (टेकेदार) के ब्यौरे, यदि कोई हैं:
5. मृत/घायल व्यक्ति का—
 - (क) नाम
 - (ख) पता
 - (ग) लिंग
 - (घ) आयु (पिछला जन्मदिन)
 - (ङ) व्यवसाय तथा पदनाम
 - (च) क्या स्थानीय या अंतरराज्यिक?
 - (छ) क्या कर्मचारी है या बाहरी व्यक्ति?
6. दुर्घटना की तारीख तथा समय

7. संक्षेप में वर्णन करें कि दुर्घटना कैसे घटी
8. चोट की प्रकृति और परिणाम
9. यदि दुर्घटना नियोक्ता के अभिवहन में यात्रा के दौरान घटी है, तो कथित करें कि क्या:—
- (क) चोटिल व्यक्ति या उसके कार्यस्थल से या को एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था
- (ख) चोटिल व्यक्ति नियोक्ता की अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से यात्रा कर रहा था
- (ग) परिवहन को नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा व्यवस्था के अनुसरण में नियोक्ता के साथ यह उपबन्धित है, संचालित किया जा रहा है।
- (घ) यान को सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य किया जा रहा है अनुक्रम में संचालिक/संचालित नहीं किया जा रहा है।
10. यदि दुर्घटना आपात का सामना करते समय घटी है, तो,.....
- (क) इसकी प्रकृति
- (ख) क्या चोटिल व्यक्ति दुर्घटना के समय पर नियोक्ता के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजन या के सम्बन्ध में नियोजित था
11. साक्षियों का नाम और पता
- मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियां हर तरह से सही हैं।

नियोक्ता के हस्ताक्षर।

प्ररूप-6
[(नियम 8(3) देखें)]
खतरनाक घटना का नोटिस

1. नियोक्ता का नाम
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता जहां खतरनाक घटना घटी है
3. प्रतिष्ठान में किए जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति
4. (क) शाखा या विभाग तथा निश्चित सही स्थान जहां खतरनाक घटना घटी है
(ख) संविदाकार (ठेकेदार) के ब्यौरे, यदि कोई है
5. खतरनाक घटना की तारीख और समय
6. संक्षेप में वर्णन करें कि दुर्घटना कैसे घटी

7. इस घटना के कारण प्रभावित व्यक्ति/सम्पत्ति/जीव-वनस्पतियों के ब्यौरे

8. साक्षियों का नाम तथा पता

मैं यह प्रमाणित करता हूँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियां (विवरण) हर तरह से सही है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर।

प्ररूप-7
(नियम 9 देखें)
रोग का नोटिस

1. प्रतिष्ठान का नाम
2. प्रतिष्ठान का पता
3. नियोक्ता का पता
4. कार्यान्वित किए जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति
5. कर्मकार/कर्मचारी की विशिष्टियां
 - (क) नाम
 - (ख) पता
 - (ग) लिंग
 - (घ) आयु
6. कर्मकार/कर्मचारी का सही व्यवसाय
7. रोग की प्रकृति जिससे कर्मकार/कर्मचारी पीड़ित है:

नियोक्ता या अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर।

प्ररूप-8
[(नियम 18 (1) देखें)]
धारा 31 नियम 18 (1) के अधीन विहित नोटिस

कारखाना का नाम जिसके अधीन यह.....स्थान.....जिला में रजिस्ट्रीकृत है/रजिस्ट्रीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

समूह	प्रत्येक समूह के कार्य की प्रकृति	प्रत्येक समूह में नियोजित कर्मकारों की संख्या		कर्मकारों की टोली या समूह	कार्य की पारी या अवधि
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6

मंगलवार				शनिवार									
पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

प्ररूप-9

[(नियम 19(1) देखें)]

किसी प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों, मजदूरी, समयोपरि भत्तों, क्षति या नुकसान हेतु जुर्माना कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम:
स्वामी का नाम:

नियोक्ता का नाम:
नियोक्ता का पैन/टैन संख्या:

कर्मकार रजिस्टर में क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पदनाम / विभाग	मजदूरी के संदाय की अवधि (मासिक/ पाक्षिक/साप्ताहिक/ दैनिक/मात्रा अनुपाती दर)से..... तक मजदूरी की अवधि	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	कुल समयोपरि या किए गए कार्य घंटे या पीस कामगारों की दशा में किए गए कार्य घंटे उत्पादन	मजदूरी की दरें		
							मूल वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

समयोपरि आय	कार्य की प्रकृति और तारीख सहित लोप जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित गया है।	अधिरोपित जुर्माने की राशि	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक से नियोक्ता को कारित क्षति या नुकसान	मजदूरी से कटौती की राशि	संदत मजदूरी की कुल राशि	संदाय की तारीख	उपस्थिति	
							तारीख	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्ररूप-10

[(नियम 19 (2) देखें)]

छुट्टी और मजदूरी रजिस्टर

1.	कर्मचारी का नाम	
2.	वयस्क/किशोर रजिस्टर संख्या	
3.	पदग्रहण की तारीख	
4.	मजदूरी दर	
5.	त्यागपत्र/अधिवर्षिता/पदच्युति/मृत्यु आदि की तारीख	
6.	कैलेंडर वर्ष के दौरान किए गए काम के दिनों की कुल संख्या	

	i	जनवरी	
	ii	फरवरी	
	iii	मार्च	
	iv	अप्रैल	
	v	मई	
	vi	जून	
	vii	जुलाई	
	viii	अगस्त	
	ix	सितम्बर	
	x	अक्टूबर	
	xi	नवंबर	
	xii	दिसम्बर	
7.	वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी (अवकाश)		
8.	पूर्ववर्ती वर्ष से अतिशेष छुट्टी (अवकाश)		
9.	वर्ष के अंत में जमा की छुट्टी की कुल संख्या		
10.	वर्ष के दौरान भोगी गई छुट्टियां (अवकाश)		
11.	वर्ष के दौरान छुट्टियों के बदले नकद भुगतान		
12.	वर्ष के अंत में अतिशेष छुट्टियां		
13.	टिप्पणियां		

वार्षिक विवरणी

प्ररूप-11

(नियम 21 देखें)

31 दिसम्बर 20..... को समाप्ति वर्ष

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञप्ति संख्या
2. कारखाना/प्रतिष्ठान का नाम.....
3. अधिभोगी/नियोक्ता का नाम.....
4. प्रबन्धक का नाम.....जब से.....
5. जिला.....
6. डाक सम्बन्धी पता, ई - मेल पता तथा मोबाइल संख्या.....
7. उद्योग की प्रकृति (साधारण/परिसंकटमय/एम. ए. एच.).....
8. कारखाना के मुख्य उत्पाद.....
9. (i) दैनिक नियोजित कर्मचारियों की औसत संख्या.....
(ii) दैनिक नियोजित कर्मकारों {धारा 2(1) (य य ठ)} की औसत संख्या

	अधिभोगी द्वारा प्रत्यक्षत:	संविदाकार (टेकेदार) द्वारा	कुल औसत	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	अन्य प्रशिक्षुओं की संख्या
--	----------------------------	----------------------------	---------	---------------------------	----------------------------

	नियोजित कर्मचारी	प्रत्यक्षतः नियोजित कर्मचारी			
पुरुष					
महिला					
किशोर प्रशिक्षु					
कुल					

10. संविदाकार (टेकेदार) का नाम , पता और ई-मेल पता.....
11. (i) पुरुष कामकारों के लिए प्रति सप्ताह किए गए काम के सामान्य घण्टे.....
महिला कर्मकार.....
अन्य प्रशिक्षु.....
- (ii) धारा 25 के अधीन किए गए कार्य के कुल सामान्य श्रम घण्टे.....
(स्पष्टीकरण: श्रम घंटों में कर्मकारों द्वारा किया गया कार्य सम्मिलित है)
12. वर्ष में किए गए कार्य दिवसों की संख्या.....
13. कर्मकारों को आराम के लिए कितना अंतराल दिया गया (आधा घंटा या एक घंटा या दो घंटा या अन्य).....
14. क्या सप्ताह के पहले दिन को साप्ताहिक अवकाश (छुट्टी) के रूप में परिवर्तित किया गया।
.....ऐसी संख्याएं
15. क्या कारखाना या कारखाना के किसी भाग में निरंतर प्रक्रिया में रत थे।.....
16. समयोपरि (धारा 27.....)
- (i) धारा 27 के अधीन अवधि के दौरान किए गए कुल श्रम घण्टे.....
17. पारी /या उसके भाग में (7 बजे अपराहन् से 6 बजे पूर्वाहन् के बीच) रत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या।
- (i) 7 बजे अपराहन् से 6 बजे पूर्वाहन् के बीच.....
- (ii) 10 बजे अपराहन् से 6 बजे पूर्वाहन् के बीच.....
18. प्रतिपूर्ति अवकाश
- (i) संहिता की धारा 26 से छूट प्राप्त कर्मकारों की संख्या.....
- (ii) उन कर्मकारों की संख्या, जिन्होंने छुट्टी ली:—
- (क) उसी मास.....
- (ख) अगले मास.....
- (ग) तीसरे मास.....

19. वेतन सहित छुट्टियां (धारा 32)
- (i) वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या
- (ii) कर्मकारों की संख्या जो पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत की गई है के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी के हकदार है
- (iii) कर्मकारों की संख्या जो उस वर्ष, जिसके लिए यह विवरणी प्रस्तुत की गई है के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी के हकदार हैं.....
- (iv) कर्मकारों की संख्या जिनको पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान छुट्टी प्रदान की गई थी
- (v) कर्मकारों की संख्या जिनको उस वर्ष, जिसके लिए यह विवरणी प्रस्तुत की गई है के दौरान छुट्टी प्रदान की गई थी.....
- (क) कर्मकारों की कुल संख्या जिनको वर्ष के दौरान सेवा से सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया गया हो.....
- (ख) सेवोन्मुक्त कर्मकारों की संख्या जिनको छुट्टी के बदले में मजदूरी संदत्त की गई थी.....
- (ग) छुट्टी के बदले में संदत्त मजदूरी की कुल रकम.....
- (घ) कर्मकारों की कुल संख्या जिन्होंने स्वप्ररेणा से सेवाएं छोड़ी हैं
- (vi) कर्मकारों की संख्या जिन्होंने, उस वर्ष, जिसके दौरान छुट्टी प्रोदभूत हुई हो, छुट्टी अर्जित (प्राप्त) न करने का नोटिस दिया है।
20. (i) वर्ष के दौरान अस्वैच्छिक बेकारी के दिनों की कुल संख्या.....
- (ii) बेकार कर्मकारों की संख्या.....
21. क्या कारखाना निम्नलिखित धाराओं के अर्न्तगत आता है.....
- (i) धारा 2(1)(य क).....
- (ii) धारा 82
- (iii) धारा 80
22. खतरनाक संक्रियाएं या परिसंकटमय प्रक्रिया में नियोजित किए गए कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या..
-
23. (i) धारा 22 के अधीन नियोजित सुरक्षा अधिकारियों की संख्या.....
- (ii) मुख्य सुरक्षा अधिकारी का नाम और ई-मेल पता.....
- (iii) सुरक्षा समिति के सचिव का नाम.....
24. यदि कल्याण अधिकारी द्वारा 24(2) (iv) के अधीन नियुक्त किया जाता है।
25. कैंटीन (साधारणतः सौ या सौ से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए)

इस विवरणी अवधि के पूर्ववर्ती-----वर्ष में घातक दुर्घटनाओं की संख्या-----	
(मैं/हम यह घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सही व ठीक है।)	
प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता क्षेत्र के निरीक्षक एवं प्रसुविधाकर्ता को प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी को या उससे पूर्व इसमें दिए गए प्ररूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।	
अधिभोगी के हस्ताक्षर..... तारीख.....	प्रबन्धक के हस्ताक्षर.....

प्ररूप-12

[नियम 32 और 49 (छ)(1) देखें]

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञप्ति के नवीकरण/ अनुज्ञप्ति में संशोधन (सामान्य/एकल अनुज्ञप्ति सहित) के लिए ऑनलाईन आवेदन

- अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
 - कारखाना के रूप में
 - संविदाकार (टेकेदार) को लगाने के लिए
 - बीड़ी एवं सिगार कार्य के लिए औद्योगिक परिसर
- प्रतिष्ठान का पूरा नाम तथा डाक पता
- व्यक्ति, जो अधिभोगी/प्रधान नियोक्ता/संविदाकार (टेकेदार) होगा, के ब्यौरे
 - नाम
 - स्थायी पता
 - स्थानीय पता
 - ई-मेल
 - मोबाईल संख्या
- परिसरों या भवन के स्वामी का पूरा नाम तथा पता (उसके माता-पिता सहित)
- संहिता की धारा 2 (य क) के अनुसार परिसंकटमय पदार्थों के ब्यौरे सहित किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप।
- राष्ट्रीय औद्योगिक संहिता
- (क) अनुज्ञप्ति की अवधि में नियोजित होने वाले कर्मकारों की कुल संख्या
(ख) पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान नियोजित किए गए श्रमिकों की कुल संख्या
- संविदा श्रमिकों की विशिष्टियां

- (क) कार्य की प्रकृति जिसमें संविदा श्रमिक नियोजित है या नियोजित किए जाने है।
- (ख) किसी दिन नियोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या:
- (ग) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की संख्या: (नियम 6 में यथावर्णित प्ररूप संख्या 5 में ब्यौरा भरें)
- (घ) प्रत्येक संविदाकार (टेकेदार) के अधीन प्रत्येक संविदा (टेका) कार्य के प्रारम्भ की प्राकलित(अनुमानित) तारीख:
- (ङ) प्रत्येक संविदाकार (टेकेदार) के अधीन संविदा (टेका) श्रमिक के नियोजन के समापन की प्राकलित(अनुमानित) तारीख:
9. शक्ति:
- संसक्त या संसक्त किए जाने को प्रस्तावित (के0 डब्लू में)
10. निर्देश देना
- (क) योजनाओं का अनुमोदन
- (ख) स्थायित्व प्रमाण-पत्र
- (ग) व्यवसाय अपशिष्ट/बहिःस्त्राव/परिसंकटमय अपशिष्ट/ई-अपशिष्ट/जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान
- (जो भी लागू हो)
11. फीस के ब्यौरे:

क्रम संख्या	विशिष्टियां	रकम	तारीख
क	कारखाना		
ख	संविदाकार (टेकेदार) का वचनबंध		
ग	औद्योगिक परिसर		
घ	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र		

नियोक्ता/अधिभोगी का डी0 एस0 सी0 संविदा (टेका) श्रमिक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. अनुज्ञप्ति संख्या.....तारीख
2. एल. आई. एन. और पैन: पी.ए.एन.
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:
4. पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख:
5. क्या नियोक्ता/संविदाकार(टेकेदार की अनुज्ञप्ति को आस्थगित या रद्द किया गया था)

6. संदत्त फीस के ब्यौरे: (ई-संदाय प्राप्ति संलग्न करें): रकम.....संदाय की तारीख

नियोक्ता/संविदाकार (टेकेदार)
के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

आवेदन की तारीख

संविदा (टेका) श्रमिक अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु आवेदन :

1. अनुज्ञप्ति संख्या :.....तारीख:

2. एल. आई. एन. और पैन: पी.ए.एन.

3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:

4. ब्यौरे जिसके लिए संशोधन मांगा गया है:

(क) वर्तमान में नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या: (यदि नियोजित होने वाले कर्मकारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो विधि के अनुसार अतिरिक्त फीस/प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता होगी)

(ख) तारीख जिसको ई संदाय के माध्यम से संदत्त की गई के ब्यौरे :

(ग) जारी की गई अनुज्ञप्ति में अपेक्षित संशोधन के अन्य विवरण (अपेक्षित संशोधन परिवर्तन के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए)

नियोक्ता/संविदाकार(टेकेदार)
के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

आवेदन की तारीख

कारखाना अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन :

(क) कारखाना के नाम में परिवर्तन

(ख) अधिभोगी के नाम में परिवर्तन

(ग) कारखाना प्रबंधक के नाम में परिवर्तन

(घ) परिसर के पता में परिवर्तन

(ङ) श्रमिकों की संख्या में वृद्धि या कमी

(च) हार्स पावर में वृद्धि या कमी

(छ) ऐसी विशिष्टियां जो अनुज्ञप्ति आवेदन प्रारूप में निर्दिष्ट की गई हो

(ज) अधिभोगी के नाम में परिवर्तन

(झ) कारखाना प्रबंधक के नाम में परिवर्तन

(ञ) परिसर के पते में परिवर्तन

(ट) कर्मकारों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी

(ठ) हार्स पावर में बढ़ोतरी या कमी

(ड) ऐसी विशिष्टियां जो अनुज्ञप्ति आवेदन प्रारूप में निर्दिष्ट है

अधिभोगी के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर
आवेदन की तारीख

प्ररूप-13
[(नियम 33 और 49(छ)(2) देखें)]

कारखाना/बीड़ी एवं सिगार कार्य/संविदा श्रम पर लगाने के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति व्यावसायिक हिमाचल प्रदेश सरकार सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 119 के अधीन पदानिहित प्राधिकारी का कार्यालय

अनुज्ञप्ति संख्या

जारी करने की तारीख

संहिता की धारा-3 के अधीन नीचे दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठान मैसर्ज.....के श्री..... (अधिभोगी का नाम) के अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है ;

क. कारखाने के रूप में चलाने के लिए जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए से अनधिक कर्मकारों को नियोजित करके विनिर्माण प्रक्रिया- की जाएगी तथा किलो वाट (के. वी.) से अनधिक बिजली का उपयोग कर तथा जिनकी योजनाओं को मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा तारीख संख्या द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

यह अनुज्ञप्ति से तक जारी (विधिमान्य) रहेगी फीस निक्षेप की तारीख निम्न अनुसार इस अनुज्ञप्ति से संलग्न ख. शर्तों के अध्याधीन संविदा कर्मकारों का निम्न अनुसार लगाया जाना :

फीस जमा करने की तारीख

1.	संविदाकार (ठेकेदार) कर्मकारों के रूप में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या	
2.	क्रियाकलाप की प्रकृति जिसके लिए संविदाकार कर्मकारों को लगाया जाएगा।	

ग. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए..... से अनधिक कर्मकारों को नियोजित करके बीड़ी या सिगार का कार्य करने के लिए एक औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए तथा जिनकी योजनाओं को मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा तारीख संख्या द्वारा अनुमोदित किया गया है यह अनुज्ञप्तिसे.....तक लागू विधिमान्य रहेगी।

फीस निक्षेप की तारीख.....

संशोधन

क्रम संख्या	वर्ष जब संशोधन किया गया	किसी एक दिन में संविदा कर्मकारों की अधिकतम संख्या	संशोधन फीस (शुल्क) के संदाय की तारीख	संदाय की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

क्रम संख्या	कारखाना के नाम में परिवर्तन	अधिभोगी के नाम में परिवर्तन	कारखाना प्रबन्धक के नाम में परिवर्तन	परिसर के पते में परिवर्तन	कर्मकारों में तब्दीली	हार्स पावर मै परिवर्तन	ऐसी विशिष्टियाँ जो अनुज्ञप्ति आवेदन में निर्दिष्ट की जानी है।
-------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	---

पदनिहित प्राधिकारी
का नाम और डी एस सी
तारीख

प्ररूप-14
(नियम 49 देखें)

कारखाने के रूप में किसी परिसर का सन्निर्माण परिवर्धन/परिवर्तन/ सृजन उपयोग में लाने की अनुमति के लिए आवेदन में एतद्द्वारा निम्न अनुसार कारखाना के रूप में किसी परिसर का सन्निर्माण/परिवर्धन /परिवर्तन/ सृजन / उपयोग में लाने (जो लागू है उसे ठीक करें) हेतु निम्न प्रकार से आवेदन प्रस्तुत करता हूँ

1. (क) आवेदक का नाम

(ख) आवेदक का पता

(ग) कारखाने के सम्बन्ध में आवेदक की मांग (आह्वान)

2. कारखाना का पूरा नाम

3. कारखाना की अवस्थिति

(क) गांव / नगर, तहसील एवं जिला का नाम

(ख) यदि गांव में है तो खसरा संख्या

(ग) यदि नगर में है तो गली (मार्ग)/ मोहल्ला/कॉलोनी/बाजार /पथ/वार्ड संख्या

(घ) यदि औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में है तो प्लॉट संख्या

(ङ) यदि भूस्तर से ऊपर या नीचे है तो मंजिल जिस पर अवस्थित है

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-15
[नियम 49(ग) (1) देखें]
स्थायित्व प्रमाण-पत्र

1. कारखाना का नाम

2. कारखाना का पता
3. कारखानों के अधिभोगी का नाम
4. कारखाने में की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति
5. कारखाने की मंजिलों की संख्या.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उस/उन भवन/भवनों का निरीक्षण कर लिया है, जिनकी योजनाओं को मुख्य निरीक्षक एवं प्रसुविधादाता द्वारा पत्र संख्या..... तारीख..... द्वारा अनुमोदित किया गया है और मशीनरी, संयन्त्र आदि जो स्थापित की गई है के विशेष सन्दर्भ में नीचे सहित विभिन्न भागों की जांच कर ली गई है ।

मेरी राय है कि जिस भवन/भवनों का निर्माण / पुनः निर्माण / विस्तार / उपयोग में लाया गया है वे मुख्य निरीक्षक द्वारा ऊपर उल्लिखित उनके पत्र द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार है/ हैं, यह कि वे संरचनात्मक रूप से ठोस है/ है तथा कारखाना/ कारखाने के भाग के रूप में इसका/उनका उपयोग..... के विनिर्माण के लिए, जिसके लिए मशीनरी संयंत्र इत्यादि स्थापित की गई है, अभिष्ट है भवन कारखाना में की जाने वाली प्रक्रिया या प्राकृतिक शक्तियों के कारण विभिन्न भारों, बलों और प्रभावों के बावजूद सुरक्षित है ।

सक्षम व्यक्ति के
हस्ताक्षर तथा तारीख.....
सक्षम व्यक्ति का नाम.....
सक्षम व्यक्ति का पता.....

प्ररूप-16

[नियम 52 (3) (11) देखें]

स्थल मूल्यांकन समिति के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. स्थल स्वामित्व डेटा

स्थल का राजस्व ब्यौरे जैसे सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या क्या प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के उपबन्धों को आकृष्ट करता है, यदि हाँ तो, निर्बंधन की प्रकृति; और स्थानीय प्राधिकरण जिसकी अधिकारिता के अधीन स्थल अवस्थित है ।

3. स्थल योजना :

- (क) सीमा की स्पष्ट पहचान सहित स्थल योजना और अधिभोग अधिकृत किये जाने वाले प्रस्तावित कुल क्षेत्र और प्रस्तावित स्थल के साथ लगते स्थल का ब्यौरा प्रदर्शित करना ;
- (ख) निकटवर्ती विनिर्माण इकाइयां और प्रस्तावित इकाई से एक किलोमीटर के भीतर (ह्यूमन हैबिटस) मानव वस्त्रों (हैबिट) शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं, पेट्रोल प्रतिष्ठापन तरल पेट्रोलियम गैस भंडारण और अन्य परिसंकटमय पदार्थ, यदि कोई हो का नाम ;
- (ग) आसपास में जल स्रोतों (नदियाँ, जलधाराएँ, नहर बांध, जल निस्पंदन संयंत्रों) ;
- (घ) निकटतम अस्पताल, दमकल केन्द्र, नागरिक सुरक्षा स्टेशन तथा पुलिस थाना तथा उनकी दूरियाँ;

(ड) स्थल से होकर जाने वाली उच्च (हाई) टेंशन विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों, तेल, गैस सीवरेज के लिए पाइपलाइन यदि कोई हो के ब्योरे ;

(च) स्थल के पास रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों, अनुसूचित स्थल के नजदीक बाड़ पास यदि कोई हो; (छ) प्रवेश करने और बाहर आने के स्थल, सड़क को दर्शाते हुए कारखाना की प्लॉट योजना

4. परियोजना रिपोर्ट :

परियोजना की मुख्य बातों का सार

(क) कारखाना में संभान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की अधिकतम संख्या

(ख) बिजली की अधिकतम मात्रा और आपूर्ति की आवश्यकतायें तथा स्रोत

(ग) प्रस्तावित परियोजना में भवन संस्थापनों के ब्लाक आरेख; और

(घ) प्रस्तावित आवास कालोनी, अस्पताल, स्कूल और अन्य अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के ब्योरे

5. प्रस्तावित विनिर्माण इकाई /कारखानों की संगठनात्मक संरचना:

(क) सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

(ख) प्रस्तावित उद्यमी की प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा पॉलिसी

6. विनिर्माण प्रक्रिया सूचना:

(क) प्रक्रिया क्रमदर्शी आरेख

(ख) प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त विवरण लिखना

(ग) समालोचनात्मक प्रक्रिया पैरामीटर दबाव निर्माण, तापमान वृद्धि और रन-अवे की प्रतिक्रिया(रिएक्शन)

(घ) सुरक्षा विवरणों वाली प्रक्रिया के लिए समालोचनात्मक अन्य बाह्य प्रभाव जैसे कि नमी या पानी का एकत्र होना असंगत पदार्थों के सम्पर्क में आने से अचानक बिजली का न होना; और

(ड) विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नियमित अंतर्निहित सुरक्षा/प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों या उपायों की मुख्य बातें;

7. परिसंकटमय सामग्री की सूचना:

(क) कच्ची सामग्री इंटरमिडिएट उत्पादों और सह उत्पादों और उनकी मात्राएं (प्रत्येक परिसंकटमय पदार्थों की बाबत सामग्री सुरक्षा डेटा शीट संलग्न करें)

(ख) कच्ची सामग्री/उत्पादों/सह उत्पादों के लिए प्रस्तावित मुख्य या मध्यवर्ती भंडारण ; (किसी भी समय संग्रहित की जाने वाली अधिकतम मात्रा)

(ग) प्रवाह और बहिर्वाह में सामग्री के लिए प्रयुक्त की जाने वाली परिवहन प्रवृत्ति किसी समय संग्रहित की जाने वाली उनकी मांग ।

8. निम्न के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय :

- (क) सामग्री का प्रबन्धन
- (ख) आंतरिक और बाह्य परिवहन; और
- (ग) निपटान परिष्कृत (तैयार) (उत्पादों की पैकिंग और अग्रेषण)
9. **अपशिष्ट का फ़ैलाव/निपटान और प्रदूषक सूचना :**
- (क) मुख्य प्रदूषक (गैस, तरल पदार्थ, ठोस) उनकी विशेषताएं और मात्राएं (औसत और पैकलोड पर)
- (ख) उत्पादित ठोस अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की रीति ;
- (ग) वायु, जल और मृदा प्रदूषण की प्रत्याशित समस्याएं और उन्हें नियन्त्रित करने के प्रस्तावित उपाय, जिसमें अपशिष्टों का उपचार और निपटान भी शामिल है।
10. **प्रक्रिया परिसंकेतों की सूचना:**
- (क) पर्यावरणीय समाघात आकलन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें
- (ख) जोखिम निर्धारण अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें ; और
- (ग) दुर्घटना की स्थिति/ व्यावसायिक स्वास्थ्य परिसंकेतमय या समरूप संयन्त्रों (देश के भीतर या बाहर) पर प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत करना यदि कोई हों) ;
11. **प्रस्तावित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों की सूचना:**
- (क) आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अग्निशमन प्रसुविधाओं और पानी की न्यूनतम मात्रा में कार्टोरियोडाप ऑक्साइड और अन्य अग्निशमन उपायों के ब्यौरे
- (ख) प्रस्तावित गृह वास चिकित्सा प्रसुविधाओं के ब्यौरे
12. **आपातकालीन तैयारियों की सूचना:**
- (क) स्थल पर आपातकालीन योजना ; और
- (ख) नजदीक के कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायता स्कीम के लिए प्रस्तावित व्यवस्था. यदि कोई है ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

तारीख

पदनाम के हस्ताक्षर

 प्ररूप-17
 [नियम 56 (1)(iii) देखें]
 स्वास्थ्य रजिस्टर

1.	क्रम संख्या
2.	विभाग / संकर्म

3.	कर्मकार का नाम
4.	लिंग
5.	आयु (पिछले जन्मदिन पर)
6.	वर्तमान कार्य पर नियोजन की तारीख
7.	निर्वहन या अन्तरण के कारणों सहित अन्य कार्य पर चले जाने या अन्तरण की तारीख
8.	नौकरी और व्यवसाय का स्वरूप
9.	कच्ची सामग्री संभाव्यतः अभिदर्शित होने वाले उत्पाद या सह-उत्पाद
10.	तारीखें
11.	उपयुक्त या अनुपयुक्त परिणाम
12.	परीक्षण के दौरान अवलोकित संकेत तथा लक्षण
13.	परीक्षण की प्रकृति और उसके परिणाम
14.	यदि कार्य के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाता है, तो ब्यौरेवार कारणों सहित निलंबन की अवधि कथित करें
15.	क्या कर्मकारों को अनुपयुक्ता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया?
16.	ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए पुनः उपयुक्त प्रमाणित किया गया
17.	तारीख सहित प्रमाणित करने वाले सर्जन के हस्ताक्षर

प्ररूप-18

[(नियम 56 (2) देखें)]

उपयुक्त का प्रमाण-पत्र

1. मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंनेपुत्र/पुत्री.....निवासी..
.....जो कारखाना मैसर्ज.....में.....के रूप में नियोजित होने का इच्छुक है तथा कि उसकी आयु.....है या के निकट है जिसका पता मेरी जांच.....
.....वर्ष से लगाया जा सकता है तथा कि वह मेरी राय में व्यस्क कर्मकार पदनाम के रूप में (प्रक्रिया, विभाग तथा कारखाना).....ऊपर कारखाने में जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

कार्य में नियोजन के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है

2. उसेको अवधि के बाद अतिरिक्त जांच के लिए पेश किया जाए।

3. पूर्ववर्ती प्रमाण-पत्र की क्रम संख्याहै।

जांच किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

कारखाना चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

प्ररूप-19

[नियम 71 (6) देखें]

व्यक्ति को सक्षमता का प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन का प्ररूप

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. संगठन का नाम (यदि स्वयं नियोजित नहीं है)
4. शैक्षिक योग्यताएं (प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं)
5. व्यावसायिक अनुभव के ब्योरे (कालानुक्रम में)

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	जिम्मेवारी का क्षेत्र

6. व्यावसायिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो
7. (i) सुविधाओं के ब्योरे (परीक्षण, जांच इत्यादि)
(ii) इन सुविधाओं की परिशुद्धता के अंशांकन तथा अनुरक्षण के लिए प्रबन्ध
8. प्रयोजन, जिसके लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र मांगा गया है (संहिता तथा नियम की धारा या धाराएं अभिव्यक्त करनी चाहिए)
9. क्या आवेदक को किसी अन्य राज्य परिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है (यदि ऐसा है, तो ब्योरे दें)।
10. कोई अन्य सुसंगत सूचना।

मैं.....एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना सत्य है। मैं वचन देता हूं कि,—

- (क) मेरे निपटान (या तो परिवर्धन या विलोपन) पर सुविधाओं में किसी परिवर्तन की दशा में, मैं तत्परता से मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता को सूचित करूंगा;
- (ख) विनिर्माता की हिदायतों के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाओं को समय-समय पर अच्छी चालू हालत में, अंशांकित बनाए रखूंगा; तथा
- (ग) सक्षमता के प्रमाण-पत्र में नियत सभी शर्तों को पूरा करूंगा तथा मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा, समय-समय पर, जारी हिदायतों का पालन करूंगा।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-20
[(नियम 71 (6) देखें)]

किसी संस्था को सक्षमता का प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन का प्ररूप

1. संगठन का नाम तथा पूरा पता.....
2. संगठन की स्थिति.....
(क्या वैयक्तिक सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, कारपोरेट या प्राइवेट विनिर्दिष्ट करें)
3. प्रयोजन, जिसके लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र मांगा गया है (संहिता की धारा (धाराएं) विनिर्दिष्ट करें).....
4. क्या संगठन को किसी अन्य परिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरे दें.....
5. नियोजित तथा योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे:-

क्रम संख्या	नाम तथा पदनाम	योग्यता	अनुभव	धारा (धाराएं) तथा नियम जिसके अधीन सक्षमता मांगी गई है

6. सुविधाओं तथा उनके अनुरक्षण तथा नियतकालिक अंशांकन के लिए किए गए प्रबन्धों के ब्यौरे-
7. कोई अन्य सुसंगत सूचना
8. घोषणा:
मैंप्रमाणित करता हूं कि श्री.....जिसके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं, हमारे नियोजन में है तथा संहिता के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित करने के प्रयोजनों के लिए संगठन की ओर नामांकित है, मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं, -

(क) सक्षम व्यक्ति के हमारी संस्था छोड़ने की दशा में मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता को सूचित करने का वचन देता हूं।

(ख) विनिर्माता की हिदायतों के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाओं को समय-समय पर अच्छी हालत में, अंशांकित बनाए रखने का वचन देता हूं।

(ग) सुविधाओं (परिवर्धन या लोप) में परिवर्तन मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता को सूचित करने का वचन देता हूं; और

(घ) सक्षमता के प्रमाण-पत्र में नियत सभी शर्तों को पूरा करने तथा मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता द्वारा, समय-समय पर, जारी हिदायतों का पालन करने का वचन देता हूं।

संस्था के मुखिया या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

मैंएतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर
ई-मेल

प्ररूप-21
[(नियम 71(8) देखें)]

किसी व्यक्ति या संस्था को जारी किया गया सक्षमता प्रमाण-पत्र

मैं.....व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 2 (ठ) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री.....(यदि किसी संस्था में नियोजित है तो उसका नाम को संहिता की धारा.....तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित किसी प्रतिष्ठापन में, यथास्थिति, ऐसे भवन, खतरनाक, मशीनरी, लिफ्ट, उतोलन, (टैकल), दबाव (प्रेसर) संयन्त्र, परिरुद्ध स्थल, संवातन या संयन्त्र तथा उपकरण की जांच, परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण करने के प्रयोजनों के लिए सक्षम व्यक्तिकी मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण-पत्र तारीख.....से.....तक विधिमान्य है।

यह प्रमाण-पत्र नीचे दिए गए यथा नियत निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है :-

1. जांच, परीक्षण तथा निरीक्षण संहिता तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित किए जाएंगे।
2. जांच, परीक्षण तथा निरीक्षण, सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्यान्वित किए जाएंगे
3. यदि सक्षम घोषित किया गया व्यक्ति संस्था को छोड़ देता है तो सक्षमता प्रमाण-पत्र रद्द हो जाएगा।
4. सक्षम व्यक्ति या संस्था संहिता के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा/करेगी
5. कोई अन्य शर्त जिसे मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता उचित समझें

स्थान:.....

तारीख:

मुख्य निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता हिमाचल प्रदेश
के हस्ताक्षर एवं मोहर

आदेश द्वारा,

आर.डी. धीमान,
अति० मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-10/2010 Pt-II, dated 12-11-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

DRAFT NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th November, 2021

No. Shram (A)4-10/2010-Pt-II.—In exercise of powers conferred by Sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020) read with section 23 of Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 (10 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules, to carry out the provisions of the said Code, in supersession of the.—

1. Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Rules 2008;
2. Himachal Pradesh Factories Rules, 1950;
3. Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Rules, 1974;
4. Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Himachal Pradesh Rules, 1983; and
5. Himachal Pradesh Plantations Labour Rules, 1978.—

made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No.27 of 1996), the Factories Act,1948 (No. 63 of 1948), the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970 (No.37 of 1970), the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1979 (No. 30 of 1979) and the Plantations Labour Act, 1951 (No.69 of 1951), as the case may be, which are repealed *vide* section 143 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, except as respects things done before such supersession and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public.

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with regards to these rules, he may send the same to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, within a period of 45 days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The objection(s) or suggestion(s) received within the above stipulated period shall be taken into consideration before finalizing the said draft rules, namely:—

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—

- (i) These rules may be called the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Himachal Pradesh) Rules, 2021.
- (ii) These rules shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(iii) These rules shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless, context otherwise requires.—

- (i) “Code” means The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;
- (ii) “State Government” means Government of Himachal Pradesh;
- (iii) “Chief Inspector-cum-Facilitator” means Chief Inspector-cum-Facilitator appointed by the Government of Himachal Pradesh under sub-section (5) of section 34;
- (iv) “Inspector-cum-Facilitator” means Inspector-cum-Facilitator appointed by the Government of Himachal Pradesh under sub-section (1) of section 34;
- (v) “Registering Officer” means Chief Inspector-cum-Facilitator or any other registering officer(s) appointed by the State Government for the purpose of these rules;
- (vi) “rules” means the Himachal Pradesh Occupation Safety, Health and Working Conditions Rules, 2021;
- (vii) Electronically means.—
- (i) any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code; and
- (ii) any other method or means which State Government may specify through general or special order;
- (viii) Income from the sources.- A member of the family having income upto rupees five thousand per month from all sources or any other income notified by the Employees State Insurance Corporation (ESIC) for the purpose of availing medical benefit under the scheme, shall be included as dependent for the purpose of clause (x) of sub-section (1) of section 2;
- (ix) Substance or quantity of substance.- For the purpose of clause (zb) of sub-section (1) of section 2, “hazardous substance” means any substance or such quantity of substance as specified by the Government of Himachal Pradesh by the way of notification;
- (x) “Local Authority” means the Gram Panchayat or Nagar Panchayat or Municipal Council or Municipal Corporation situated in the State of Himachal Pradesh;
- (xi) “Portal” means web portal of the Department of Labour & Employment of Government of Himachal Pradesh for delivering services under the Code and rules made thereunder.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

Registration

3. Application for registration of an establishment under Section 3.—(1)The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in Form-1 on the web portal of the Department of Labour & Employment by giving details about the establishment and uploading documents related to Registration of establishment, proof of identity and address of employer as specified in the form to the Registering Officer. Applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(2) Application referred to sub-rule (1), shall be accompanied by the fee specified under rule 4.

4. Fees for registration of an establishment.- (1)The applicant shall pay the fee online along with the application as specified below:

Number of employees to be employed	Amount of fees in `
Up to 19	1000
20-50	2000
51-100	3000
101-150	5000
151-250	10000
251-500	12500
501-1000	17500
1001-1500	20000
1501-2000	25000
2001-3000	30000
3001-4000	35000
4001-5000	40000
Above 5000	50000

**Also for an establishment which is factory under section 2(1)(v)(iii)*

(2) Where an employer has not submitted his application for registration within sixty days as required under rule (3), he shall submit the application along with late fee which shall be 25% per annum of the prescribed fee for the category.

5. Notice for Commencement and Cessation of Operation under Ssection 5.—(1)The Employer of every establishment shall submit a notice of commencement or cessation of operation of any industry, trade, business, manufacturing or occupation electronically to the Inspector-cum-Facilitator of the region and Registering Officer within thirty days from the date of such Commencement or Cessation.

(2) The Notice of such Commencement or Cessation shall be submitted in Forms-2 and 2A.

Duties of Employer and Employees etc.

6. Annual Health Examination of Employees under clause (c) of sub-section (1) of section 6.—(1) The employer shall ensure a health examination of every employee who has completed forty five years of age, at least once in every twelve months. The employee who had met an accident resulting in a serious bodily injury shall also be so examined. The employees shall also

be medically examined within 15 days of their induction or prior to employment. The expense of such examination shall be borne by the employer:

Provided that the employees engaged in hazardous process or dangerous operations shall be examined after every six month or earlier in accordance with the provisions specifically provided in the Code or rule(s) for the same.

(2) The health examination shall be conducted by a qualified medical practitioner. The record of medical examination shall be maintained in Form 3 and shall be available to Inspector-cum-Facilitator for inspection whenever required.

General Establishments	Blood	Urine	X ray				
Establishments dealing with Hazardous Process or Hazardous Substance or Hazardous Waste	Blood	Urine	X ray	PFT	Sputum	Audiometry (if applicable)	Any other test recommended by Inspector-cum-Facilitator declared under the Code

7. Letter of appointment to employee under clause (f) of sub-section (1) of section 6.—The employer shall issue a letter of appointment to every employee in the establishment on his appointment or prior to commencing his work. The letter of appointment shall include the particulars specified in Form 4.

8. Notice of accident and dangerous occurrences under sub-section (1) of section 10 and section 11.—(1) Where at any place in an establishment which is factory, building and other construction work and motor transport undertaking, an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in Form 5 electronically or otherwise and also inform telephonically to the Inspector-cum-Facilitator or, the Chief Inspector-cum-Facilitator and District Magistrate, and Competent Authority as notified by the Himachal Pradesh Government, under Social Security Code, 2020 and the family members/kin of the injured or deceased person.

(2) Where at any place in an establishment which is factory, building and other construction work, or motor transport undertaking, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in Form-5 within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Where-in an establishment there is any dangerous occurrence as specified in schedule hereto, whether causing any death, bodily injury or disability or not, a notice in Form-6 shall within twelve hours be sent to,—

- (a) the Labour Officer having the jurisdiction of the area;
- (b) the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate;
- (c) the Officer-in-charge of the nearest police station;

- (d) the relatives of the injured or deceased person; and
- (e) authorities of the State in case of Migrant Worker:

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof electronically or otherwise and also inform telephonically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within 12 hours of the death.

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later, or occurs in more than one spell, the notices referred to in the foregoing sub-rules shall be sent to the Inspector-*cum*-Facilitator in the prescribed form within 24 Hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

SCHEDULE

The following classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:—

- (i) Bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;
- (ii) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane ;
- (iii) explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed ;
- (iv) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas ;
- (v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears, overturning of cranes used in building or other construction work, falling of objects from height;
- (vi) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork, contact work, excavation and collapse of transmission ;
- (vii) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
- (viii) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;
- (ix) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;

- (x) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (*i. e.*, a 'bump') in working below ground;
- (xi) a rock-burst in working below ground; a premature collapse of any part of the working;
- (xii) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;
- (xiii) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;
- (xiv) failure of dump or side in open cast working; a blowout;
- (xv) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person ;
- (xvi) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage.

(4) The employer shall keep the record of accidents and dangerous occurrences which have taken place in his establishment.

9. Notice of certain disease under sub-sections (1) and (2) of section 12.—(1) Where any worker in an establishment contracts any disease specified in THIRD SCHEDULE of the Code, employer shall send a notice electronically or otherwise in Form 7 to Inspector- cum-Facilitator, Chief Inspector-cum-Facilitator and Chief Medical Officer of that district within seven days from the date on which it comes to the knowledge of the employer establishment.

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner, to be suffering from any disease specified in the THIRD SCHEDULE of the Code, he shall forthwith send a report electronically or otherwise to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator within 48 hours stating,—

- (a) the name and full postal address of the patient,
- (b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and
- (c) the name and address of the factory in which the patient is or was last employed.

10. Duties of employees under clause (d) and (g) of section 13.—(1) If an employee comes to know of any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the employer or manager or safety officer, as soon as practicable, electronically or in writing.

(2) Every employee shall in general wear or keep with him the identity card provided by the employer during his working hours in the establishment. The employee shall report to the employer, in writing if his identity card is lost or damaged. No employee shall misuse the card.

11. Report of existence of imminent danger under sub-section (3) of section 14.—On the receipt of information from employee and if at any time employer or any employee has reasonable apprehension of likelihood relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in this regard. The employer, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector-*cum*-Facilitator electronically or by registered speed post or telephonically.

Occupational, Safety and Health

12. Constitution, procedure and other matters relating to State Advisory Board under sub-section (2) of section 17.—

(A) The State Occupational, Safety and Health advisory board shall consist of.—

- (a) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Labour & Employment) to the Govt. of Himachal Pradesh Ex-Officio Chairperson;
- (b) The Labour Commissioner—Ex-Officio Member Secretary;
- (c) Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh – Ex-Officio Member;
- (d) Deputy Director Factories, Department of Labour & Employment, HP-Ex Officio member;
- (e) Director of Fire Services, Himachal Pradesh Ex-Officio member;
- (f) Director of Industries, Himachal Pradesh, Ex-Officio Member;
- (g) Member Secretary, Himachal Pradesh Pollution Control Board, Ex-Officio Member;
- (h) Director, State Disaster Management Authority,- Ex-Officio Member;
- (i) Representative of Health Services, Himachal Pradesh Government;
- (j) Representative of The Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board;
- (k) Two representatives from recognized Trade Unions or Federations as nominated by the State Government;
- (l) Two representatives of employers (establishment nominated by the State Government);
- (m) One eminent person connected with the field of occupational, safety and health as nominated by State Government.

(B) Term of Office:—

- (a) Non-Official members of the Board shall hold office for the period of three years from the date of their nomination:

Provided that the State Government may at any time before the expiry of period of term remove any non-official member from his office.

- (b) A non-official member may, at any time by a letter addressed to the State Government, resign from his office and his seat shall be deemed vacant from the date of acceptance of his resignation.

(C) Disposal of the Business.—

- (a) The Board shall meet at least once in a year or as often as necessary to discharge the function as specified in section 17(1) at the time and place fixed by the Chairperson;
- (b) The meeting of the Board shall be called by the member secretary with the prior approval of Chairperson;
- (c) The Chairperson shall preside every meeting of the Board in which he is present and in his absence the meeting shall be presided by the Labour Commissioner.
- (d) Ordinarily fifteen days notice shall be given to the members of the proposed meeting;

Provided that in case any matter is of urgent importance, a notice of lesser period may also be given.

- (e) No business, which is not on the list of businesses, shall be considered without permission of the Chairperson.
- (f) No business shall be transacted at any meeting unless at least six members are present:

Provided that if at any meeting less than six members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and thereupon it shall be lawful to dispose the business at the adjourned meeting irrespective of number of members attending the meeting;

- (g) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meeting of the Board at such rate as are admissible to lowest of Class-I Gazetted Officer of the State Government.
- (h) Every decision taken at the meeting of the Board shall be recorded in a minutes book, which shall be a permanent record.

(D) Functions of State Advisory Board.—(1) The Board shall be responsible for securing the health, safety and welfare of employees working in all categories of establishments;

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred in the foregoing clause the Board shall be responsible for —

- (a) minimizing accidents, gas leakage, fire, etc in the factories. For this purpose the Board may lay down the procedure and frequency of inspection, mock drills and enquiry of all serious accidents;
- (b) review of all such accidents in any establishments where five or more persons have died;
- (c) preparation and submission of the Annual Report to the State Government on the activities of the Board;
- (d) proper maintenance of accounts;

- (e) constitution of committees for disposal of the business of the Board or for advice in various matters pertaining to the objects of the Board;
- (f) securing the fulfillment of any contract and agreement entered into;
- (g) authorizing any person to enter into negotiations and execute contract and to rescind and vary all such contracts;
- (h) opening account with the Bank and authorising officers of the Board to operate on them as well as draw, accept, endorse and execute cheques, bills of exchange etc. on behalf of the Board;
- (i) laying down rules for affixation and safe custody of common seal of the Board;
- (j) delegating from time to time all or any of its powers to the Secretary or any other officer of the Board as may be necessary for the efficient administration of the affairs of the Board.

13. Technical Committee or Advisory Committee of State Advisory Board under sub-section (3) of section 17.—The State Government may constitute as many technical committees or advisory committees of State Advisory Board on the recommendation of State Advisory Board to assist the State Government or State Advisory Board in discharge of their functions. The technical committee shall include not less than two officers from factory wing of the Department of Labour & Employment. The term, function, procedures and allowances of the members of these committees shall be as determined by the State Government by the way of notification.

14. Safety Committee under sub-section (1) of section 22.—(1) In every establishment.—

- (a) wherein 150 or more employees are ordinarily employed ; or
 - (b) which carried on any process of operation declared to be dangerous under section 82 of the Code ; or
 - (c) which carried on 'hazardous Process' as defined under section 2(1)(zb) of the Code a Safety Committee shall be constituted.
- (2) The Safety Committee shall comprise of the following:—
- (a) The employer shall be the chairman of the safety committee.
 - (b) A senior official, who by his position in the organization can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Deputy Chairman;
 - (c) A Safety Officer, wherein required by the rules, or a responsible person of production department, shall be the Secretary of the Committee;
 - (d) Three representatives, one each from the production, maintenance and, purchase departments;
 - (e) at least six representatives of workers chosen by a general consensus amongst them.
- (3) The tenure of the committee shall be two years.

(4) Safety committee shall meet as often as necessary but at least once in every quarter. The minutes of the meeting along with follow-up action plans shall be recorded in a register and shall be produced to the Inspector-cum-Facilitator on demand. A scanned copy thereof shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator of Factories electronically or otherwise.

(5) Data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees exposed to hazardous substances so far as the factory is concerned:

Provided that the committee under-takes to use the data on measures to improve the working environment and the health and safety of the employees.

(6) Function and duties of the safety committee shall include.—

- (a) assisting and co-operating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Health and Safety Policy' of the establishment;
- (b) dealing with all matters concerning health safety and environment and to arrive at solutions to problems encountered;
- (c) creating safety awareness amongst all employees;
- (d) undertaking educational, training and promotional activities ;
- (e) discussing reports on safety, environment and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;
- (f) carrying out health and safety surveys and identify causes of accidents;
- (g) looking into any complaint made on the likelihood of an imminent danger to the safety and health of the employees and suggesting corrective measures; and
- (h) reviewing the implementation of the recommendations made by it :
 - (i) to discuss the report of inquiry into accident, dangerous occurrences etc. and make appropriate recommendation;
 - (ii) to formulate and implement appropriate safety campaign based on analysis of accidents and dangerous occurrences;
 - (iii) to serve as a forum for communication on Safety and occupational health matter and

(7) To discuss the Standard Operating Procedures prepared for different operations; where owing to the size of the establishment, or any other reason, the functions referred to in sub-rule (5) cannot be effectively carried out by the Safety Committee, it may establish sub-committees as may be required to assist it:

Provided that in any establishment wherein more than 1000 employees are ordinarily employed not less than two sub-committees shall be formed department-wise or otherwise and an

employee to the rank of departmental head shall be head of the sub-committee. The minutes of meeting shall be shared with the secretary of safety committee.

(8) The constitution of safety committee shall be communicated to Inspector-cum-Facilitator of Factories electronically or otherwise.

15. Safety Officers under sub-section (2) of 22.—(1) In every establishment which is a

- (i) factory wherein Five Hundred or more workers, or
- (ii) factory carrying on hazardous process wherein two hundred fifty workers or more
- (iii) building and other construction work wherein two hundred and fifty workers or more are ordinarily employed; or
- (iv) Major Accident Hazard installation irrespective of number of workers therein, not less than one Safety Officer shall be appointed by the employer.

Provided that,—

- (a) for a factory specified in sub-clause (i), one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than 1000 but not exceeding to 1500 and another safety officer shall be appointed for every additional 1000 workers;
 - (b) for an establishments specified in sub-clause(ii), one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than 500 but not exceeding 750 and another safety officer shall be appointed for every additional 500 workers;
- (2) Qualifications, duties and other requirements shall be as set out in **Schedule** annexed to this rule.

Schedule

1. A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer unless he,—
 - (a) possesses a degree in any branch of Engineering or Technology of a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department for a period of not less than two years; or
 - (b) possesses a master degree in Physics or Chemistry of a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department, for a period of not less than five years; or possesses a diploma in any branch of Engineering or Technology recognized by the State Government and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or safety department, for a period of not less than five years; or
 - (c) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or technology and has had experience of not less than two years in a department of the Central or the State Government; or

- (d) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or Technology and has had at least five years experience of working in institutions dealing with training, education, consultancy or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; and
- (e) possesses degree or diploma or industrial safety recognized by the State Government in this behalf or possesses a B.Tech/M. Tech. degree in health, safety and environment or fire engineering or post graduate diploma in health safety and environment or any other equivalent qualification granted by any university duly established by law:

Provided that Chief Inspector-*cum*-Facilitator may relax the qualification in respect of clause (f) with the conditions, in writing, for any establishment or a class of establishments.

2. Duties of Safety Officer.—The duties of the Safety Officer shall be to advise and assist the factory management in the fulfillment of its obligations, statutory or otherwise concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment. These duties shall also include the following, namely:—

- (a) to advise the departmental heads, supervisors and other such officers in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries;
- (b) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;
- (c) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (d) to advise the personnel of store purchase department in ensuring high quality and availability of personal protective equipments etc.;
- (e) to advise on matters relating to carrying out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practice procedures followed by the employees and to render advice on measures to be adopted for reducing the unsafe physical conditions and preventing unsafe conditions by employees;
- (f) to render advice on matters relating to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;
- (g) to investigate fatal and serious accidents and to suggest remedial measures to the management;
- (h) to investigate the cases of industrial disease contracted and dangerous occurrences reportable under section 10 and section 11 of the Code;
- (i) to advise on the maintenance of such records as are necessary relating to accidents; dangerous occurrences and industrial diseases;
- (j) to promote setting up of safety committees and to act as an adviser and catalyst to such committees;
- (k) to organise in association with the concerned department, campaign, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the employees in establishing and maintaining safety conditions of work and procedure;

- (l) to submit quarterly report, alongwith minutes of safety committee meeting, to the Inspector-*cum*-Facilitator of the region through his employer in respect of the work in promoting safety, health and hygiene of workers in the establishment by him or safety department for the previous quarter. The report will be submitted by chief safety officer in case of more than one safety officer;
- (m) to design and conduct either independently or in collaboration with the organisations, departments imparting industrial safety training, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries and to hold safety seminars atleast once in a year; and
- (n) to prepare an annual report of accidents and industrial diseases suggesting their remedial measures and to put it up before the annual meeting of the Board of Directors.

3. Status.—The Chief Safety Officer or the Safety Officer in the case of factories where only one Safety Officer is required to be appointed shall be given the status of a departmental head or a senior executive in the factory and he shall work directly under the control of the Chief Executive of the factory. Every other Safety Officer shall be given appropriate status corresponding the status of an officer holding a position next below other departmental heads in the factory:

Provided that where any dispute arises as to the status of a Safety Officer or Chief Safety Officer, the case shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

4. Prohibition in performances of other duties.—No Safety Officer shall do any work which is inconsistent with, or detrimental to the performance of his duties specified in this rule.

Hours of Work and Annual Leave with Wages

16. Weekly holiday under sub-section (2) of section 26.—The State Government may, by notification, exempt employees or class of employees of any establishment or class of establishment from the operation of sub-section (2) of section 26 subject to the conditions given in the said notification.

17. Total number of overtime hours in a day or in a week under section 27.—(1) Where in an establishment a worker works for more than eight hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings, as the case may be.

(4) The spread over for the workers shall exceed ten and half hours in any one day under the following works and circumstances in factories and building and other construction, namely:—

- (a) urgent repairs;

- (b) work in the nature of preparatory or complimentary work;
- (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;
- (d) work which for technical reasons must be carried on continuously;
- (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied everyday;
- (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;
- (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;
- (h) engaged in an engine rooms or boiler houses or in attending to power plant or transmission machinery;
- (i) engaged in process on account of the break-down of machinery;
- (j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;
- (k) exceptional press of work and engaged in any work, which is notified by Government of Himachal Pradesh in the Official Gazette as a work of national importance:

Provided that total number of hours for overtime shall be subject to the following conditions, namely:—

- (a) the total number of hours of work including overtime work in any day shall not exceed twelve;
- (b) the spread over, inclusive of intervals for rest, shall not exceed thirteen hours in any one day;
- (c) the total number of hours of work in any week, including overtime work, shall not exceed sixty;
- (d) no worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed one hundred and twenty five hours.

18. Display of notice of period of work under sub-section (2) of section 31.—(1) Notice of period of work for the employees shall be in Form No 8 and it shall be displayed at conspicuous place in the establishment at or near the main entrance. It shall also be kept updated under the provisions of section 31.

(2) No person shall be allowed to work in an establishment otherwise than in accordance under sub-rule (1):

Provided that if a person or persons are working on over time, the period of such hour and such workers shall be displayed duly signed by manager at the conspicuous place.

(3) In the case of an establishment beginning work after the commencement of the Code, a copy of the notice referred to in sub-rule (1) shall be sent to the Inspector-*cum*-Facilitator before the day on which work is begun in an establishment electronically or otherwise.

Maintenance of Registers, Records and Returns

19. Maintenance of registers and records under clause (a) of section 33.—**(1) The employer of every establishment shall maintain registers of workers as under:—**

1. Register of workers, wages, overtime, fine, deduction for damage or loss in **Form 9** electronically or otherwise and shall be kept available at an office or the nearest convenient building within the precincts of the establishment;
2. The employer of every establishment shall maintain in respect of every worker a record of leave with wages electronically or manually in **Form-10**;

(2) All registers, forms, certificates, records required to be maintained under the Code and these rules shall be preserved for three years to which they relate, including the records of testing and medical examination of workers. Medical records of workers who contracted any notifiable disease or had been declared unfit or suffered due to any Occupational disease or accident shall be preserved for five years.

(3) All registers and records required to be maintained under the Code and these rules shall be produced or shown on demand to Inspector-*cum*-Facilitator or Medical Officer.

20. Display of notices under clause (b) of section 33.—Every employer shall display on the website of the establishment, notice showing the hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence(s) in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-*cum*-Facilitator having jurisdiction to such establishment in the local language understood by the majority of workers:

Provided that if the establishment does not possess any such website then a notice shall be displayed at the conspicuous place of the workplace of the establishment or near the main entrance to the factory, and shall be maintained in a clean and legible condition.

21. Manner of filing the return under clause (d), section 33.—Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in duplicate in **Form 11** to the Inspector-*cum*-Facilitator having jurisdiction on or before 1st February of every year:

Provided that in the case of a factory in which work is carried on only during a certain season or seasons of the year, the employer shall submit the return within 15 days after the close of that season or last of the seasons, as the case may be.

Inspector-*cum*-Facilitator and Other Authority

22. Qualification for the post of Chief Inspector-*cum*-Facilitator under sub-section (5) of section 34.—Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be the Chief Inspector-*cum*-Facilitator.

23. Power to take samples of any articles or substance under clause (x) of sub-section (1) of section 35.—(1) An Inspector-*cum*-Facilitator shall take samples of any articles or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under the web-based portal

informing the employer of the establishment, taken in the manner hereinafter provided. A sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being.—

- (a) in the belief of the Inspector-*cum*-Facilitator in contravention of any of the provisions of this Code or the rules made thereunder, or
- (b) in the opinion of the Inspector-*cum*-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) The Inspector-*cum*-Facilitator may in writing request the government analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) to take samples for analysis.

(3) Where the Inspector-*cum*-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the employer or the person duly authorized by him, unless such person willfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(4) The employer or the person authorized by him, if the Inspector-*cum*-Facilitator so requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(5) The Inspector-*cum*-Facilitator shall—

- (a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);
- (b) forthwith send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;
- (c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(6) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or NABL accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as an evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

(7) The cost incurred for taking such sample and for the analysis thereafter shall be borne by the employer.

24. Other powers and duties of Inspector-*cum*-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of section 35.—An Inspector-*cum*-Facilitator shall, for the purpose of the execution of the powers assigned to him under the Code within the local limits of his jurisdiction also have powers to do all or any of the following things:—

- (a) Inspector-*cum*-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice pointing out the non-compliance of provisions, health and working conditions under the Code, and rules framed thereunder, to the employer or owner.
- (b) Inspector-*cum*-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices

previously issued have been complied with. His findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code shall be recorded and maintained.

(c) Prohibition orders relating to construction site :

- (a) The prohibition order as prescribed in section 38(2)(a) of this Code, shall be passed by the Inspector-*cum*-Facilitator only after due Inspection of such site and such order should be well reasoned and speaking, covering each and every detail of such conditions of Imminent danger to life, safety and health of workers or general public on such site.
- (b) The Inspector-*cum*-Facilitator shall send the copy of such order of prohibition to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator immediately, through electronic mode in addition to other mode of communication.
- (c) The appellate authority as prescribed in section 38(3) of the Code *i.e.* Chief Inspector-*cum*-Facilitator or the Appropriate Government as the case may be, on the application of the employer or person incharge of such construction site, may pass any interlocutory order including stay or modification of the operation of such prohibition order, till the disposal of such appeal on merit.
- (d) No officer who is exercising the concurrent power of Inspector-*cum*-Facilitator under this Code, together with the Inspector-*cum*-Facilitator of concerned area who is exercising the original jurisdiction over that area, shall take cognizance of the same matter/dispute either afresh or by recalling etc. upon which the Inspector-*cum*-Facilitator of the concerned area has already taken the cognizance, without the prior written approval of Chief Inspector-*cum*-Facilitator.

25. Specialized qualification and experience, duties and responsibilities of experts empanelled under section 37.—The qualification and experience for experts to be empanelled shall be such as notified by State Government in the scheme to be framed for third-party audit.

26. Manner of providing alternative employment under sub-clause (d) of Clause (A) of sub-section (1) of section 38.—

- (1) It shall be the duty of occupier to provide alternative employment to any person whose employment has been affected by an order under clause (A) of sub-section (1) of section 38, if any other establishment of the same employer exists within the radius of one hundred kilometer;
- (2) The alternative employment may be offered only when the period of employment affected by the order is fifteen days or more;
- (3) Such persons shall be given notice atleast three days before the actual date of such order;
- (4) The wages and other facilities shall not be affected to the detriment of such person.

27. Qualification for the appointment of Medical Officer under sub-section (1) of section 42.—The Medical Officer for the purposes of this Code in relation to factory, mines, plantation, motor transport undertakings and building and other construction shall be a medical

practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) and who is enrolled on the Indian Medical Register and State Medical Register.

28. Duties of Medical Officer under sub-section (2) of section 42.—(1) On receipt of a reference under clause (c) sub-section (2) of section 42 of the Code, the Medical Officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the person sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopaedic surgeon, as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as State Government may direct,—

- (a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;
- (b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to arduous nature of any process carried on or hazardous condition of work;
- (c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;
- (d) to undertake occupational health survey for any class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as prescribed in Third Schedule of the Code;
- (e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

Special Provision Relating to Employment of Women

29. Employment of women in establishment under section 43.—The women employee may be employed before 06.00 AM and beyond 07.00 PM in any establishment subject to following conditions.—

1. No woman worker shall be bound to work without her consent before 06.00 AM and after 07.00 PM.
2. No woman employee shall be required or allowed to work for more than eight hours in any day and not for more than 48 hours in any week.
Provided that provisions of section 27 and rule made therein shall remain applicable.
3. No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020.
4. Adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick up and drop at her residence.

5. The occupier shall intimate the arrangement proposed by him to the Inspectors-*cum*-Facilitator of the region for verification affording him a minimum period of seven days for such verification.
6. Employer shall ensure the sufficient supervision during such working hours and journey thereof.
7. Employer shall provide lighting not only inside the establishment, but also in the surroundings of the establishment and at all places where the female employees may move as per her necessity in the course of such shift.
8. Employer shall provide appropriate medical facilities and also make available at any time of urgency by providing necessary telephone connections and where more than hundred female employees are employed in a shift, a separate vehicle be kept ready to meet the emergent situation such as hospitalization, whenever there is a case of injury or incidental acts of harassment etc.
9. Wherever the establishment provides boarding and lodging arrangements for the female employees, the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors.
10. The female employees who work in night shifts and regular shifts shall have a monthly meeting through their representatives with principal employer once in eight weeks as grievance day and the employer shall try to comply all just and reasonable grievances.
11. Employer shall send a fortnightly report to the Inspector-*cum*-Facilitator under the Code about the details of employees engaged during night shifts and shall also send express report whenever there is some untoward incident to the Inspector-*cum*-Facilitator under the Code and local police station as well.
12. The toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning to these amenities, entry and exit of women employees should be well-lit.
13. Provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.
14. The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishment, shall be complied with.

30. Adequate safety of employment of women in dangerous operations under section 44.—

The State Government may declare by notification the class of establishments and the scheme, and standards for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes.

Special Provisions for Contract Labour

31. Conditions of license under sub-section (3) section 47.—The conditions of licence shall be as under:—

1. The hours of work shall conform to the rules made under section 25 of the Code.

2. The wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 and rules made thereunder.
3. If the contract worker of the contractor is working at the premises of the principal employer then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, Canteen and Creche
4. In other cases all such facilities and entitlements shall be provided by the contractor.
5. In case contractor fails to make payment of minimum wages to the contract workers, then Chief Inspector-cum-Facilitator or his representative, who shall cause such payment to be made to the contract workers who have not been paid out of the security deposit maintained under the licence issued by the Licensing Officer to the contractor.

32. Form and manner of application for Contract Labour License under sub-section (1) of section 48.—Every application by a contractor for the grant of a license shall be made online electronically through web portal of the Department of Labour & Employment, Government of Himachal Pradesh in **Form 12** to the licensing authority.

33. Procedure for issue of license under sub-section(2) of section 48.—(1) Every license shall be in **Form 13**.

(2) The contractor shall deposit the security amount calculated at the rate of Rupees one thousand for each of the workman to be employed as a contract labour in respect of which application for license has been made.

(3) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the application Form, the licensing officer may adjust the security deposit in respect of his application for new license.

(4) Fees to be paid for grant of licence shall be as specified below:—

Sl. No	Number of workers employed by the contractor in the establishment	Amount of fee in `
1.	0-49	Nil
2.	50-100	1000
3.	101-150	1500
4.	151-250	2000
5.	251-500	3000
6.	501-1000	5000
7.	1001-1500	10000
8.	1501-2000	15000
9.	2001-3000	20000
10.	3001-4000	25000
11.	4001-5000	30000
12.	Above 5000	40000

(5) Every license granted or renewed shall subject to the following conditions, namely.—

(a) The license shall be non-transferable;

- (b) The number of workers employed as contract labour by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;
- (c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;
- (d) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.
- (f) The Registration Certificate of the establishment of contractor shall be deemed to be issued to such contractor when he applies for the contract labour licence after paying the fee mentioned in rule 4 and rule 33.

34. Manner for amendment of licence under sub section (3) of section 48.—(1) If the application for license or modification or amendment is complete in all respect the license shall be granted automatically by the portal:

Provided that if at any time, the information given by the contractor in application is found incorrect, the license automatically granted by the portal may be revoked by the licensing authority and fee and security deposit may be forfeited.

(2) If application for modification is in respect of increase in the number of contract labour, the additional fees amounting to the difference of fee prescribed in corresponding slabs under sub-rule (4) of rule 33 and additional security as prescribed in sub-rule (2) of rule 33 shall be deposited by the applicant.

35. Responsibility of contractor under sub-section (4) of section 48.—(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 and rules made thereunder

(2) The contractor shall be responsible for payment of wages to each worker employed by him as contract labour and such wages shall be paid before the expiry of such period as prescribed under rules made thereunder.

(3) Every principal employer shall nominate a representative duly authorised by him to be present at the time of disbursement of wages by the contractor and it shall be the duty of such representative to certify the amounts paid as wages.

(4) It shall be the duty of contractor to ensure the disbursement of wages in the presence of the authorised representative of the principal employer.

(5) In case where the worker employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workers of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work. In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the Inspector-*cum*-Facilitator whose decision shall be final.

(6) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workers of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made thereunder.

(7) All contract labour shall be made member of Eemployees' Provident Fund Organization and Employees' State Insurance Corporation subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020.

(8) The contractor shall notify any change in the number of workers or conditions of work to the Licensing Authority, electronically.

36. Intimation of work order and time limit for intimation under sub-section (1) of section 50.—When a contractor receives work order from any establishment either to supply Contract Labour in the establishment or to execute contract through Contract Labour in the establishment, he shall within fifteen days from the date of receipt of such order intimate electronically or otherwise to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator and Inspector-*cum*-Facilitator having the jurisdiction of that area where the establishment is situated, containing the details such as the name of Principal Employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work order.

37. Manner of suspending or cancelling the licence under sub-section (2) of section 50.—Where the contractor fails to give intimation to the designated authority, such authority, after giving a show-cause notice of at least fifteen days and after affording the contractor a reasonable hearing, may suspend or cancel the license electronically.

38. Appellate authority under sub-section (1) of section 52.—The appellate authority under sub-section (1) of section 52 shall not be less than the rank of Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

39. Responsibility for payment of wages under section 55.—(1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed only through bank transfer or through electronic mode.

40. Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of section 55.—Where contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the Chief Inspector-*cum*-Facilitator or his representative or the competent officer as may be notified shall conduct an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

41. Experience certificate under section 56.—Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate to the contract labour employed containing following key points:—

1. Must be on letter head of contractor
2. Salutation or declaration “**To whom so ever concerned**”
3. Name and address of Contractor

4. Name and address of Principal Employer
5. Date of issue of certificate
6. Name of employee as per record
7. Period of employment (from date of joining to date of relieving)
8. Designation or position
9. Nature and location of work
10. Remarks
11. Seal and signature of contractor

42. Form and manner of making application under clause (b) of sub-section (2) of section 57.—If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Labour Commissioner giving reasons alongwith supporting documents who shall forward it to the State Government with comment thereon within a period of thirty days of receipt of the application.

43. Period of making report and period of deciding the question under clause (c) of sub-section (2) of section 57.—Where the appropriate government refer any such question suo-moto or refer the application to the designated authority under Clause (a) of sub-section (2) of section 57, such designated authority shall send a report to the State Government within a period of one month from the date of receipt of such question or application and thereafter the State Government shall decide the question within one month from the date of receipt of such report.

Inter-State Migrant Workers

44. Journey Allowance to Inter-State Migrant Worker under section 61.—The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to and fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home state in the event of the following, namely :—

if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment(s) in preceding twelve months :

Provided that the journey allowance shall be given to an *inter-state* migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-state migrant worker during the middle of the employment period and has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-state migrant worker, the employer where the *inter-state* migrant worker is now working and such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the employer shall give journey allowance.

45. Manner of providing facility of toll free helpline under section 63.—A Toll-Free help-line number shall be provided by the Department of Labour & Employment, to address queries and grievances of the inter-state migrant workers.

46. Manner of providing for study of inter-state migrant workers under section 64.—The State Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of *inter-state* migrant workers. Whenever required the State Government may also consult the expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-state migrant workers.

Audio-Visual Workers

47. Authority to whom a copy of agreement shall be forwarded by the producer under sub-section (3) of section 66.—If an audio-visual worker is covered under the provisions of an enactment for the time being in force for providing benefit of provident fund to him then a copy of agreement shall also be forwarded by the producer of audio visual programme to the Inspector-*cum*-Facilitator of the area concerned.

48. Dispute resolution process and mechanism, the constitution and other details under clause (vii) of sub-section (4) under section 66.—The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be as per the Industrial Relation Code, 2020 and rules framed thereunder.

FACTORIES

49. Class or description of factories and mode of submission of application under section 79.—

(A) Submission of plans of Factory—

- (1) The State Government or the Chief Inspector-*cum*-Facilitator may require for the purposes of the Code, submission of plans of building/structure/premises to be taken in use as a factory which was either in existence on the date of the commencement of the Code or which had been constructed or extended since then.
- (2) No building shall be constructed or shall be taken into use as a factory unless plans in respect of such building are approved by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator, Himachal Pradesh.
- (3) No addition/alteration/extension in the existing factory shall be made unless such additions, alterations or extensions are approved by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator, Himachal Pradesh.
- (4) Application for approval of the plans shall be made in **Form-14** to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator through portal along with requisite documents as per checklist provided on the portal
- (5) All dimensions in plan shall be indicated in metric units.
- (6) **Colouring of plans shall be as under:—**

Sl. No.	Item	Site & Building Plan (on white background)
1.	Plot line	Thick Black
2.	Building lines	Thin Black

3.	Open space	No colour
4.	Construction to be approved	Blue filled in
5.	Work proposed to be demolished	Yellow filled in
6.	Proposed construction	Brown filled in
7.	Drainage & sewerage work	Red dotted
8.	Water supply	Green dotted
9.	Already approved construction	Orange filled in
10.	Revised/Altered building	Pink filled in
11.	Fire escapes	Orange dotted
12.	Any other	Purple dotted

- (7) Building Plans shall be uploaded in computerized/electronic mode only and duly signed by the occupier as well as signatory of certificate of stability or building plans shall be generated in autocad mode and digitally signed by the occupier as well as signatory of certificate of stability.
- (8) The site plan to be sent along with the application shall be drawn to a scale of 1: 100 for plots upto 500 sq.m in size and on a scale of 1:500 for plots above 500 sq.m in size. This site plan shall show as below:—
- The plan, elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details.
 - Boundaries of the site and any contiguous features.
 - Direction of the north point relative to the site.
 - Streets or roads adjoining the site with their width clearly dimensioned and names, if any.
 - Area calculations such as ground coverage, Floor Area Ratio, parking calculations, any other relevant calculations as required.
 - Disposal of waste water, sewerage and storm water or storage of hazardous waste.
 - Details of building/ drains/structures/physical features falling within 500 meters of the factory.
 - Prominent urban service points above/underground (like sewer/water pipes, gas pipeline, transformers, electric poles/lines, phone distribution boxes, etc.) within 500 metres area.
 - Such other particulars as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(B) Approval of Plans—

On receiving application electronically on portal if the authorised officer, is satisfied that the plans, forms and documents are in accordance with the requirement of the Code and the rules, he/she will forward the application to the Chief Inspector-cum-Facilitator for acceptance or may

raise the observations and will forward to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator for consideration and further action. The Chief Inspector-*cum*-Facilitator after being satisfied shall either approve the plans or agreeing with report of authorized officer will return the application to the applicant for resolving the observations raised:

Provided that plans shall not be deemed to have been submitted till such time as they are resubmitted duly modified and corrected.

(C) Certificate of Stability—

- (1) No manufacturing process shall be carried on in any building or part thereof (whether newly constructed, re-constructed, altered, repaired or extended) as a factory or increase in machinery or change in process in any existing factory until a Certificate of Stability in **Form 15** in respect thereof, has been accepted by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator.
- (2) “Certificate of Stability” in **Form 15** shall be signed by the Competent Person and occupier jointly along with the tests and analysis reports relating to stability.
- (3) The plans and certificate of stability shall be certified by the empanelled competent person recognized by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator as per under section 2(1)(l) who shall not be the employee of the factory:

Provided that no person except in case of building owned by any Government shall be authorized to sign a Certificate of Stability or to certify plans and specifications who is in the employment of the owner or builder of the building in respect of which the certificate is given .

- (4) The stability Certificate accepted under this rule shall be valid for ten years from the date of acceptance.

(D) Validity period of proposed sanction and Revocation of Sanction.—

Every proposed approval shall become null and void if no construction is started within one year from approval. The approval granted under these rules may be revoked by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator, if it is found that such approval has been obtained by the occupier or manager by misrepresentation of material facts or fraudulent document submitted along with the application or otherwise or the majority of construction is not being done in accordance with the approval granted

(E) Particulars of Rooms.—

- (1) The internal height of a work room shall be not less than 4.25 m measured from the floor level to the lowest part of the roof and if the roof is of corrugated iron which is neither covered with tiles nor has an inner ceiling of lining of heat-resisting material with an air space of at least 10cm. Between it and the corrugated iron, the internal height shall be not less than 5 m:

Provided that in the case of building having a brick or concrete roof, or a combination of the two, the minimum height may be 3.75 m. if approved by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator:

Provided further that in case of factories employing less than 100 workers, the Chief Inspector-*cum*-Facilitator may, where he is satisfied that the conditions of work are reasonably good exempt such factories from the provisions of this sub-rule.

- (2) There shall be provided at all times for each person employed in any room of a factory where mechanical or electrical power is used, at least 36 square feet (3.35 square meter) of floor space exclusive of that occupied by machinery and a breathing space of at least 500 cubic feet (14 cubic meter). The provisions of clause (i) above shall not apply to rooms intended for storage, go downs and like purposes and also rooms intended solely for office purposes where only clerical work is done.
- (3) The rooms of the factory shall meet the standards on lighting, Over-Crowding, Ventilation, Fire-Exits, Latrines/Urinals, Drinking Water, Rest-Room, Crech, Canteen, Ambulance Room etc. as prescribed by the Central Government from time to time.

(F) Pre approved plans.—Plans which have been already approved by the Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948 before coming into force of these rules shall be deemed to be approved under these rules.

(G) Grant of Licence

- (1) The occupier of every factory shall submit an application in **Form 12** on portal for the grant of licence atleast 15 days before he begins to occupy or use the premises as a factory.
- (2) A licence for a factory shall be granted in **Form-13** by Chief Inspector-*cum*-Facilitator appointed under the Code on payment of the fees specified in Fee Schedule hereto alongwith documents required as per checklist available on the web portal.
- (3) Every licence granted or renewed under these rules shall remain in force upto the 31st December of the year for which the licence is granted or renewed
- 4) In case an application for grant of licence has been made for a period of one year or any number of years upto ten years, the renewal fees shall be number of years multiplied by the fees payable for renewal of licence for one year, as specified in the Fee Schedule hereto.
- (5) Fees to obtain a licence in respect of a factory.

Fee Schedule for one year												
Load Connected (in kilowatts)	Number of Workers											
	From 20 to 50	From 51 to 100	From 101 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 1500	From 1501 to 2000	From 2001 to 3000	From 3001 to 4000	From 4001 to 5000	Above 5000
Without power	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	20000
Upto 50	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	25000
From 51 to 100	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	30000
From 101 to 150	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	35000
From 151 to 250	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	40000
From 251 to	5000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	50000

500						0		0				
From 501 to 1000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	60000
From 1001 to 2000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	70000
From 2001 to 3000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	80000
From 3001 to 4000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	90000
From 4001 to 5000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Above 5000	25000	30000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000

Provided that license renewal fee to be taken from the factories shall be increased by 10% every 5 years. The next increase shall be effective from the date of publication of these rules in Official Gazette.

(H) Renewal of Factory Licence.—

- (1) A licence shall be renewed by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator under the code.
- (2) Every application for the renewal of the licence shall be made on portal in **Form 12** together with the receipt of the payment of fees for a period of one year or any further period up to ten years, as the case may be, and shall be submitted not less than thirty days before the date on which the licence expires.
- (3) The fee for renewal of licence for one year shall be the same as for the grant thereof. In case an application for renewal has been made for a period of one year or any number of years up to maximum ten years, the renewal fees shall be number of years multiplied by the fees payable for renewal of licence for one year, as specified in the Fee Schedule for one year
- (4) No application for the renewal of licence made after the expiry of the period specified in sub-rule (2), or if the period is extended, after the expiry of such extended period, be entertained and the licence renewed unless an additional fee equal to 25% fees payable per year for which licence is not renewed.
- (5) Once the application for renewal of licence with prescribed fee is submitted by the occupier through the portal of State Government the renewal of factory licence shall be deemed renewed automatically by the portal.

(I) Amendment of Factory Licence.—

- (1) A licence granted may be amended by the Chief Inspector-*cum*-Facilitator of the Area.
- (2) Licensee shall get the licence amended if there is any change as specified below:—
 - (a) Change of name of factory
 - (b) Change in name of occupier
 - (c) Change in name of factory manager
 - (d) Change in address of premises

-
- (e) Increase or decrease in number of workers
- (f) Increased or decreased in horsepower
- (g) Such particulars referred in licence application form
- (3) A licensee who desires to have his licence amended, shall submit it on portal an application in **Form-12** stating the nature of the amendment 3 days before such change or within 3 days from such change if the circumstances was such that licensee could not make application for amendment.
- (4) The Fee for the amendment of a licence shall be five hundred plus the amount of difference of fee required as per Fee Schedule
- (5) If the Chief Inspector-*cum*-Facilitator fails to amend the license within fifteen days then such license shall deemed to be amended.
- (6) The Registration Certificate of the establishment of occupier shall deemed to be issued to such occupier when he applies for the factory licence after paying the fee mentioned in Rule 4 & Rule 50(G)(5)
- (j) Transfer of Factory Licence—**
- (1) The holder of a licence may, at any time before the expiry of the licence, apply for permission to transfer his licence to another person.
- (2) Application for the transfer of factory licence shall be same as required for the amendment of the licence which shall be in **Form-12**. The Chief Inspector-*cum*-Facilitator shall transfer the license after duly satisfying himself
- (3) A fee of Rs. 500/- shall be charged for such transfer.
- (4) If the Chief Inspector-*cum*-Facilitator fails to transfer the licence within seven days then such license shall deemed to be transferred.
- (5) If a licensee dies or becomes insolvent or otherwise disabled, the person carrying on the business of such licensee shall be liable to penalty, under the Code or these rules for exercising the powers granted to the licensee by the licences during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the transfer of the licenses in his own name for the unexpired portion of the original licences.
- (k) Cancellation of Licences.—**The licence may be cancelled in following circumstances:—
- (1) If any information given in the application or any certificate is found incorrect or forged.
- (2) If at any time an occupier notifies of his intention on the Official web Portal of the Labour Department of State Government that the premise, in respect of which licence is issued will not be used for the working of the factory. The Chief Inspector-*cum*-Facilitator shall cancel the licences granted in respect of such factory through the Portal:

Provided that such application shall be submitted atleast two months before the date of cessation of use of premises as a factory.

50. Common facilities and services for joint liability of owner of premises and occupier of the factories under Section 80.—(1) Where in any premises separate buildings are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services such as approach roads, drainage, water supply, lighting and sanitation.

(2) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator shall have, powers to issue orders to the owners of the premises for carrying out the provisions of sub-rule (1).

(3) Where in any premises, independent or self-contained, floors or flats are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall also be liable, as if he were the occupier or manager of a factory, of any contravention of the provisions of this Code in respect of—

- (i) latrines, urinals and washing facilities in so far as the maintenance of the common supply of water for these purposes is concerned;
- (ii) fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody or use of an occupier;
- (iii) safe means of access to the floors of flats, and maintenance and cleanliness of staircases and common passages;
- (iv) precautions in case of fire;
- (v) maintenance of hoists and lifts; and
- (vi) maintenance of any other common facility provided in the premises.

(4) The provisions relating to the liability of the owner shall apply where in any premises independent rooms with common latrines, urinals and washing facilities are leased to different occupiers for use as separate factories:

Provided that the owner shall also be responsible for complying with the requirements relating to the provision and maintenance of latrines, urinals and washing facilities.

(5) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator shall have the power to issue orders to the owner of the premises referred to in section 80 of the Code.

(6) Where in any premises portions or room or a shed are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable for any contravention of the provisions of this rule relating to dangerous operations.

51. Rules under section 82.—(1) The following operations when carried on in any factory shall be dangerous operations under section 82 of the Code:—

1. Manufacture of aerated water and processes incidental thereto;
2. Electrolytic plating or oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver or gold;

3. Manufacture and repair of electric accumulators;
4. Glass manufacture and matters incidental thereto;
5. Grinding or glazing of metals;
6. Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead;
7. Generating petrol, gas from dangerous petroleum;
8. Cleaning, smoothening or roughening etc. of articles by a jet of sand, metal shot, grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam;
9. Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto;
10. Carrying on of certain processes of lead and lead material in Printing Presses and Type Foundries;
11. Chemical works;
12. Manufacture of pottery and ceramics;
13. Compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis of water;
14. Manipulation of stone or any other material containing free silica;
15. Handling and processing of asbestos, manufacture of any article of asbestos and any other process of manufacture or otherwise in which asbestos is used in any form;
16. Handling and manipulation of corrosive substances;
17. Use of ovens and dryers in factories;
18. Manufacturer or Manipulation of Carcinogenic Dye intermediates;
19. Process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources in solvent extraction plants;
20. Manufacture and manipulation of manganese and its compounds;
21. Manufacturing, handling and usage of Benzene and substances containing Benzene;
22. Manufacture process or operation in Carbon disulphide plants;
23. Operations involving High Noise levels and vibration levels;
24. Manufacture or manipulation of dangerous pesticides;
25. Manufacture of Rayon by Viscose process;
26. Highly Flammable liquids and Flammable Compressed Gases;
27. Operation in foundries;

28. Textile machinery except used in jute mills;
29. Process of Melting in Induction Furnace;
30. Wood Working Machinery;
31. Rubber Mills;
32. Centrifugal Machines;
33. Power Presses;
34. Shears, Slitters and Guillotine Machines;
35. Thermic Fluid Heaters;
36. Manufacture of chromic acid or manufacture or recovery of the bichromate of sodium, potassium or ammonium;
37. Welding/Cutting operation with the use of LPG/Acetylene/Argon:

Provided that provisions relating to the aforementioned dangerous operation such as, specifying the manufacturing process and operations, provisions relating to welfare amenities, sanitary facilities, protection equipments and clothing etc. shall be issued separately by the Chief Inspector of Factories by way of orders after the coming into force of these rules.

(2) Prohibition or restricting the employment of pregnant woman in the manufacturing process or operation.—Every occupier or employer shall ensure to strictly prohibit the employment of pregnant women in hazardous and dangerous operations which exposes them to serious risk of bodily injury, poisoning or disease.

(3) Periodical Medical Examination:

- (a) For the medical examination of workers to be carried out by the certifying surgeon as required by dangerous operations 1 to 37 above, the occupier of the factory shall pay fee for the examination of each worker every time he/she is examined.
- (b) Any charges for biological, radiological or other tests which may have to be carried out in connection with the medical examination shall be borne by the occupier.

(4) Notwithstanding anything contained in provisions relating to dangerous operations, the Inspector-*cum*-Facilitator may issue order in writing to the Manager or Occupier or both, directing them to carry such measures, and within such time, as may be specified in such order with a view to remove conditions dangerous to the health of the worker or to suspend any process, where such process constitutes in the opinion of the Inspector-*cum*-Facilitator imminent danger of poisoning or toxicity.

(5) Any register or record of medical examinations and tests connected therewith required to be carried out, under any of the dangerous operations specified above, in respect of any worker, shall be kept readily available to the Inspector-*cum*-Facilitator and shall be preserved till the expiry of a period of one year after the worker ceases to be in employment of the factory.

52. Site Appraisal Committee under section 83.—(1) The State Government may constitute a Site Appraisal Committee by way of notification for the purpose of setting up of Hazardous Industries.

(2) No member, unless required to do so by a court of law, shall disclose otherwise than in connection with the purposes of the Act, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a Member on this Committee.

(3) (i) Application for appraisal of sites in respect of the industries covered under clause (za) of sub-section (1) of section 2 of the Code shall be submitted to the Member Secretary of the Site Appraisal Committee.

(ii) The application for site appraisal along with fifteen copies thereof shall be submitted in **Form 16**. The Committee may dispense with furnishing of information on any particular item in the application Form, if it considers the same to be not relevant to the application under consideration.

(iii) Functions of the Site Appraisal Committee.—(a) The Member Secretary shall arrange to register the applications received for appraisal of site in separate register and acknowledge the same within a period of seven days.

(b) The Member Secretary shall fix up the meetings in such manner that all the applications received and registered are referred to the Committee within a period of one month from the date of their receipt.

(c) The Committee shall adopt a procedure for its working keeping in view the need for expeditious disposal of application.

(d) The Committee shall examine the applications for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restriction on the location of an industry and carrying on of processes and operations in different areas as per the provisions of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 framed under the Environment (Protection) Act, 1986

(e) The Committee may call for documents examining experts, inspect the site if necessary and take other steps for formulating its views in regard to the suitability of the site; and

(f) Whenever the proposed site requires clearance by the Ministry of Industries or by the Ministry Environment and Forests of Government of India, the application for Site Appraisal will be considered by the Site Appraisal Committee only after such clearance had been received.

53. The manner of disclosing information by occupier of a factory under sub-sections (1), (2), (5) and (7) of section 84.—(1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall arrange to obtain or develop information in the form of Material Safety Data Sheet (MSDS) in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible upon request to a worker for reference. Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information:—

(a) The identity used on the label;

(b) Hazardous ingredients of the substance;

(c) Physical and chemical characteristics of the hazardous substance;

- (d) The physical hazards of the hazardous substance, including the potential for fire, explosion and reactivity;
- (e) The health hazards of the hazardous substance, including signs and symptoms of exposure and any medical conditions which are generally recognised as being aggravated by exposure to the substance;
- (f) The main route(s) of entry;
- (g) The permissible limits of exposure prescribed in **Schedule-C** of these rules, and in respect of a Chemical not covered by the said Schedule, any exposure limit used or recommended by the manufacturer, importer or occupier;
- (h) Any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for clean-up of spills and leaks;
- (i) Any generally applicable control measures, such as appropriate engineering controls, work practices, or use of personal protective equipment;
- (j) Emergency and first aid procedures;
- (k) The date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change to it;
- (l) The name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data Sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures, if necessary.

(2) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data Sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information recorded accurately reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant evidence used in making the hazard determination, regarding the hazards of a substance, or ways to protect against the hazards, this new information shall be added to the Material Safety Data Sheet as soon as practicable. The format of such Material Safety Data Sheet shall be as per **Schedule-B** appended to these rules. Every container of hazardous substances shall be clearly labelled or marked to identify—

- (i) the contents of the container;
- (ii) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substances;
- (iii) the physical and health hazards ; and
- (iv) the recommended personal protective equipment need to work safely with the hazardous substance.

(3) The occupier of a factory carrying on a 'hazardous process' shall supply to all workers the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other processes:—

- (a) Requirements of sections 84, 85 and 89 of the Code;

-
- (b) A list of 'hazardous processes' carried on in the factory;
 - (c) Location and availability of all Material Safety Data Sheets;
 - (d) Physical and health hazards arising from the exposure to or handling of substances;
 - (e) Measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards;
 - (f) Measures taken by the workers to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;
 - (g) Personal Protective Equipment required to be used by workers employed in 'hazardous process' or 'dangerous operations';
 - (h) Meaning of various labels and markings used on the containers of hazardous substances;
 - (i) Signs and symptoms likely to be manifested on exposure to hazardous substances and to whom to report;
 - (j) Measures to be taken by the workers in case of any spillage or leakage of a hazardous substance ;
 - (k) Role of workers vis-à-vis the emergency plan of the factory, in particular the evacuation procedures;
 - (l) Any other information considered necessary by the occupier to ensure safety and health of workers.

The information required for the foregoing rule shall be compiled and made known to workers individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the workplaces. The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the workers and also explained to them. The Chief Inspector-cum-Facilitator may direct the occupier to supply further information to the workers as deemed necessary.

(4) Disclosure of information to general public.—The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall in consultation with the District Disaster Management Authority designated by the Appropriate Government, take appropriate steps to inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident. Such information shall include—

- (a) Name of the factory and address where situated;
- (b) Identification, by name and position, of the person giving the information;
- (c) Confirmation that the factory has approval from the Factories Inspectorate and Pollution Control Board;
- (d) An explanation in simple terms of the hazardous process(es) carried on in the premises;

- (e) The common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics;
- (f) Brief description of the measures to be taken to minimize the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes;
- (g) Salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory;
- (h) Details of the factory's emergency warning system for the General Public;
- (i) General advice on the action members of the public should take on hearing the warning;
- (j) Brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimize their effects; and
- (k) (i) Details of where further information can be obtained.
- (ii) The occupier shall also supply any further information.—
- (a) to general public as directed by the District Disaster Management Authority from time to time;
- (b) to the elected representatives of the general public on request;
- (iii) The occupier shall endeavour to enter an agreement with the District Disaster Management Authority for the area, within whose jurisdiction the factory is situated, for the District Disaster Management Authority to take appropriate steps to inform the general public outside the factory who are likely to be affected by an accident as required in clause (i);
- (iv) The information specified in this sub-rule shall be in the regional language and in English or Hindi.

(5) Disclosure of information to the local authority.—The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall furnish the following information in writing to the local authority having jurisdiction over the area in which the factory is situated :—

- (i) the information furnished to general public as specified in sub-rule (3); and
- (ii) a statement of the names and quantities generally stored or in process of hazardous substances included in the list of chemicals prescribed under Environment (Protection) Act, 1986.

(6) Disclosure of information to District Disaster Management Authority.—The occupier of a factory carrying on a hazardous process, shall intimate the District Disaster Management Authority designated by the Government of Himachal Pradesh, all information having a bearing on preparation of an on-site emergency plan and a disaster control and management plan in respect of the factory. Without prejudice to the generality of this rule, the occupier shall furnish to the District Disaster Management Authority the following:—

- (a) a report on status relating to risk assessment and environmental impact assessment and the measures taken for prevention of accidents;
- (b) compilation of Material Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory;
- (c) a statement on all possible sources of accidents involving fire, explosion, release or leakage of toxic substances and the plan of the premises where such an accident may occur ;
- (d) a statement on resources and facilities available for dealing with an emergency including any agreement entered into with a neighbouring factory for aid and assistance in the event of an emergency;
- (e) a map of the area showing the approaches to the factory location of emergency facilities such as hospitals, police, fire service;
- (f) the organisation of the management and the responsibility for safety indicating therein the persons responsible for on- site emergency action;
- (g) details relating to alert system;
- (h) information on availability of antidotes for poisoning resulting from an accident;
- (i) any other information as may be considered relevant by the occupier or asked for by the District Disaster Management Authority.

(7) Disclosure of information to the Chief Inspector-cum-Facilitator.—The occupier of every factory carrying on ‘hazardous process’ shall furnish, electronically, to the Chief Inspector-cum-Facilitator a copy of all the information furnished to the workers, local authority, general public and the District Disaster Management Authority. A copy of compilation of Material Safety Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall also be furnished to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the local Inspector electronically. Further, the Occupier shall furnish any other information asked for by the Chief Inspector from time to time for the purpose of this Code and rules made thereunder.

(8) Emergency plan, Disaster Control and Management Plan.—(i) The occupier of a factory carrying on a hazardous process shall prepare a draft on-site emergency plan, disaster control and management plan in respect of his factory and submit the same electronically to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the District Disaster Management Authority.

(ii) The District Disaster Management Authority on receipt of the plan shall hold consultation with the occupier, representatives of the Chief Inspector-cum-Facilitator, the State Pollution Control Board, local authority as well as police, health fire brigade and other authorities concerned and finalise the plan.

(iii) The occupier will intimate the workers the provisions of the emergency plan and hold rehearsals of the plan periodically. He shall review the plan from time to time and make necessary changes therein under intimation to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the District Disaster Management Authority.

(iv) The Chief Inspector-cum-Facilitator may issue guidelines relating to formulation of emergency plans. He may also direct modifications of the emergency plan in respect of any factory as may be necessary, from time to time.

(v) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may issue guidelines for formulation of disaster control and management plans. The Chief Inspector as well as the District Disaster Management Authority may after mutual consultation also direct modifications of the disaster control and management plan in respect of a factory as may be necessary from time to time.

(9) Information on Industrial Wastes.—(i) The information furnished under sub rules (3), (4), (5), (6) & (7) of Rule 54 shall include the quantity of the solid and liquid wastes generated per day, their characteristics and the method of treatment such as incineration of solid wastes, chemical and biological treatment of liquid wastes, and arrangements for their final disposal.—

(ii) It shall also include information on the quality and quantity of gaseous waste discharged through the stacks or other openings, and arrangements such as provision of scrubbers, cyclone separators, electro-static precipitators or similar such arrangements made for controlling pollution of the environment.

(iii) The occupier shall also furnish the information prescribed in the clause (i) and clause (ii) to the State Pollution Control Board.

(10) Review of the Information furnished to workers etc.—(i) The occupier shall review once in every calendar year and modify, if necessary, the information furnished under sub-rules (3) to (7) of this rule to the workers, general public, local authority, Chief Inspector and the District Emergency Authority.

(ii) In the event of any change in the process or operations or methods of work or when any new substance is introduced in the process, in the event of a serious accident taking place, the information so furnished shall be reviewed and modified to the extent necessary.

(11) Confidentiality of information.—(i) The occupier of a factory carrying on 'hazardous process' shall disclose all information needed for protecting safety and health of the workers and the general public in the neighbourhood to his workers, District Disaster Management Authority and Chief Inspector-*cum*-Facilitator as required under sub-rules (3), (6) and (7) of this rule. If the occupier is of the opinion that the disclosure of details regarding the process and formulations will adversely affect his business interests, he may make a representation to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator stating the reasons for withholding such information. The Chief Inspector-*cum*-Facilitator shall give an opportunity to the occupier of being heard and pass an order on the representation;

(ii) An occupier aggrieved by an order of Chief Inspector-*cum*-Facilitator may prefer an appeal before the Government of Himachal Pradesh within a period of 30 days. The Himachal Pradesh Government shall give an opportunity to the occupier of being heard and pass an order. The order of the Government shall be final.

(12) Health and Safety policy.—(1) The occupier of every factory, except, the following factories shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of workers at work:—

All factories:—

- (a) covered under sub-clause (i) of clause (w) of section 2 of the Code but employing less than fifty workers;
- (b) covered under sub-clause (ii) of the said clause (w) but employing less than one hundred workers; shall be exempted from the requirements of sub-rule (1):

Provided that the factories specified in clauses (a) and (b) above are not covered in First Schedule under clause (za) of section 2 of the Code and are not carrying out processes or operations declared to be dangerous under section 82 of the Code.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Chief Inspector-*cum*-Facilitator may require the occupier of any of the factories or class or description of factories to comply with the requirements of the sub-rule (1) if in his opinion, it is expedient to do so.

(3) The Health and Safety policy should contain or deal with:—

- (a) the declared intention and commitment of the top management to health, safety and environment and compliance with the relevant statutory requirements;—
- (b) the organisational set upto carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels; and
- (c) arrangements for making the policy effective.

(4) In particular, the policy should specify the following namely:—

- (a) the intentions of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement;
- (b) fixing the responsibility of the contractors, sub-contractors, transporters and other agencies entering the premises;
- (c) providing a resume of health and safety performance of the factory in its annual report;
- (d) relevant techniques and methods, such as safety audits and risk assessment for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all remedial measures;
- (e) stating its intentions to integrate health and safety in all decisions including those dealing with purchase of plant, equipment, machinery and materials as well as selection and placement of personnel; and
- (f) arrangements for informing educating and training and retraining its own employees at different levels and the public, wherever required.

(5) A copy of the declared Health and Safety Policy duly signed by the occupier shall be made available to the Inspector-*cum*-Facilitator having jurisdiction over the factory and to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator.

(6) The policy shall be made widely known by:—

- (a) making copies available to all workers including contract workers, apprentices, transport workers and suppliers, etc.
- (b) displaying copies of the policy at conspicuous places, and
- (c) any other means of communication.

(7) The occupier shall revise the Health and Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances:—

- (a) whenever any expansion or modification having implications on safety and health of persons at work is made; or
- (b) whenever new substance(s) or articles are introduced in the manufacturing process having implications on health and safety of persons exposed to such substances.

(13) Information to be furnished by the Occupier of Hazardous process Industry to the Chief Inspector-cum-Facilitator.—The information desired under this rule shall be furnished electronically in following manner:

1. Name of Factory.....
2. Address of Factory.....
3. Product.....
4. Manufacturing process.....
5. (a) Raw Material.....
- (b) Name & Maximum storage capacity.....
6. Finished Product
7. Intermediate Products
8. Hazards associated with the Factory
9. Safety Measure observed
10. Fire and Explosion Risk
11. Details for disposal of hazardous waste

(14) Intimation to Chief Inspector-cum-Facilitator by the occupier of the factory proposed to be engaged in hazardous process.—Information under sub-section (7) of section 84 shall be publicized by displaying the same on Notice Board at the gate or gates of the factory and such information shall also be given to District Magistrate and Chief Inspector-cum-Facilitator.

54. The conditions for accessibility of the record by the workers under clause (a) of section 85.—(1) The occupier of every factory carrying out a ‘hazardous process’ shall make accessible the health records including the record of worker’s exposure to hazardous process or, as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions:—

- (a) Once in every six months or immediately after the medical examination whichever is earlier;
- (b) If the factory Medical Officer or the Certifying Surgeon as the case may be, is of the opinion that the worker has manifested signs and symptoms of any notifiable disease as specified in the Third Schedule of the Code;
- (c) If the worker leaves the employment;

(d) If any one of the following authorities so direct:—

- (i) the Chief Inspector-*cum*-Facilitator;
- (ii) the Health Authority of the Central or Government of Himachal Pradesh;
- (iii) the Director, Employees State Insurance Corporation; and
- (iv) the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

(2) A copy of the up-to-date health records including the record of worker's exposure to hazardous process or, as the case may, the medical records shall be supplied to the worker on receipt of an application from him. X- ray plates and other medical diagnostic reports may also be made available for reference to his medical practitioner.

55. The qualification and experience of persons handling hazardous substance and manner of providing necessary facilities for protecting the workers under clause (b) of section 85.—(1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualifications and experience:—

- (a) A degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with 5 years experience; or
- (b) A Master's Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering or Technology with 2 years experience;
- (c) The experience stipulated above shall be in process, operation and maintenance in the Chemical Industry; and
- (d) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may require to undergo training in Health and Safety for supervision.

(2) The syllabus and duration of the above training and the organisations conducting the training shall be approved by the **Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI)** or the appropriate Government in accordance with the guidelines issued by the **Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes**.

56. The manner of providing for medical examination of a worker under sub-clause (ii) of clause (c) of section 85.—(1) Workers employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner herein after referred to as a Factory Medical Officer, in the following manner:—

- (i) Once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do the particular job ;
- (ii) Once in a period of 6 months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed and in cases wherein the opinion of the Factory Medical Officer it is necessary to do so at a shorter interval in respect of any workers;
- (iii) The details of pre-employment and periodical medical examination carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register in the **Form 17**.

(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of fitness in **Form 18** granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person unfit for being employed in any process covered under sub-rule (1), such a person shall have the right to appeal to the Inspector who shall refer the matter to the Certifying Surgeon whose opinion shall be final in this regard. If the Inspector is also a Certifying Surgeon, he may dispose of the application himself.

(3) Any findings of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the Certifying Surgeon who shall in turn, examine the concerned worker and communicate his findings to the occupier within 30 days. If the Certifying Surgeon is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection, he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away shall be provided with alternate placement unless he is in the opinion of the Certifying Surgeon, fully incapacitated in which case the worker affected shall be suitably rehabilitated.

(4) A Certifying Surgeon on his own motion or on a reference from an Inspector may conduct medical examination of a worker to ascertain the suitability of his employment in a hazardous process or for ascertaining his health status. The opinion of the Certifying Surgeon in such a case shall be final. The fee required for this medical examination shall be paid by the occupier.

(5) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Certifying Surgeon and after making entries to that effect in the Health Register.

(6) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on behalf of the Central Government or the State Government shall not refuse to undergo such medical examination.

57. The measures or standards under sub-section (1) of section 86.—(1) Occupational Health Centres.—In respect of any factory carrying on ‘hazardous process’, there shall be provided and maintained in good order an Occupational Health Centre with the services and facilities as per scale laid down hereunder:—

(i) For factories employing upto 50 workers.—

- (a) The services of a Factory Medical Officer on retainership basis, in his clinic to be notified by the occupier. He will carry out the pre-employment and periodical medical examination as stipulated in Rule 57 and render medical assistance during any emergency;
- (b) A minimum of 5 persons trained in first-aid procedures amongst whom atleast one shall always be available during the working period; and
- (c) A fully equipped first-aid box.

(ii) For factories employing 51 to 200 workers.—

- (a) An occupational Health Centre having a room with a minimum floor area of 15 sq. mm. with floors and walls made of smooth and impervious surface and with adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed hereto;

- (b) A part-time Factory Medical Officer shall be overall incharge of the Centre who shall visit the factory at least twice in a week and whose services shall be readily available during medical emergencies;
- (c) One qualified and trained dresser-*cum*-compounder on duty throughout the working period; and
- (d) A fully equipped first aid box in all the departments.

(iii) For Factories employing above 200 workers.—

- (a) One full-time Factory Medical Officer for factories employing upto 500 workers and one more Medical Officer for every additional 1000 workers or part thereof;
- (b) An Occupational Health Centre having atleast 2 rooms each with a minimum floor area of 15 sq. metre with floors and walls made of smooth and impervious surface and adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed hereto;
- (c) There shall be one nurse, one dresser-*cum*-compounder and one Sweeper-*cum*-Ward Boy through out the working period; and
- (d) The Occupational Health Centre shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

(2) The Factory Medical Officer required to be appointed under clause (a) above shall have qualifications prescribed in the Schedule to the Indian Medical Degrees Act, 1916 or in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 and possesses a Certificate of Training in Industrial Health of minimum three months duration recognised by the Government of Himachal Pradesh:

Provided that—

- (i) A person possessing a Diploma in Industrial Health or equivalent shall not be required to possess the certificate of training as aforesaid;

The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may, subject to such conditions as he may specify, grant exemption from the requirement of this sub-rule, if in his opinion a suitable person possessing the necessary qualification is not available for appointment;

- (ii) In case of a person who has been working as a Factory Medical Officer for a period of not less than 3 years on the date of commencement of this rule, the Chief Inspector-*cum*-Facilitator may, subject to the condition that the said person shall obtain the aforesaid certificate of training within a period of three years, relax the qualification.

(3) The syllabus of the course leading to the above certificate, and the organisations conducting the Course shall be approved by the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes or the Government of Himachal Pradesh in accordance with the guidelines issued by the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI).

(4) Within one month of the appointment of a Factory Medical Officer, the occupier of the Factory shall furnish to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator the following particulars:—

- (i) Name and address of the Factory Medical Officer;
- (ii) Qualifications ;
- (iii) Experience, if any ; and
- (iv) The sub-rule under which appointed.

SCHEDULE

Equipment for occupational Health Centre in Factories

1. A glazed sink with hot and cold water always available
2. A table with a smooth top at least 180 cm.x105 cm.
3. Means for sterilizing instruments
4. A couch
5. Two buckets or containers with close fitting
6. A kettle and spirits stove or other suitable means of boiling water
7. One bottle of spirits ammoniac aromatics (120 ml)
8. Two medium size sponges
9. Two kidney trays
10. Four cakes of toilet, preferably antiseptic
11. Two glass tumblers and two wine glasses
12. Two clinical thermometers
13. Two tea spoons
14. Two graduated (120ml) measuring glasses
15. One wash bottle (1000 cc) for washing eyes
16. One bottle (one litre) carbolic lotion 1 in 20
17. Three chairs
18. One screen
19. One electric hand torch

20. An adequate supply of tetanus toxied
21. Coramine liquid (60ml.)
22. Talets-Antihistaminic, antispasmodic (25 each)
23. Syringes with needles -2 cc, and 10 cc.
24. Two needle holders big and small
25. One dressing forceps
26. One scalpels
27. One stethoscope
28. Rubber bandage-pressure bandage
29. Oxygen cylinder with necessary attachments
30. One Blood Pressure apparatus
31. One patellar Hammer
32. One Peak-flow meter for lung function measurement
33. One stomach wash set
34. Any other equipment recommended by the Factory Medical Officer according to specific need relating to manufacturing process in addition—

(1) For factories employing 51 to 200 workers—

1. Four plain wooden splints 900 mmx00 mmx6mm
2. Four plain wooden splints 50 mm x 75 mm x 6mm.
3. Two plain wooden splints 250 mm x 50 mm x 12 mm.
4. One pair artery forceps
5. Injections-morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novacan (2 each)
6. One surgical scissors

(2) For factories employing above 200 workers.

1. Eight plain wooden splints 900 mm x 100 mm x 6 mm.
2. Eight plain wooden splints 350 mm x 75 mm x 6 mm.
3. Four plain wooden splints 250 mm x 50 mm x 12 mm.

4. Two pairs artery forceps
5. Injections –morphia, pethadine, atropine , adrenaline, coramine, novacan (4each)
6. Two surgical scissors

(5) Ambulance Van—

(i) In any factory carrying on 'hazardous process', there shall be provided and maintained in good condition, a suitably constructed ambulance van equipped with items provided therein and manned by a full time Driver-cum-Mechanic and a Helper trained in first aid, for the purposes of transportation of serious cases of accidents or sickness. The ambulance van shall not be used for any purpose other than the purpose stipulated herein and will normally be stationed at or near to the Occupational Health Centre:

Provided that a factory employing less than 200 workers, may make arrangements for procuring such facility at short notice from a nearby hospital or other places, to meet any emergency.

(ii) The Ambulance shall have the following equipment—

(a) General

- A wheeled stretcher with folding and adjusting devices; with the head of the stretcher capable of being tilted upward;
- Fixed suction unit with equipment ;
- Fixed oxygen supply with equipment ;
- Pillow with case; -Sheets; - Blankets; -Towels;
- Emesis bag; - Bed pan; - Urinal; -Glass

(b) Safety equipment

- Flares with life of 30 minutes; - Floodlights ;
- Flash lights; -Fire extinguisher dry power type ;
- Insulated gauntlets

(c) Emergency Care Equipment Resuscitation

- Portable suction unit; Portable oxygen units ;
- Bag-valve-mask, hand operated artificial ventilation unit ;
- Airways; -Mouth gags; - Tracheostomy adapters;
- Short spine board; I.V. Fluids with administration unit;
- B.P. Manometer; - Cunn;-Stethoscope

(d) Immobilization

- Long and short padded boards; - Wire ladder splints;
- Triangular bandage; - Long and short spine boards

(e) Dressings

- Gauze pads – 4" x 4"; - Universal dressing 10" x 36",
- Roll of aluminium foils; - Soft roller bandages 6" x 5 yards ;
- Adhesive tape in 3" roll; -Safety pins ;
- Bandage sheets; - Burnsheets.

(f) Poisoning

- Syrup of Ipecac; - Activated Charcoal Pre-packeted in dozes; - Snake bite kit ;
- Drinking water

(g) Emergency Medicines

- As per requirement (under the advice of Medical Officer only)

(6) Decontamination Facilities.—In every factory, carrying out ‘hazardous process’, the following provisions shall be made to meet emergency :—

- (i) fully equipped first aid box ;
- (ii) readily accessible means of water for washing by workers as well as for drenching the clothing of workers who have been contaminated with hazardous and corrosive substance; and such means shall be as per the scale shown in the Table below :—

TABLE

Sl. No. of persons employed No. at any time	No. of drenching showers
(a) Up to 50 workers	2
(b) Between 51 to 200 workers	2+1 for every additional 50 or part thereof
(c) Between 201 to 500 workers	5+1 for every additional 100 or part thereof
(d) above 501 workers	8 + 1 for every additional 200 or part thereof

- (iii) a sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

58. The value of the maximum permissible limit of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing process in any factory under section 88.—The maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing process (whether hazardous or otherwise) in any Factory shall be of the value indicated in the **Schedule-C**.

59. The appellate authority for appeal against the order of Inspector-cum-Facilitator of factory and the manner of appeal under section 90.—Occupier of any factory aggrieved by an order made by Inspector-cum-Facilitator may, within fifteen days from the date on which the order is communicated to him, make an appeal to the Chief Inspector-cum-Facilitator respectively who shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal within one month:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time

60. Persons holding position of supervision or management or confidential position etc under sub-section 1 of Section 91.—The following persons in factories shall be deemed to hold position of supervision or management and to be employed in confidential position:—

- (i) Managing Director, President, Chief Executive or Senior-Vice President, Vice-President or General Manager;
- (ii) Deputy General Manager or Manager or Factory Manager;
- (iii) Deputy Manager or Deputy Factory Manager, Assistant Manager or Assistant Factory Manager;
- (iv) Chief Welfare Officer or Welfare Officer or Labour Welfare Officer;
- (v) Heads of Departments;
- (vi) Superintending Engineer;
- (vii) Executive Engineer or Assistant Engineer;
- (viii) Secretary or Personal Assistant to the persons listed above at serial numbers (i) to (vii);
- (ix) Sub-Station Engineer;
- (x) Head Electrician;
- (xi) Supervisor or Foreman;
- (xii) Head Store Keeper
- (xiii) Head Time-Keeper
- (xiv) Store Purchase Officer;
- (xv) Office Superintendent;
- (xvi) Head Accountant or Accountant where there is no head accountant;
- (xvii) Cashier;
- (xviii) Weaving master and spinning master in textile mills;
- (xix) Power house superintendent;
- (xx) any other person employed as such and so declared by the Chief Inspector-cum-Facilitator in writing;

Schedule

Class of Factories	Nature of Work	Extent of exemption	Conditions
1	2	3	4
All Factories	Urgent repairs the following shall be considered to be urgent repairs, namely:— (a) repairs to any part of the machinery plant or structure of a factory which are of such a nature that delay in their execution would involve danger to human life or safety or the stoppage of manufacturing process;	Sections 25, 26 & 31	(i) No Worker shall be employed for more than thirteen hours on any one day or thirty-nine hours during any three consecutive days commencing from his first employment in such repairs;
All Factories	(i) Work in the machine, smithy or foundry shops in connection with the mill gearing, electric driving or lighting apparatus, mechanical of electrical lifts or steam or water pipes or pumps ;	Sections 25, 31	The exemption shall be granted only in respect of a limited number of persons to be given by the Chief Inspector-cum-Facilitator on application by the occupier through the Inspector-cum-Facilitator concerned.
	(ii) Work of examination or repairing and machinery or part of the plant which is necessary for carrying on the work in the factory; and	Section 25 & 31	The exemption shall be granted only in respect of a limited number of persons to be given by the Chief Inspector-cum-Facilitator on application by the occupier through the Inspector-cum-Facilitator concerned.
	(iii) Work in engineer room, boiler houses and furnaces in rolling mills such as lighting fires, in order to generate steam or gas preparatory to the	Sections 25 & 31	The exemption shall be granted only in respect of a limited number of persons to be given by the Chief Inspector-cum-Facilitator on application by the occupier through the Inspector-cum-Facilitator concerned.

	commencement of regular work in the factory.		
Iron Steel Brass or Copper Rolling Mills	(a) Work in connection with roll changing		The exemption shall be granted only in respect of a limited number of persons to be given by the Chief Inspector-cum-Facilitator on application by the occupier through the Inspector-cum-Facilitator concerned.
	(b) break-down, repairs to motive, power transmission or other essential plant of the factories collieries, Railways, tramways, motor transport, gas, electrical generation and transmission, pumping or a similar essential or public utility services carried out in general engineering works and foundries and which are necessary to enable such units to maintain their main manufacturing processes production or services during normal working hours; and	Sections 25 & 31	(ii) Within twenty four hours of the commencement of the work, notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the nature of the urgent repair stating the names of persons employed and the exact time of commencement of work and the probable period for its completion. A copy of the above notice shall be displayed at a conspicuous place in the factory before the workers are engaged on urgent repairs ;
	(c) repairs in connection with a change of motive power for example, from steam to electricity or vice versa, when such work cannot		(iii) Exemption from the provisions of Section 25 shall apply only on the case of male adult workers; (iv) No worker shall be employed to more than 14 consecutive days without a rest of 24 hours.

	possibly be done without stoppage of the normal manufacturing process; and Explanation :		
	(d) "Periodical cleaning" is not included in the terms "examining" or "repairing".		
All Factories	(i) Work performed by workers on lighting, ventilating and humidifying apparatus ;	Sections 25 & 31	A notice describing the system of work change of shifts and grant of weekly holidays, shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and the Chief Inspector-cum-Facilitator in advance and no change shall be made without prior intimation to the Inspector-cum-Facilitator and the Chief Inspector-cum-Facilitator and further subject to the provisions of Section 31 ;
	(ii) work performed by fire pump men; and		A notice describing the system of work change of shifts and grant of weekly holidays, shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and the Chief Inspector-cum-Facilitator in advance and no change shall be made without prior intimation to the Inspector-cum-Facilitator and the Chief Inspector-cum-Facilitator and further subject to the provisions of section 31;
	(iii) Workers engaged in loading or unloading or transporting raw materials or finished articles in factories where such work is intermittent.		
All Factories	Work relating to continuous process.	Sections 25, 26 & 31	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—

			<p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed ;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Oil Tank installations	Work connected with pumping operations	Sections 25, 26 & 31	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed ;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Hydro or Thermal Power Generating or Transforming Stations	Continuous work for generating or transforming electricity	Sections 25, 26 & 31	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p>

			<p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Sugar Factories	(i) Work relating to extractions of juice from the cane, clarification, evaporation or boiling of juice;	Sections 25, 26 & 31	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift : Provided that,—
	(ii) Curing of massecuite and		(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed ;
	(iii) Bagging		<p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Distilleries	Work relating to fermentation and distillation	Sections 25, 26 & 31	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector- <i>cum</i> -Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and

			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Chemical Factories	(i) work connected with burning of sulphur, ammunition, chlorination preparation and purification of gases; and	Sections 25 & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that.—
	(ii) Work on reactors		(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
Hydrogen-eration of oil factories	Work of refining, bleaching filtering, deodorizing, generation of hydrogen compression of gases and filling of cylinders	Sections 25 & 26	(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
			In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.

Paper Factories	Work on Choppers, Kneaders, digesters, strainers, washers, beaters, paper making machines, pumping plant, reelers and cutters	Rules 34, 35, 38	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
Rubber tyres factories	Work on Cutting	Section 25	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift ; and
Municipal, public and Railway water and sewerage pumping stations	All workers engaged in continuous process work	Section 25 & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.

			<p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Tanneries	Work of soaking, liming, washing, bathing, tanning and drying of hide a kelps and skins	Sections 25 & 26	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Bricks	Work on Kiln burners	Sections 25 & 26	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p>

			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Roller Flour Mills	All work	Sections & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Soap	Working on soap boiling and soap drying pans	Sections & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—
			(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;
			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Textile Dyeing Factories	Work connected with dyeing, bleaching, finishing and printing	Sections & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift : Provided that,—

			<p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Rayon Silk	All work connected with manufacture of acelone and cellulose/acetate producer, gas acetic acid aldehyde cellulose dope	Sections 25 & 26	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p> <p>(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and</p> <p>(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.</p>
Glass Factories	Moulding and blowing	Sections 25 & 26	<p>In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,—</p> <p>(i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed;</p>

			(ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector- <i>cum</i> -Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and
			(iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Enamelling Works	Work in furnace enamelling	Sections 25 & 26	In the absence of a worker who has failed to attend to his duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of subsequent shift: Provided that,— (i) the next shift of the worker shall not commence before a period of sixteen hours has elapsed; (ii) Within twenty four hours of commencement of the subsequent shift, a notice shall be sent to the Inspector- <i>cum</i> -Facilitator describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; and (iii) the exemption shall be restricted to the male adult workers only.
Fruit, vegetables and Canning Factories	All work engaged continuous process work	Sections 25, 26 & 31	Exemption from the provisions of Section 31 will apply in so far as it relates to the specifications of the periods of rest intervals in the notice of work.
Rice Mills	Work of persons engaged in boiling, drying, lifting and storing of Paddy in Rice Mills.	Section 25	Exemption from the provisions of Section 31 will apply in so far as it relates to the specifications of the periods of rest intervals in the notice of work.
News Papers	Breakdown of machinery	Sections 25, 26 & 31	1. (i) The spread over shall not exceed twelve hours on any day;

<p>and Printing Press</p>			<p>(ii) Notice shall be given to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator concerned within twenty four hours of the occurrence whenever this exemption is availed of in any emergency; and</p> <p>(iii) Exemption from the provisions of Section 31 of the Act will apply in so far as it relates to the specifications of the periods of rest intervals in the notice of work periods.</p> <p>2. Every Such worker shall be allowed adequate time to take light refreshments or meals at the place of his employment in the room or place specially provided for the purpose and arranged in such a manner that it may not cause inconvenience to the worker and at the same time may not require stopping of any plant, machine or process or the normal functioning of the factory.</p> <p>3. A notice describing the system of work, change of shifts and grant of weekly holidays shall be sent to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator and the Chief Inspector-<i>cum</i>-Facilitator in advance and no change shall be made therein without the prior intimation to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator and the Chief Inspector-<i>cum</i>-Facilitator and subject further to the provisions of Section 31.</p>
<p>All Factories</p>		<p>Section 25, 26 & 31</p>	<p>1. (i) The spread over shall not exceed twelve hours on any day;</p> <p>(ii) Notice shall be given to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator concerned within twenty four hours of the occurrence whenever this exemption is availed of in any emergency; and</p>

			<p>(iii) Exemption from the provisions of Section 31 of the Act will apply in so far as it relates to the specifications of the periods of rest intervals in the notice of work periods.</p> <p>2. Every Such worker shall be allowed adequate time to take light refreshments or meals at the place of his employment in the room or place specially provided for the purpose and arranged in such a manner that it may not cause inconvenience to the worker and at the same time may not require stopping of any plant, machine or process or the normal functioning of the factory.</p> <p>3. Every worker shall be allowed at least one weekly holidays in every week on the average and whenever in any week the permitted hours of work daily or weekly exceed, extra wages for overtime on any particular week shall be paid in accordance with the provisions of Section 27 of the Code.</p>
All Factories	Any work which notified by the State Government in Official Gazette as a work of national importance	Sections 25, 26 & 31	<p>1. (i) The spread over shall not exceed twelve hours on any day;</p> <p>(ii) Notice shall be given to the Inspector-<i>cum</i>-Facilitator concerned within twenty four hours of the occurrence whenever this exemption is availed of in any emergency; and</p> <p>(iii) Exemption from the provisions of Section 31 of the Act will apply in so far as it relates to the specifications of the periods of rest intervals in the notice of work periods.</p> <p>2. Every Such worker shall be allowed adequate time to take light refreshments or meals at the place of his employment in the room or place specially provided for the purpose and arranged in such a manner that it may not cause inconvenience to the worker</p>

			and at the same time may not require stopping of any plant, machine or process or the normal functioning of the factory.
			3. Every worker shall be allowed atleast one weekly holidays in every week on the average and whenever in any week the permitted hours of work daily or weekly exceed, extra wages for overtime on any particular week shall be paid in accordance with the provisions of Section 27 of the Code.

PLANTATION

61. Employer to make in his plantation provisions in respect of clauses (a) to (e) of sub-section of section 92:—

A. Housing facility for workers:

- (i) Every employer shall provide for workers and his family residing in a plantation, housing accommodation as near as possible to the place of work.
- (ii) All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provision shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide atleast a floor area of 10 square meters excluding area of kitchen and toilet for each person making use of the room. The accommodations shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.
- (iii) The housing accommodation shall be provided on dry well-drained land which, consistent with the requirement regarding distance from the plantation, has supplies of wholesome drinking water within a reasonable distance. In materials tracts, the houses shall be provided at a safe distance from the swamps and marshes and above the highest flood level.
- (iv) The employer shall not deny to the public free access to those parts of the Plantation where the workers are housed.
- (v) The employer shall, at his own expenses, maintain all houses provided for accommodation of workers in a fit and safe condition and execute annual and such other repairs as may be necessary from time to time.
- (vi) A worker occupying a house may bring to the notice of the employer any defects in the condition of a house which make it dangerous to the health and safety of the worker. Where an Inspector-cum-Facilitator brings any such defects to notice, it shall be the duty of the employer to rectify them with the least possible delay.
- (vii) No rent shall be charged by an employer for the housing accommodation provided to workers and their families residing in his plantation.

B. Crèche facility for workers.—

Every employer of the plantation wherein fifty or more workers (including workers employed by any contractor) are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, shall provide crèches facilities.

C. Educational facility for worker's children:—

In case no government primary school is situated within a distance of 5 kms from the site of plantation, every employer shall if the number of worker's children between the ages of six to fourteen in his plantation exceeds 25, provide and maintain a Primary School or Schools for imparting primary education to the children.

D. Recreational facilities.

Every employers shall provide and maintain:

- (i) Recreation Centre to the scale of one for every one hundred and seventy-five families of resident workers or part thereof with provision for a radio and television set and indoor games for adult workers and children as specified by the Labour Commissioner of the State with prior approval of the State Government subject to there being at least one centre for each Plantation or out garden thereof;
- (ii) where adequate flat open space is available within a reasonable distance, a playground or playgrounds for adult and child workers with necessary sports equipment for out door games:
- (iii) Every recreation centre to be provided and maintained shall be conveniently situated as near as possible to the workers quarters.

62. Prohibiting or restricting the employment of women or adolescent under sub-section (2) of section 93.—(a) The State Government may at any time as it deems necessary, by notification provide guidelines for the use and handling of hazardous chemicals, insecticides, pesticides and toxic substances and special safeguards for employment of women (other than pregnant women) or adolescents in using and handling hazardous chemicals and periodical examination of worker, who is expose to insecticides, pesticides, chemical and toxic substances.

(b) No pregnant women worker shall be permitted to be engaged in handling or storage or transport of insecticide, pesticide, chemicals and toxic substances.

63. Qualifications of the person appointed to supervise the use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances in the plantation under sub-section (3) of section 93.—The use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances shall be supervised by such person who should possess the following qualifications:—

- (i) He shall be a graduate in Agriculture or in Science or he shall possess a Certificate Course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the recognized institutes.
- (ii) He should be given training from a designated Training Institute; and
- (iii) He should also possess a valid certificate from a recognized institute for giving first aid treatment to workers.

64. Other matters regarding the use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances in the plantation under sub-section (4) of section 93.—

(1) No insecticides, pesticides, chemical and toxic substances shall be transported or stored in such a way as to come into direct contact with foodstuffs or animal feeds or drinking water.

(2) If any insecticide, pesticides, chemicals and toxic substances are found to be leaked out in transport or storage, it shall be the responsibility of the employer to take such measures urgently to prevent poisoning and pollution of soil or water, if any.

(3) The packages containing insecticide, pesticides, chemicals and toxic substances shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing such articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.

(4) The rooms or premises meant for storing insecticide, pesticides, chemical and toxic substances shall be well built, dry, well lit and ventilated with sufficient dimension.

(5) The workers involved in handling insecticides, chemicals and toxic substances shall be arranged for suitable training in observing safety precautions and handling safety equipment provided to them in the institutes notified by the State Government from time to time.

65. Manner of periodical medical examination of worker under sub-section (5) of section 93.—

(1) Every worker who is engaged in the work of handling, dealing, or spraying or mixing insecticides, chemical and toxic substances shall be medically examined initially at the time of employment and thereafter once in six months. The cost of such medical examination shall be borne by the Employer.

(2) The record of medical examination and tests shall be maintained by the Employer.

(3) Any person showing symptoms of poisoning shall be immediately examined and given proper treatment.

66. Manner of providing facilities, clothing and equipment under sub-section (7) of section 93.—(1) Every employer shall provide **washing, bathing and cloak room facilities** to the workmen, who are employed in handling insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances.

(2) **Protective clothing and equipment.**—(a) Persons handling insecticides, chemicals and toxic substances during its operation, distribution, mixing, spraying shall be adequately protected with appropriate clothing.

(b) The protective clothing shall be made of materials which prevent or resist the penetration of any form of insecticide, chemical and toxic formulations and these materials shall also be washable so that the toxic elements may be removed after each use.

(c) A complete suit of protective clothing shall consist of the following dresses, namely:—

(i) Protective outer garment with hat;

(ii) Rubber gloves or such other protective gloves extend way up to the fore arm made of materials impermeable to liquids,

(iii) Dust proof goggles;

- (iv) Boots; and
- (v) Reusable cloth masks.

67. Precautionary notice in the plantation under sub-section (9) of section 93.

Cautionary Notice

1. Chemicals handled in this plantation are hazardous.
2. Smoking, chewing tobacco, eating food or drinking, in this area is prohibited.
3. No food stuff or drink shall be brought in this area.
4. Some of these chemicals may be absorbed through the skin and may cause poisoning.
5. A good wash shall be taken before meals.
6. Protective devices supplied shall be used while working in this area.
7. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor shall be immediately washed away with water.
8. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

OFFENCES AND PENALTIES

68. Power of officers of State Government to impose penalties in certain cases under sub-section (1) of section 111.—(1) The officer appointed for holding enquiry for the purpose of imposing penalty shall be the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other gazetted officer of the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh who is nominated by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh in this behalf.

(2) The officer appointed for holding enquiry for the purpose of imposing penalty shall follow the procedure mentioned below:—

- (a) Upon receiving details of violations of provisions as mentioned in section 111 (1) from Inspector-*cum*-Facilitator of concerned jurisdiction, the officer holding enquiry will summon for attendance of the Employer/Manager and the Inspector-*cum*-Facilitator for giving evidence and producing relevant documents of the enquiry.
- (b) After hearing both the parties, the officer shall note proceedings and within 7 days shall pass an Order of Penalty or discharge the Employer/Manager stating reasons in the order. A copy of the order shall be delivered to both the parties electronically or otherwise.
- (c) Any person aggrieved by an Order made by the Officer may prefer an appeal before the Labour Commissioner, Himachal Pradesh. The appeal shall be made within 60 days of receipt of copy of the order of officer.

- (d) No such appeal shall be entertained by the Appellate Authority unless or until the amount mentioned in the Order of Penalty is deposited with the Appellate authority as a security deposit.
- (e) The Appellate Authority shall dispose off the appeal within a period of Sixty days.
- (f) Appeal against the order passed by officer shall comprise of.—
1. Order of penalty imposed by the said order.
 2. Ground on which impugned order needs to be quashed.
 3. Desire to be relieved.
 4. Challan of fees notified from time to time.

69. Manner of compounding of offences by the authorized offices specified under sub-section (1) of section (114).—(1) The Officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a Compounding Notice for the offences which are compoundable under sub-section (1) of section 114.

(2) The person so noticed may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a Compounding Certificate within ten days of receipt of the compounding amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the compounding notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within one month before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with before the Competent Court.

(5) No prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of section 110 and compounding as under section 114.

Miscellaneous

70. Manner of survey on the situation relating to safety and health at any workplace under sub-section (2) of section 121.—The Chief Inspector-*cum*-Facilitator, officer or the committee so appointed by State Government to undertake survey in accordance with provisions of section 121(2) of the code, may, at any time during the normal working hours of an establishment, or at any other time as is found by him or the committee to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or any other person who for the time being purports to be incharge of the establishment, undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside. Procedure mentioned below shall be followed alongwith other steps/activities as deemed necessary by the surveying committee to carry out the said survey:—

- (1) Employer or manager or other person shall afford all facilities for such survey, including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

- (2) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in near vicinity, if so required by the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.
- (3) Any time consumed by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub-rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.

71. Competent person under clause (l) of sub-section (1) of section 2.—(1) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may recognize any person as 'Competent Person' within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examination, inspection and certification for such buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process of plant and equipment located in an establishment as stipulated in the Code and the rules made there under. If such person possesses the qualifications, experience and other requirements specified in the Schedule appended this rule:

Provided that the Chief Inspector-*cum*-Facilitator may relax the requirements of qualifications in respect of competent person if such a person is exceptionally experience and knowledgeable;

Provided further that where it is proposed to recognise a person employed under the Chief Inspector-*cum*-Facilitator as a competent person, concurrence of the State Government shall be obtained and such a person after being so recognised, shall not have the powers of an Inspector-*cum*-Facilitator;

(2) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may recognise an institution of repute, having persons possessing qualification and experience as specified in the Schedule appended to this rule, for the purposes of carrying out tests, examinations, inspections and certification buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant confined space, ventilation system and such other processes of plant and equipment, located in an establishment as stipulated in the Code and the rules made thereunder, a competent person within such area and for such period as may be specified.

(3) The person to be recognised under this rule shall not be above the age of sixty-two years and shall be physically and medically fit for the purpose of carrying out the requisite tests, examination and inspection.

(4) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator may give notice to recognise person/institute to be competent person in the month of May every year on portal or any other medium. The process of recognition may be completed within a period of 60 days from last date of receipt of applications.

(5) Every application shall be accompanied by fee (non-refundable) of rupees 25,000 and security (refundable without interest) of rupees 1 lakh to be paid by applicant through portal which shall be credited to head of account. A record of such fee and security shall be maintained by Chief Inspector-*cum*-Facilitator.

(6) A person or institute seeking recognition under the Code shall apply in **Form-19** or **Form-20** respectively.

(7) If the qualification and experience of the Person(s) proposed to be recognized is found in accordance rules, the person may be called to appear for a test and interview before the Interview Board to be constituted by Chief Inspector-*cum*-Facilitator.

(8) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator based on result of test and report of interview Board and after satisfying himself as regards to competence and facilities available at the disposal of the applicant may recognise the applicant as a competent person by issuing a certificate of competency in **Form-21** or such application shall be disposed of by rejecting the same specifying reasons thereof.

(9) The Chief Inspector-*cum*-Facilitator, if he has reason to believe that a Competent Person;

- (a) has violated any condition stipulated in the certificate of competency; or
- (b) has carried out a test, examination and inspection or has acted in a manner inconsistent with the intent or the purpose of the Code or the rules made thereunder, or has omitted to act as required under the Code or the rules made thereunder; or
- (c) for any other reason to be recorded in writing; may revoke the certificate or competency after giving an opportunity to the competent person for being heard.

(10) If certificate is revoked the security deposited by competent person shall be forfeited.

SCHEDULE A				
Sl. No	Purpose for which competency required	Qualification	Experience	Facilities at disposal
1.	Certification of buildings and their stability to be used as Factory.	(a) Bachelors Degree in Civil or structural Engineering or its equivalent from recognized university; and (b) A Member or Associate Member of an. (i) Institute of civil engineers; or (ii) Institute of structural engineers; or (iii) Institute of engineers in civil engineering or structural engineering.	(i) an experience of a minimum period of ten years in design or construction or testing or repair of structures: Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years. (ii) Knowledge of non-destructive testing, various standards and codes of practices that are current and the effect of the vibrations and natural forces on the stability of the building; and	

2.	Dangerous Machines	Bachelor's Degree in Mechanical or Production Engineering or its equivalent from recognized university.	<p>(i) an experience of working for a minimum period of ten years in:—</p> <p>(a) design or operation or maintenance; or</p> <p>(b) testing, examination and inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances.</p> <p>(ii) Should :—</p> <p>(a) be conversant with safety devices and their proper functioning;</p> <p>(b) be able to identify defects and other causes leading to the failure;</p> <p>Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years; and</p>	Gauges for measurement and instruments for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety in the use of the dangerous machine.
3.	Hoists & Lifts	Bachelor's Degree in Mechanical or Production Engineering or its equivalent from recognized university.	<p>(i) an experience of working for a minimum period of ten years in:—</p> <p>(a) design or erection or maintenance; or</p> <p>(b) test and inspection procedure of hoists & lifts:</p> <p>Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years.</p>	

			<p>(ii) Should :—</p> <p>(a) be conversant with the current and relevant codes of practices and test procedures;</p> <p>(b) conversant with other statutory requirements covering the safety of hoists and lifts</p>	
4.	Lifting Machines, Chains, Ropes and Lifting Tackles:	Bachelor's Degree in Mechanical or Metallurgical or Production Engineering or its equivalent from recognized university.	<p>(i) an experience of working for a minimum period of ten years in:—</p> <p>(a) design or erection or maintenance; or</p> <p>(b) test and inspection procedure of lifting machines, chains, ropes and lifting tackles: Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years.</p> <p>(ii) Should :—</p> <p>(a) be conversant with the current and relevant codes of practices and test procedures.</p> <p>(b) fracture machines and metallurgy of the material of construction; and</p> <p>(c) heat treatment or stress relieving techniques as applicable to stress bearing components and parts of lifting</p>	

			machinery and lifting tackles.	
5.	Pressure Plants	Bachelor's Degree in Chemical or Mechanical or Metallurgical or Production Engineering its equivalent from recognized university	<p>(i) an experience of working for a minimum period of ten years in:—</p> <p>(a) design or erection or maintenance; or</p> <p>(b) testing, examination and inspection procedure of pressure plants.</p> <p>Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years.</p> <p>(ii) Should :—</p> <p>(a) be conversant with the current and relevant codes of practices and test procedures relating to pressure plants;</p> <p>(b) conversant with statutory requirement concerning the safety of unfired pressure vessels and equipments operating under pressure;</p> <p>(c) conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels.</p>	
6.	Precautions against fumes, gases.	Bachelor's Degree in Chemical engineering from recognized university.	(i) an experience of working for a minimum period of ten years in; collection and analysis of	meters, instruments & devices duly calibrated and certified for carrying out the

			<p>environmental samples and calibration of monitoring equipments.</p> <p>Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years.</p> <p>(ii) should be</p> <p>(a) Be conversant with the hazardous properties of chemicals and their permissible limit values;</p> <p>(b) Be conversant with current techniques sampling and analysis of environmental contaminants; and</p>	<p>tests and certification of safety in working in confined spaces.</p>
7.	Ventilation system as required under section-82 of the Code.	Bachelor's Degree in Chemical or Mechanical Engineering or its equivalent from recognized University.	<p>(i) a minimum of ten years experience in design, fabrication, testing of ventilating system used for extraction and collection of dust, fumes and vapours and other ancillary equipment: Provided that experience for those who possesses master's degree shall be minimum of seven years.</p> <p>(ii) he shall be conversant with relevant codes of practice and test procedures that are current in respect of ventilation and extraction system for fumes and</p>	<p>facilities for testing the ventilating system instruments and gauges for testing the Effectiveness of extraction system for dusts, vapours & fumes and any other equipment needed for determining the efficiency and adequacy of these systems. He shall have the assistance of a suitable qualified technical person who can come</p>

				to a reasonable conclusion as to the adequacy of system.
--	--	--	--	--

Schedule B

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. Chemical Identify :

Chemical Name	Chemical Classification	Synonyms	Trade Name
Formula C. A. S. No. U. N. No.			
Regulated Identification	Shipping Name	Hazechem No.	
Codes/Label			
Hazardous Waste I.D. No.			
Hazardous	Ingredients C.A.S. No.	Hazardous	Ingredients C.S.A. No.
1. 3.			
2.4			
2. Physical and Chemical Data			
Boiling Ragne / Point 0C Physical State Appearance			
Melting / Freezing Point 0C	Vapour Pressure	Odour	Vapour
Density (Air- 1)	@ 35^0 C mmHg	Others	
Solubility in Water			
30^0 C mm Hg			
Specific Gravity	pH		
Water – 1			
3. Fire and Explosion Hazard Data :			
Flammability Yes /No	UEL %	Flash point 0 C	Autoignition Temperature^ 0 C
TDG Flammability	UEL %	Flash point 0 C	Hazardous Products of combustion
Explosion Sensitivity to Impact		Explosion Sensitivity to Static Electricity	
Hazardous Polymerisation			
Combustible Liquid	Explosive Material	Corrosive Material	
Flammable Material	Oxidiser	Others	
Pyrophoric Material	Organic Peroxide		
4. Reactivity Data :			
Chemical Stability			
Incompatibility with other Materials			
Reactivity Hazardous Products of Reaction			
5. Health Hazard Data :			
Routes of Entry Effects of Exposure / Symptoms			
Emergency Treatment			
TLV (ACGIH)	ppm.	mg/m3	STEL ppm. Mg / m3
Permissible Exposure limit ID 50	ppm. mg/m3	Order ppm	Threshold Mg / m3 LD50

NFPA Hazard Signals	Health Flammability	Stability Special
6. Preventive Measures :		
Personnel Protective Equipments		
Handling and Storage Precautions		
7. Emergency and First Aid Measure :		
Fire Fire Extinguishing Media		
Special Procedures		
Unusual Hazards		
Exposure First Aid Measures		
Antidotes / Dosages		
Spills Steps to be taken		
Waste Disposal Method		
8. Additional Information / References :		
9. Manufacturer / Suppliers Data :		
Contact Person in Emergency		
Name of Firm Mailing Address	Local Bodies involved Telephone / Telex nos. Telegraphic Address	
Standard Packing		
Tremcard Details / Reference		
Others		
10. Disclaimer :		

Information contained in this material data sheet is believed to be reliable but no representation, guarantee or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for a particular application of results to be obtained from them. It is up to the manufacturer / seller to ensure that his information contained in the material Safety data sheet is relevant to the product manufactured / handled or sold by him as the case may be. The Government marks no warranties expressed or implied in respect of the adequacy of this document for any particular purpose:

SCHEDULE C

1. **Definitions:**— for the purpose of this schedule.—

- “mg/m³” means milligrams of a substances per cubic metre of air;
- “mppem” means million particles of a substance per cubic metre of air;
- “ppm” means parts of vapour or gas per million parts of air by volume at 25 degrees centigrade and 760 mm of mercury pressure;
- “Time weighted average concentration” means the average concentration of a substance in the air at any work location in a factory computed from evaluation of adequate number of air samples taken at that location, spread over the entire shift on any day, after giving weightage to the duration for which each such sample is collected and the concentration prevailing at the time of taking the sample:

Time weighted average $C_1T_1 + C_2T_2 + \dots + C_nT_n$

Concentration = -----

$T_1 + T_2 + \dots + T_n$

Where C_1 represents the concentration of the substance for duration T_1 (in hours);

C_2 represents the concentration of the substance for duration T_2 (in hours); and

C_n represents the concentration of the substance for duration T_n (in hours).

- (e) "Work location" means a location in a factory at which a worker works or may be required to work at any time during any shift on any day.

2. Limits of concentration of substances at work location:—(1) The time weighted average concentration of any substance listed in table 1 or 2 of the schedule, at any work location in a factory during any shift on any day shall not exceed the limit of the permissible time weighted average concentration specified in respect of that substance:

Provided that in the case of a substance mentioned in Table 1 in respect of which a limit in terms of short term maximum concentration is indicated, the concentration of such a substance may exceed the permissible limit of the time weighted average concentration for the substance for short periods not exceeding 15 minutes at a time, subject to the condition that—

- (a) Such periods during which the concentration exceeds the prescribed time weighted average concentration are restricted to not more than 4 per shift;
- (b) the time interval between any two such periods of higher exposure shall not be less than 60 minutes; and
- (c) At no time the concentration of the substance in the air shall exceed the limit of short term maximum concentration.

(2) In the case of any substance given in Table 3, the concentration of the substance at any work location in a factory at any time during any day shall not exceed the limit of exposure for that substance specified in the table.

(3) In the cases where the word "skin" has been indicated against certain substance mentioned in Tables 1 and 3, appropriate measures shall be taken to prevent absorption through cutaneous routes particularly skin, mucous membranes, and eyes as the limits specified in these Tables are for conditions where the exposure is only through respiratory tract.

(4) (a) In case, the air at any work location contains a mixture of such substances mentioned in Table 1, 2 or 3, which have similar toxic properties, the time weighted concentration of each of these substances during the shift should be such that when these time weighted concentration divided by the respective permissible time weighted average concentration specified in the above mentioned tables, and the fractions obtained are added together, the total shall not exceed unity.

$C_1 C_2 C_n$

----- + ----- + ----- + -----

$L_1 L_2 L_n$

Where C_1, C_2, \dots, C_n are the time weighted concentration of toxic substances 1, 2, -----, and n respectively, determined after measurement at work location;

And L_1, L_2, \dots, L_n are the permissible time weighted average concentration of the toxic substances 1, 2, and n respectively.

(b) In case the air at any work location contains a mixture of substances, mentioned in Table 1, 2, 3 and these do not have similar toxic properties, then the time weighted concentration of each of these substances shall not exceed the permissible time weighted average concentrations specified in the above mentioned tables, for that particular substance.

(c) The requirement in clauses (a) and (b) shall be in addition to the requirements in paragraphs 2 (1) and 2(2).

3. Power to require assessment of concentration of substances.—(1) An Inspector-*cum*-Facilitator may, by an order in writing, direct the occupier or manager of a factory to get before any specified date, the assessment of the time weighted average concentration at any work location of any of the substances mentioned in Table 1, 2 or 3 carried out.

(2) The results of such assessment as well as the method followed for air sampling and analysis for such assessment shall be sent to the Inspector-*cum*-Facilitator within 3 days from the date of completion of such assessment and also a record of the same kept readily available for inspection by an Inspector-*cum*-Facilitator.

4. Exemption.—If in respect of any factory or a part of a factory, the Chief Inspector-*cum*-Facilitator is satisfied that, by virtue of the pattern of working time of the workers at different work locations or an account of other circumstances, no worker is exposed, in the air at the work locations, to a substance or substances specified in Tables 1, 2 or 3 to such an extent as is likely to be injurious to his health, he (the Chief Inspector-*cum*-Facilitator) may by an order in writing, exempt the factory or a part of the factory from the requirements in paragraph 2, subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

Table-2

Substance	Permissible level of exposure			
	Time-weighted average concentration		short-term maximum concentration	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Acetic acid	10	25	15	37
Acrolein	0.1	0.25	0.3	0.8
Aldrin-skin	-	0.25	-	0.75
Ammonia	25	18	35	27
Aniline-skin	2	10	5	20
Anisidine(o-p-isomera)-skin	2.1	0.5	-	-
Arsenic and compounds	-	0.2	-	-
Benzene	10	30	-	-
Bromine	0.1	0.7	0.3	2
2-Butanone(methylethyl)(ketone-mek)	200	590	300	885
n-Buty lacetate	150	710	200	950
Secondary/Tertiary Butyl Acetate	200	950	250	1190
Cadmium dust and salt (as cd)	-	0.05	-	0.2
Calcium	-	2	-	-
Carbyl (sevin)	-	5	-	10

Carbofuran(furadan)	-	0.1	-	-
Carbon disulfide-skin	2	60	30	90
Carbon mono oxide	50	55	400	440
Carbon tetra chloride-skin	10	65	20	130
Carbonyl chloride(Phosgene)	0.1	0.4	-	-
Chlordane-skin	-	9.5	-	2
Chlorobenzene(Mono Chlorobenzene)	75	350	-	-
Chlorine	1	3	3	9
Bi-Chloromethyl Ether	0.001	-	-	-
Chromic Acid and Chromates (as cr)	-	0.05	-	-
Chromium sel Chromic, Chromous salts	-	0.05	-	-
Copper Fumes	-	0.2	-	-
Cotton Dust (raw)	-	0.02	-	-
Cresol,All Isomers-skin	5	22	-	-
Cyanides (as cn) skin	-	5	-	-
Cyanogen	10	20	-	-
DDT(DichloroDiphenylTrichloro-Ethane)	-	1	-	3
Demeton-skin	0.01	0.1	0.03	0.3
Diazinon-skin	-	0.1	-	0.3
Dibutyl phthalate	-	5	-	10
Dichlorvos(ddv)-skin	0.1	1	0.3	3
Dieldrin-skin	-	0.25	-	0.75
Dinitrobenzene(all isomers)-skin	0.15	1	0.5	3
Dinitrotoluene-skin	-	1.5	-	5
Diphenyl	0.2	1.5	0.6	4
Endosulfam(thiodan)-skin	-	0.1	-	0.3
Endrin-skin	-	0.1	-	0.3
Ethyl acetate	400	1000	-	-
Ethyl alcohol	1000	1900	-	-
Ethyl amine	60	18	-	-
Fluorides	-	2.5	-	-
Fluorin	1	2	2	4
Hydrogen cyanide-skin	10	11	15	16
Hydrogen Sulfide	10	15	16	27
Iron oxide fumes	-	5	-	10
Isoamyl acetate	100	525	125	655
Isoamyl alcohol	100	360	125	450
Isobutyl alcohol	50	150	75	225
Lead fumes and dust	-	0.15	-	0.45
Libdane-skin	-	0.5	-	1.5
Malathion-skin	-	10	-	-
Manganese fumes	-	1	-	1
Mercury	-	0.05	-	0.15
Mercury(alkyl compounds)skin	0.001	0.01	0.003	0.03
Methyl alcohol(methanol)-skin	200	260	250	310
Methyl cellosolve-skin(2-methoxy ethanol)	25	80	35	120
Methyl isobutyl ketone-skin	100	410	125	510
Naphthalene	10	50	15	75
Nickel carbonyl	0.05	0.35	-	-

Nitric acid	2	5	4	10
Nitric oxide	25	30	35	45
Nitrobenzene-skin	1	5	2	10
Oil mist minerals	-	5	-	10
Parathion-skin	-	0.01	-	0.03
Phenel-skin	5	19	10	38
Phorate(thimet)-skin	-	0.05	-	0.2
Phosgene(Carbonyl Chloride)	0.1	0.4	1	1
Phosphine	0.3	0.4	1	1
Phasporous(yellow)	-	0.1	-	0.3
Phasporous pentachloride	-	1	-	3
Phasporous trichloride	0.5	3	-	-
Picric acid-skin	-	0.1	-	0.3
Pyridine	5	15	10	30
Saline(silicontetrahydride)	0.5	0.7	1	1.5
Styrene monomer(phenylethylene)	100	420	125	525
Sulfur dioxide	5	13	-	-
Sulphuric acid	-	1	-	-
Toludine(toloul)-skin	100	375	150	500
O-Toludine	5	22	10	44
Trichloroethylene	100	535	150	800
Vinyl chloride	5	10	-	-
Welding fumes(nitrous oxide)	-	5	-	-
Xylene(o-m-p-isomers)-skin	100	435	150	655

TABLE – 2

Sl.No	Substance	Permissible time average concentration	
1.	Silica		
	a		Crystalline
	i		Quartz
			1. in term of dust count =1060/(% quartz+10) in mppcm
			2. in term of respirable dust =10/(% respirable quuartz+2) in mg/cubic metre
			3. in item of total dust =30/(% quartz+3) in mg/cubic metre
	ii		Cristobalite
	iii		Tridmite
	iv		Silica fused
v	Tripoli		
	b	Amorphous	
		705 mppcm	
2.	Silicates having less than 1 % free silica by weight		
	A	Asbestos fibres longer than 5 microns	
		2 fibres per cubic centimetres	

	B	Mica	705 mppcm
	c	Mineral wool fibre	10 mg per cubic metres
	d	Porlite	1060 mppcm
	e	Portland cement	1060 mppcm
	f	Soapstone	705 mppcm
	g	Talc (nonbost)	do
	h	Tal(fibrrous)	same as for (a)
	i	Tetomile	do
	3.	Coal Dust	
1.	for airborne dust having not more than 5% silicon dioxide by weight	2 mg per cubic metres	
2.	for airborne dust having more than 5% silicon dioxide by weight	as for item (2) of quartz	

TABLE – 3

Substance	Permissible limit of exposure	
	ppm	mg/m ³
Acetic anhydride	5	20
O-Dichlorobenzene	50	300
Formaldehyde	2	3
Hydrogen Chloride	5	7
Manganese & compounds (as Mn)	-	5
Nitrogen dioxide	5	9
Nitroglycerin-skin	0.2	2
Potassium hydroxide	-	2
Sodium hydroxide	-	2
- 2 2, 4, 6 – Trinitrotoluene (TNT)	-	0.5

FORM-1
(See rule-3)

Application for Registration for existing establishments/New Establishment/Amendment to certificate of

Registration

A. Establishment Details.

1. Retrieve details of Establishment from Portal :

2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
4. Others details of Establishment:
 - a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:.....
 - b. Total Number of the contract employees engaged:
 - c. Contract employees engaged or to be engaged in process:.....
 - d. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:.....
5. Type of Establishment (Factory/Beedi Establishment/Plantation Establishment/Construction Establishment/Other Establishment)
6. (a) For factories:

Details of the manufacturing process & Type of Factory	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

6 (b) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

7. Ownership Type/Sector:
 8. Activity as per National Industrial Classification:
 9. Details of Selected NIC Code:
 10. Date of opening/Start of business:
- B. Details of Employer:—**
1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner:
 2. Designation:
 3. Father's/ Husband's Name of the Employer:
 4. email Address, Telephone & Mobile No:

C. Manager/Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No :
4. Date on which the person assumed charge as Manager

E. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address& Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement / Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

E. Others Details:—

Date-
Place;-

Signature/ E- sign/digital sign of employer

Form-2
{See rule 5}

Notice of Commencement of Establishment

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:—
3. Name & Designation of employer (who has ultimate control over the affairs of the establishment):—
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent:—
5. Nature of work of the establishment:—
6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:—
7. in case of cessation, the date of cessation:

I/We hereby intimate that the work of establishment having registration No..... dated..... is likely to Commence or cessation is likely to be completed with effect from (Date)/On (Date)

Form 2A
{See rule 5}

Notice of Cessation of Work of Establishment

I/we hereby certify that the payment of all dues to the employees employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Kindly deregister for the purpose of this code.

Signature of the Employer

To,
The Inspector-*cum*-Facilitator

Form-3
{See rule-6(2)}
Health Register

Sl. No.	Name of Employee	Date of Employment	Age	Gender	Nature of Job	Date of Medical Examination	Results of Medical examination	Signature of the qualified medical Practitioner	Signature of Employer

Form 4
{See rule-7}

For Appointment Letter

1. Name of the Establishment;.....
2. Name of the Employee and Father/Mother's Name.....
3. Date of birth.....
4. Permanent Address of the employee.....
5. Post for which appointment is made

6. Nature of Work.....
(hazardous/Nonhazardous/Clerical/Supervisory/Managerial)
7. Details of wages and perks.....
8. Nature of Appointment (permanent/temporary/Contract)
9. Period of Appointment
10. Employee distinct no. or code.....
11. Category of skill.....
12. Aadhar No.....

Signature
Name and Designation of Appointing Officer

Form-5
{See rule-8(1) & 8(2)}

Notice of Accident Resulting in death or bodily injury

1. Name of the employer
2. Name and address of the establishment where accident took place?
3. Nature of activity being carried in establishment
4. (a) Branch or Department and exact place where the accident took place.
(b) Details of contractor, if any
5. Died/Injured person's
 - (a) Name
 - (b) Address
 - (c) Gender
 - (d) Age (last birthday)
 - (e) Occupation and designation
 - (f) Whether local or Inter-State
 - (g) Whether employee or out-sider
6. Date and time of accident
7. Describe briefly how the accident occurred
8. Nature and extent of injuries

9. In case the accident took place while travelling in employer's transport state whether;
- the injured person was travelling as a passenger to or from his place of work.
 - the injured person was travelling with the express or implied permission of the employer.
 - the transport is being operated by or on the behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangement made with employer, and
 - the vehicle being/not being operated in the ordinary course of public transport service.
10. In case the accident took place while meeting emergency, state
- its nature
 - whether the injured person at the time of accident was employed for the purpose of and in connection with employer's trade or business.
11. Name and addresses of witnesses

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature of employer

Form-6
{See rule-8(3)}
Notice of Dangerous Occurrence

- Name of the employer
- Name and address of the establishment where dangerous occurrence took place?
- Nature of activity being carried in the establishment
- Branch or Department and exact place where the dangerous occurrence took place.
 - Details of contractor, if any
- Date and time of dangerous occurrence
- Describe briefly how occurred
- Details of person/property/fauna-flora affected due to this occurrence
- Name and addresses of witnesses

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature of Employer

Form-7
{See rule-9}
Notice of Disease

1. Name of Establishment
2. Address of Establishment
3. Address of employer
4. Nature of activity being carried out
5. Particulars of worker/employee
 - (a) Name
 - (b) Address
 - (c) Gender
 - (d) Age
6. Precise occupation of worker/employee
7. Nature of disease from which worker/employee is suffering

Signature of employer or Qualified Medical Practitioner

Form - 8
{See rule-18(1)}
Notice prescribed under Sections 31 rule 18(1)

Name of factory under which it is registered/proposed to be registered.....place.....district

Group	Nature of work of each group	Number of workers employed in each group		Relay or set of workers	Shift or period of work
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6

Tuesday					Saturday									
Men	Wo men	Men	Wo men	Men	Wo men	Men	Wo men	Men	Wo men	Men	Wo men	Men	Wo men	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Form 9

{See rule-19(1)}

**Register of Workers employed in an Establishment, Wages, Overtime,
Fine Deduction for Damage or Loss**

Name of the Establishment:

Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Sl. No. in worker Register	Name of the Worker	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total No. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dangerous occurrences and employment of adolescent.

Form -10

{See rule-19(2)}

Leave and wages register

1.	Name of employee	
2.	Number in Adult/Adolescent Register	
3.	Date of joining	
4.	Wage rate	
5.	Date of resignation/superannuation/dismissal/death/etc.	
6.	Total number of days worked during the calendar year	
7.	Leaves earned during the year	

8.	Balance of leaves from previous year	
9.	Total number at credit in the end of year	
10.	Leaves enjoyed during the year	
11.	Leaves encashed during the year	
12.	Balance leaves at the end of the year	
13.	remarks	

Annual Return

FORM NO. 11
{See rule-21}
Year ending 31st December, 20...

1. Registration Certificate and Licence number
2. Name of the factory/ Establishment.....
3. Name the occupier/Employer.....
4. Name the manager.....since.....
5. District.....
6. Postal address, email-address and mobile no.....
7. Nature of industry (General/Hazardous/MAH).....
8. Main product of the factory.....
9. (i) Average number of employees employed daily.....
- (ii) Average number of workers [Section 2(1)(zzl)] employed daily.....

	Employees directly Employed by, occupier	Employees directly Employed by the contractor	Total average	Total number of apprentice	Total number of other apprentice
Men					
Women					
Adolescent					
Total					

10. Name, address and email- address of the contractor (s).....
11. (i) Normal hours worked per week for Male Worker.....

Woman Worker.....

Other Apprentices.....

(ii) Total normal Man hour worked under section 25.....

(Explanation; Man hour includes work done by workers)

12. Number of days worked in the year.....

13. What rest for intervals were given to the workers (half an hour or one hour or two hour or others)

14. Whether first day of week was substituted as weekly holidays ?

.....Such numbers.....

15. Was the factory or part of factory engaged in continuous process.....

16. Over time (section 27

(i) Total Man hour worked during the period under section 27.....

17. Average number of woman employees engaged in a shift or part thereof (Between 7 PM to 6 AM)

(i) Between 7 PM to 10 PM.....

(ii) 10 PM to 6 AM.....

18. *Compensatory Holidays*

(i) Number of workers exempted from Section 26 of the code.....

(ii) Number of workers, who received holidays in the—

(a) Same month.....

(b) Following month.....

(c) Third month.....

19. *Leave with Wages(section 32)*

(i) Total number of persons employed during the year

(ii) Number of workers who are entitled to leave with wages during the year preceding the year for which this return is submitted

(iii) Number of workers who are entitled to leave with wages during the year for which this return is submitted

(iv) Number of workers who were granted leave during the preceding year.....

(v) Number of workers who were granted leave during the year for which the return is submitted

Total no. of fatal accidents in preceding year of this return period.....	
[I/We certify that information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge].	
[The employer of every establishment shall furnish to Inspector-cum-Facilitator of region on or before 15 th of January of each year an annual return in the form set forth for it.	
Signature of Occupier.....	Signature of Manager.....
Dated.....	

Form 12

[See rules 32 and 49 (G)(1)]

Application for licence**On Line Application for License/Renewal of License/Amendment of License
(including Common/Single License)**

1. Application for license—
 - (a) as a factory
 - (b) for engagement of contractor
 - (c) Industrial premises for beedi and cigar work
2. Full name and postal address of the establishment
3. Details of person who will be occupier/principal employer/contractor
 - (a) Name
 - (b) Permanent address
 - (c) Local address
 - (d) Email
 - (e) Mobile number
4. Full name and address of the owner of the Premises or building
(including the percents thereof)
5. Core activity to be under-taken along with details of hazardous substances as per section 2(za) of the Code.
6. National Industrial Code
7. (a) Total Number Workers to be employed in the period of license
(b) Total Number Workers were employed during last calendar year
8. Particulars of Contract Labour:

- (a) Nature of work in which contract labour is employed or to be employed:
- (b) Maximum number of contract labour to be Employed on any day:
- (c) Number of Inter-State Migrants (Fill details in Form no. 5 as mentioned in rule 6)
- (d) Estimated date of commencement of each Contract work under each contractor:
- (e) Estimated date of termination of employment of contract labour under each contractor:
9. Power:
Connected or proposed to be connected (in KW)
10. Furnish Reference:
- (a) approval of plans
- (b) stability certificate
- (c) disposal of trade waste/effluents/hazardous waste/e-waste/biomedical waste (which is applicable)
11. Details of fee

Sl. No	Particular	Amount	Date
a	Factory		
b	Engagement of contractor		
c	Industrial premises		
d	Registration Certificate		

DSC of Employer/Occupier

APPLICATION FOR RENEWAL OF CONTRACT LABOUR LICENCE

- Licence No. _____ Date : _____
- LIN & PAN _____
- Name and address of the establishment : _____
- Date of expiry of previous licence : _____
- Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked : _____
- Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt) : Amount.....
date of payment : _____

E-sign/digital sign of the employer/contractor
Date of Application

APPLICATION FOR AMENDMENT OF CONTRACT LABOUR LICENCE :

- Licence No. _____ Date: _____
- LIN & PAN _____

3. Name and address of the establishment :
4. Details for which amendment is sought :
 - (a) Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited :
 - (b) Details of fees paid through e payment date on which made :
 - (c) Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)

**E-sign/digital sign of the
employer/contractor
Date of application.**

APPLICATION FOR AMENDMENT OF FACTORY LICENCE :

- (a) Change of name of factory
- (b) Change in name of occupier
- (c) Change in name of factory manager
- (d) Change in address of premises
- (e) Increase or decrease in number of workers
- (f) Increased or decrease in horsepower
- (g) Such particulars referred in licence application form
- (h) Change in name of occupier
- (i) Change in name of factory manager
- (j) Change in address of premises
- (k) Increase or decrease in number of workers
- (l) Increase or decrease in horsepower
- (m) Such particulars referred in lincence application form

**E-sign/digital sign of the Occupier
Date of application.**

Form 13
{See rule 33 and 49(G)(2)}

Common License For Factory/Beedi & Cigar Work/Engaging Contract Labour
Government of Himachal Pradesh

Office of designated authority under section 119 of The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code 2020

License number:

Date of issue:

A license is granted to Shri.....(Name of Occupier) of establishment M/S_____ registered under the section-3 of the Code having registration number_____ as below;

- A. To run as a factory in which manufacturing process _____ shall be carried by employing not more than_____ workers and power not more than____KW for the purpose of The Occupational Safety,Health And Working Conditions Code 2020 and rules made there-under and whose plans are approved by Chief Inspector-cum-Facilitator vide number_____ date .

This license will remain in force from_____ till_____

Fee_____ Date of deposit_____

- B. Engagement of contract workers subject to the conditions annexed to this license as given below;

Fee Date of deposit.....

1	Maximum number of workers to be employed as contract labour	
2	Nature of activity for which contract labour shall be engaged	

- C. To use as a industrial premises to carry work of beedi or cigar by employing not more than_____ workers for the purpose of The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code 2020 and rules made there-under and whose plans are approved by Chief Inspector-cum-Facilitator vide number_____ date.

This license will remain in force from_____ till_____

Fee_____ date of deposit_____

AMENDMENTS

Sl. No.	Year when amended	Maximum number of contract workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of Issuing Authority

Sl. No.	Change of name of factory	Change of name of occupier	Change of name of Factory Manager	Change of address of premises	Change in workers	Change in horsepower	Such particulars referred in licence application

**Name and Digital Signature Certificate of designate
Date**

**Form 14
[See rule 49]**

**Application for Permission to Construct/Addition/Alteration/Erection/Take into use any
premises as a factory**

I hereby submit the application for [construction/addition/alteration/erection/take into use
[[tick which applicable] any premises as a factory as below;

1. (a) Name of the applicant
- (b) Address of the applicant
- (c) Applicant's calling in relation to factory
2. Full name of the factory
3. Location of factory
 - (A) Name of Village/City, Tehsil & Distt.
 - (B) If in village then Khasra Numbers
 - (C) If in city then Street/Mohalla/Colony/Bazaar/Road/ward number
 - (D) If in industrial focal point/industrial park then plot number
 - (E) If above or below the ground level then floor on which it is situated

Signature of the applicant

**Form 15
{See rule 49C}(1)}**

Stability Certificate

1. Name of the factory

2. Address of factory
3. Name of occupier of the factory
4. Nature of manufacturing process to be carried on in the factory
5. Number of floors of the factory

I certify that I have inspected the building/buildings, the plans of which have been approved by the Chief Inspector-*cum*-facilitator vide letter No-----date----- and examined the various parts including the foundations with special reference to the machinery, plant, etc. that have been installed. I am of the opinion that the building/buildings which has/have been constructed/reconstructed/extended/taken into use is/are in accordance with the plans approved by the Chief Inspector *vide* his letter mentioned above, that it/they is/are structurally sound and that its/their use as a factory/part of the factory for the manufacture of-----for which the machinery, plant etc. installed is intended. The building is safe against various loads, forces and effects due to process to be carried out in the factory or due to natural forces.

Signature of competent person and date _____

Name of competent person _____

Address of competent person _____

Form 16
{See rule 52(3)(ii)}
Application for the Site Appraisal Committee

1. Name and address of the applicant :
2. Site Ownership Data :

Revenue details of the site such as Survey No., Plot No.

Whether the proposed site attracts the provisions of section 3 of Environments Protection Act, 1986, if so, the nature of the restrictions ; and Local authority under whose jurisdiction the site is located.

3. Site Plan :

- (a) Site plan with clear identification of boundaries and total area proposed to be occupied and showing details nearby the proposed site;
- (b) Name of adjoining manufacturing units and human habits, educational and training institutions, petrol installations, storages liquified Petroleum Gas and other hazardous substances, if any, *within one kilometer from the proposed unit*;
- (c) Water sources (rivers, streams, canal dams, water filtration plants) in the vicinity;
- (d) Nearest hospitals, Fire-stations, Civil Defence Stations and Police Station and their distances;

- (e) Details of high tension electrical transmission lines, pipelines for oil, gas, sewerage, if any, passing through the site ;
- (f) Location of railway stations, railway lines, Scheduled road, bye- pass, if any, near the site; and
- (g) Plot Plan of the factory, showing entry and, exit points, roads.

4. **Project Report :**

A summary of the salient features of Project ;

- (a) Maximum number of persons likely to be working in the factory;
- (b) Maximum amount of power and requirements and source of supply ;
- (c) Block diagrams of the buildings *installations, in the proposed project* ; and
- (d) Details of housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities proposed.

5. **Organisational structure of the proposed manufacturing unit/ factory:**

- (a) Person responsible for protection of safety, health and environment;
- (b) Proposed health and safety policy of the proposed enterprise.

6. **Manufacturing Process Information:**

- (a) Process flow diagrams;
- (b) Brief write up on process and technology;
- (c) Critical Process parameters such as pressure buildup, temperature rise and run-away reaction;
- (d) Other external effections critical to the process having safety implications such as ingress of moisture or water, contact with incompatible substances sudden power failure ; and
- (e) High lights of the built-in-safety/pollution control devices or measures incorporated in the manufacturing technology.

7. **Information of Hazardous Materials:**

- (a) Raw materials, intermediates, products and bye-products and their quantities (enclose Material Safety Data Sheet in respect of each hazardous substance);
- (b) Main and intermediate storages proposed for raw material/ intermediates/products/ Bye-Products (maximum quantities to be stored at any time); and
- (c) Transportation methods to be used for materials in flow and out flow, their quantities to be stored at anytime.

8. Safety measures proposed for:

- (a) Handling of materials;
- (b) Internal and external transportation; and
- (c) Disposal (packing and forwarding of finished products).

9. Information or Dispersal/Disposal of wastes and pollutants:

- (a) Major Pollutants (gas, liquids, solid) their characteristics and quantities (average and at peakloads);
- (b) Quality and quantity of solid wastes generated, methods of their treatment and disposal; and
- (c) Air, Water and Soil Pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluents.

10. Process Hazards Information:

- (a) Enclose a copy of the report on environmental impact assessment;
- (b) Enclose a copy of the report on Risk Assessment Study; and
- (c) Publish (open or classified) reports, if any, on accident situation/ occupational health hazards or similar plants (within or outside the country).

11. Information of proposed Safety and Occupational Health Measure:

- (a) Details of fire-fighting facilities and minimum quantity of water carbon-dioxide and other fire-fighting measures needed to meet the emergencies; and
- (b) Details of in-house medical facilities proposed.

12. Information on Emergency preparedness:

- (a) On Site Emergency Plan ; and
- (b) Proposed arrangements, if any, for mutual aid scheme with the group of neighbouring factories.

I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed while furnishing it.

Date :

Signature
Designation

Form 17
{See rule 56(1)(iii)}
Health Register

1.	Sl. No.
2.	Department/Works

3.	Name of Worker
4.	Sex
5.	Age (at last birthday)
6.	Date of employment on present work
7.	Date of leaving or transfer to other work with reasons for discharge or transfer
8.	Nature of job or occupation
9.	Raw materials, products or by-products likely to be exposed to
10.	Dates
11.	Result Fit or Unfit
12.	Signs and symptoms observed during examination
13.	Nature of tests and results thereof
14.	If declared unfit for work, state period of suspension with reasons in details
15.	Whether certificate of unfitness issued to the workers
16.	Re-certified fit to resume duty on
17.	Signature of the Certifying Surgeon with date

Form 18
{See rule 56(2)}
Certificate of Fitness

1. I certify that I have personally examined (name)Son of (father's name)..... residing at (address).....who is desirous of being employed as (designation).....in.....(process,..... department..... and factory).....and that his age, as nearly as can be ascertained from my examination, is years, and that he is, in my opinion, fit/unfit for employment in the above mentioned factory as mentioned above.

2. He may be produced for further examination after a period of.....
3. The serial number of the previous certificate is.....

signature or left hand thumb impression of person examined :

Signature of Factory Medical Officer:
Date :

Form-19
{See rule 71 (6)}
Application for grant of competency to a person

1. Name
2. Date of birth
3. Name of the organization (if self-employed)
4. Educational qualifications (copies of testimonials to be attached)
5. Details of professional experience

Name of the Organization	Period of service	designation	Area of Responsibility

6. memberships, if any, of professional bodies
7. (i) Details of facilities (examination, testing etc.)
(ii) Arrangements of calibrating and maintaining the accuracy of these facilities)
8. purpose for which competency certificate sought (specify the section of the Code)
9. whether the applicant has been declared as a competent person under any other state or statute (if so furnish details)
10. any other relevant information

I----- hereby declare that the information furnished above is true.

I undertake

- (a) That in the event of any change in facilities at my disposal (either addition or deletion) I will promptly inform the Chief Inspector-cum-Facilitator.
- (b) to maintain the facilities in good working order calibrating periodically as per manufacturer's instructions or as per National standards; and
- (c) to fulfill and abide by all conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

Place
Date

Signature

Form 20

{See rule 71(6) }

Application for grant of competency to an institution

1. Name and full address of the organization
2. oOrganization's status (specify whether Individual, Government, autonomous, co-operative, corporate orprivate).
3. purpose for which competency certificate sought (specify the section of the Code)
4. whether the organization has been declared as a competent person under any other statute(if so furnish details)

5. Particulars of persons employed and possessing qualification and experience

S.No.	Name and designation	Qualification	Experience	Section(s)/rule(s) Under which person's competency sought

6. Details of facilities and arrangements made for their maintenance and calibration periodically.

7. any other relevant information

8. Undertaking

I ----- certify that shri----- whose details are furnished above, is in our employment and nominate on the behalf of organization for the purpose of being declared as competent person under the Code; I also undertake that I will—

- Notify to the Chief Inspector-*cum*-Facilitator in case the competent person leaves our institution.
- To maintain the facilities in good working order calibrating periodically as per manufacturer's instructions or as per National standards;
- notify to Chief Inspector-*cum*-Facilitator any change in facilities(either addition or deletion); and
- to fulfill and abide by all conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by Chief Inspector of Factories from time to time.

I----- hereby declare that the information furnished above are correct to the best of my knowledge

Date
Place

Signature
Head of Institution
Mobile number
Email

Form 21
{See rule (71)(8)}

Certificate of competency issued to a person or an institution

I ----- in exercise the power conferred on me under section 2(1) of The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code 2020 and the rules made there under, hereby recognize shri----- (if employed in Name of institution) ----- to be Competent person for the purpose of carrying tests, examinations, inspections and certification for such **buildings or dangerous machinery, lifts, tackles, pressure**

plants, confined space, ventilation or plant and equipment as the case may be in an establishment located in state of Himachal Pradesh under section [_____] of the Code and the rules made there under.

This certificate is valid from _____ to _____

This certificate is subject to the following conditions as stipulated there under.—

1. Tests, examinations and inspections shall be carried out in accordance with the provisions of Code and the rules made there under.
2. Tests, examinations, inspections shall be carried out under the direct supervision of competent person
3. The certificate of competency shall stand cancelled if the person declared competent leaves the institution.
4. Competent person or institution shall submit reports as per provisions of the Code
5. Any other condition Chief Inspector-*cum*-Facilitator may think fit

Place official seal signature
Date

Chief Inspector-*cum*-Facilitator,
Himachal Pradesh

By order,

R.D. DHIMAN,
Adl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o V.P.O. Bagdhar, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Anil to Anil Kumar.

ANIL KUMAR,
s/o Sh. Raj Kumar,
r/o V.P.O. Bagdhar, Tehsil Dalhousie,
District Chamba (H.P.).

